खण्ड-134, अंक-5
शुक्रवार, 3 वैशाख, शक संवत् 1876
(23 अप्रैल, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 134 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७५)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गॅदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अघमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामआधीन सिंह यादव, श्री
रामआनन्द पान्डेय, श्री

रामग्रहण सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री

श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहूर मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ, त्रिपाठी श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खाँ हकीम, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जमाअते इस्लामी हिन्द के तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी

**१—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमाअते इस्लामी हिन्द के कितने व्यक्तियों को सरकार ने अब तक गिरफ्तार किया है और कहां कहां ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जमाअते इस्लामी हिन्द के ३ व्यक्ति गत फरवरी में जिलाधीश रामपुर द्वारा प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को किस कारण पकड़ा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो कोई तीन-तीन पेज का चार्ज है जो उन लोगों को दिया गया है। वह चार्ज सही है या गलत है, तो वह तो ट्रिब्युनल के सामने मामला पेश है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—इनको किस जेल में और किस क्लास में रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर मिल चुका है कि तीनों आदमी सुपीरियर क्लास में हैं। अहमद अली गोरखपुर जेल में मुम्मद यूसुफ फतेहपुर जेल में और अब्दुल मुईज सेंट्रल जेल आगरा में।

श्री कृष्ण शरण आर्य —क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमाअत इस्लामी का केन्द्रीय स्थान कहां है और ब्रांचेज कहां-कहां हैं हमारे प्रदेश में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उसका केन्द्रीय स्थान तो रामपुर में है । शाखें तो बहुत जगह हैं। सबकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि जमाअते इस्लामी के खिलाफ कोई इंक्वायरी करके उनको कसूरवार तस्लीम कर लिया गया है तब गिरफ्तारी की गयी है या यों ही बिला जांच के ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसा कि मैंने बतलाया, उनके खिलाफ शिकायत हैं। तीनो पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। जो शिकायतें हैं वह इस वक्त ट्रिब्युनल के सामने हैं। अदालत फैसला करेगी कि वह सही हैं या गलत ।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि इस भवन के भी कुछ माननीय सदस्य इस जमाअत इस्लामी हिन्द से संबंधित हैं जिनके एक्सट्रा टेरिटोरियल अफिलिएशंस हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि यह जमाअत इस्लामी हिन्द का कोई सम्बन्ध अलीगढ़ की मुस्लिम लीग जमाअत से नहीं है और यह फिरकापरस्त संस्था नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अलग-अलग जमाअतों के आपस के अफिलिएशंस और ताल्लुकात की बाबत मैं कह नहीं सकता ।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस जमाअत की शाख विदेशों में भी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शाख विदेशों में है यह तो नहीं जानता, लेकिन इससे संबंध रखने वाले कुछ लोगों का सम्बन्ध विदेशों में रहने वाली भी कुछ जमाअतों और लोगों से है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या आनरेबिल होम मिनिस्टर मेहरबानी फरमा कर बतलायेंगे कि इस सन् से पहले दस-बारह बरस के पहले यह वाकया है कि जमाअत इस्लामी ने कभी किसी कम्युनल और फिरकापरस्त तहरीक में, जो मुल्क को तबाह करने वाली हो, हिस्सा नहीं लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐंश्येंट हिस्टरी का इतना अच्छा ज्ञान मुझे है नहीं।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या यह सही है कि जमाअते इस्लामी पाकिस्तान में अवैध घोषित हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पाकिस्तान में क्या हुआ। इसकी मुझे इत्तला नहीं है ।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या सरकार इसको यहां अवैध घोषित करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो ऐसा कोई खास खयाल नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि क्या इनकी गिरफ्तारी के पहले लिखी हुयी कुछ शिकायतें आयी थीं, जिनकी बिना पर यह आर्डर गिरफ्तारी के जारी किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह जो कुछ हमारे पास सामान है वह सारे का सारा ट्रिब्युनल के सामने पेश हो गया। उसके फैसले से ही साबित होगा कि हमारे पास क्या सबूत थे।

कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाशित गुप्त विज्ञप्तियां

**२--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार का ध्यान बम्बई के डेमोक्रेटिक रिसर्च सर्विस (Democratic Research Service) की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाशित कतिपय गुप्त विज्ञप्तियों की ओर गया है ? यदि हां, तो इन गुप्त कागजातों में किस आशय की बातें लिखी हुयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां डेमोक्रेटिक रिसर्च सर्विस की ओर से जो अंग्रेजी में "कम्युनिस्ट कांस्पिरेसी एट मदुराई" नाम की पुस्तक छपी है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का गुप्त कार्यक्रम दिया हुआ है जिसमें यह बतलाया गया है कि जनता को विद्रोह के लिए किस प्रकार तैयार करना चाहिये और हथियारों से किस समय और किस प्रकार काम लेना चाहिये।

**३--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या सरकार ने इन गुप्त विज्ञप्तियों की वास्तविकता तथा असलियत के बारे में कोई जांच की है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार को ज्ञात है कि यह कागज असली हैं और वह पूर्णतया सतर्क है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डेमोक्रेटिक रिसर्च कौंसिल के इस पर्चे में जनता को विद्रोह के लिए तैयार करने के लिए क्या-क्या खास बातें लिखी गयी हैं और हथियारों के उपयोग के सम्बन्ध में क्या खास हिदायतें दी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब में आ चुका है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथियारों का उपयोग किस प्रकार से किया जाय इसके विषय में क्या खास हिदायतें दी गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। उसमें यह टैक्निकल लाइन नाम का एक बहुत बड़ा निबन्ध है, उसमें बताया गया है कि हिन्दोस्तान में जैसी गवर्नमेंट वह चाहते हैं वह बगैर हथियारों के इस्तेमाल के हो नहीं सकती और यह भी बताया गया है कि किस तरह से जब आखिर में मौका आयेगा तब हथियार कैसे इस्तेमाल किये जायं और बीच बीच में भी छोटे-मोटे अवसरों पर किस तरह से उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाय, यह सब बातें उसमें बतलायी गयी हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या यह पर्चा उत्तर प्रदेश में भी बंट रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्क करने के लिए वह कोई उपाय करने वाली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का किस पर्चे की तरफ इशारा है लेकिन यह जो कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाशित पुस्तक है जिसको बम्बई के डेमोक्रेटिक रिसर्च सर्विस ने छापा है वह उनके यहां खुले मैदान बिकता है जो लोग चाहें खरीद सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--क्या माननीय गृह मंत्री कृपा करके कुछ प्रकाश डालेंगे कि उस पर्चे में सर्विसेज में भी प्रवेश करने के लिए कुछ ढंग विस्तारपूर्वक बताये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। बलवा करने की कोई ऐसी बात नहीं है जो छूट गयी हो। इसकी तरफ भी संकेत है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---क्या सरकार ने इसके लिये कोई कार्य आरम्भ किया है अथवा कुछ इस सम्बन्ध में उपाय किये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विद्रोह करने के लिए तो वह सारे भारतवर्ष में कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार भी सतर्क है और हम भी सतर्क हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार ऐसी पार्टियों को जिनके बारे में ऐसे लिखित सबूत बिद्रोह करने के मिले हैं, अवैध घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सतर्कता के अन्दर हर किस्म की बातें आती हैं। कब क्या किया जायगा यह नहीं कहा जा सकता।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या यह बात सही है कि इस पुस्तक की सूचना अमेरिकी दूतावास के द्वारा दी गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जो किताब छपती है वह बाजार में बिकती है और उसके लिए मामूली अक्ल की बात है कि अमेरिकी दूतावास की आवश्यकता नहीं होती।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डेमोक्रेटिक रिसर्च सर्विस की तरफ से जब यह पैम्फलेट निकला तो उसके पहले भी क्या सरकार को कम्युनिस्टों के ऐसे प्लान के सम्बन्ध में कोई जानकारी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार को बहुत सी बातों की जानकारी रहती है लेकिन कब किस चीज की जानकारी हुयी इसके बारे में कहना मुनासिब न होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या इस पुस्तक में इस बात का भी कोई जिक्र किया गया है कि हिन्दुस्तान में कब आमतौर से हथियारों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह शायद आवश्यकता तब पड़ेगी जब कम्युनिस्ट पार्टी बलवा करने के लिए चलेगी लेकिन यह भी कहा गया है कि जब किसान मजदूर जनता में अशांति बढ़ जायगी तब शस्त्रों से काम लेना पड़ेगा और प्रजा भी अपने अनुकूल हो जाय तो और भी अच्छा है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या आनरेबिल होम मिनिस्टर मेहरबानी फरमा कर बतलायेंगे कि यू० पी० और नैपाल की सरहद पर इस किस्म की किताबें बांटी गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बांटने का सवाल यूं नहीं पैदा होता कि जो कानफ्रेंस हुयी थी वह बहुत गुप्त कानफ्रेंस थी। यहां तक कि इस कानफ्रेंस में कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बरों को भी नहीं दिखलाया गया। जो खास-खास अंतरंग के मेम्बर थे उन्हीं को दिखलायी गयी। लेकिन किसी न किसी प्रकार से डेमोक्रेटिक रिसर्च सर्विस को पता लगा और उसने पब्लिक की सेवा करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह की ज्यादतियां कर रही है, इसको प्रकाशित किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी अपनी तरफ से इसको शाया नहीं किया।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पुस्तक के लेखकों को गिरफ्तार करके उन पर कोई मुकदमा चलाया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया उनको इनाम देना चाहिए कि उन्होंने बतलाया कि कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से ज्यादतियां कर रही है। गिरफ्तार करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरो---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह किताब किस प्रेस में छपी या प्रेस का कोई नाम ही नहीं दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो मैंने जवाब दिया उससे माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि बिलकुल खुलेतौर पर यह पुस्तक प्रकाशित की गयी है। प्रेस का नाम है, लेखकों का नाम है, मूल्य भी छपा हुआ है लेकिन किसी खास पुस्तक का विज्ञापन करना मेरा काम नहीं है। इसलिए उन ब्योरों को मैं यहां नहीं बतला सकता। अगर माननीय सदस्य मुझसे प्राइवेट तौर पर जानना चाहें तो बतला सकता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बरों का भी मदुराई में होने वाले और बनने वाले इस प्लान के अन्दर कोई हाथ था और यदि था तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह लोग शरीक तो उसमें रहे ही होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के खास अंतरंग में एक साहब उत्तर प्रदेश के हैं ही लेकिन अभी कोई खास कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गयी है।

जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों का चुनाव

४---श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, सन् १९५४ तक जिला बोर्डों तथा ग्राम पंचायतों का चुनाव होने वाला है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के लिए अभी कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चुनाव के पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में कोई संशोधन होने वाला है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, इरादा है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐक्ट में संशोधन करने के पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से भी कुछ सुझाव मांगे जायेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम---आपके सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय स्वशासन मंत्री बतलायेंगे कि पंचायत राज संशोधन विधेयक जो कि इस सदन के सामने उपस्थित है उसके पास हो जाने के बाद अब सरकार के सामने कोई रुकावट नहीं है, तो पंचायतों का चुनाव कब तक हो जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम---पंचायतों के चुनाव होने में, पहले यह बिल जो कि इस वक्त सदन के सामने है वह पास हो जाय और दूसरे सदन से भी पास हो जाय, उसके बाद वह ऐक्ट बन जाय, फिर निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे, सूची बनेगी, यह कार्यवाही जितनी जल्दी हो जायगी उतनी जल्दी चुनाव करवा दिये जायेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सब कार्यवाही करने में सरकार को कितना टाइम लग जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसमें कई फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो यह सवाल है कि दोनों सदन यह बिल कितने दिनों में पास करेंगे और बहुत सी चीजें हैं लेकिन मेरा खयाल है कि कुछ महीने तो जरूर लग जायेंगे।

विदेशी पादरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के लिये प्रलोभन

****५—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि इधर कुछ समय से विदेशी पादरी धन का लोभ देकर के हरिजन तथा अन्य गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति बतलाने का कष्ट करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बात देखने में आ रही है कि कुछ समय से विदेशी पादरियों का ध्यान उत्तर प्रदेश के कुछ भागों की ओर विशेष रूप से गया है और ऐसी भी कुछ शिकायतें आयी हैं कि लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिये प्रलोभन भी दिये जाते हैं।

सरकार न तो किसी को धर्मप्रचार करने से रोकना चाहती है, न समाजसेवा के मार्ग में बाधा डालनी चाहती है परन्तु वह यह जरूर चाहती है कि इन कामों में अनुचित उपायों से काम न लिया जाय और न इनकी आड़ में ऐसे काम किये जायं जो धर्म प्रचार या समाज सेवा से वस्तुतः असम्बद्ध हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन विशेष भागों में इन पादरियों की कार्यवाही ज्यादा बढ़ गई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ तो देहातों में और खासतौर से हमारे उत्तर की तरफ फ्रान्टियर में कुछ उनकी दिलचस्पी बढ़ी हुई मालूम होती है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन देशों के लोग वास्तव में इस कार्यवाही को हमारे प्रदेश में कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें ज्यादातर अमेरिकन हैं लेकिन कुछ लोग और देशों के भी हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि धर्म प्रचार के कार्य से संबद्ध जो उन्होंने उत्तर दिया है क्या धर्म प्रचार के अतिरिक्त उनका कुछ और भी उद्देश्य है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उद्देश्य की बात तो वे ही जानें लेकिन एक आध जगह ऐसा देखा गया कि चुनाव में भी वे दिलचस्पी लेते पाये गये और लोगों से ऐसे सवाल किये जो कि किसी एक विदेश के रहने वाले को किसी दूसरे देश में नहीं करने चाहिये।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार इन पादरियों को जो धर्म के अलावा दूसरे कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे प्रश्नों पर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार दोनों ही विचार कर रही हैं और हमें आशा है कि जल्दी ही इस सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्यवाही की जायगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्या माननीय गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि मथरा जिले में इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के लिये पादरियों द्वारा लिखे हुये कुछ इकरारनामें प्राप्त हुये हैं जिनमें धर्म परिवर्तन के लिये निश्चित धन दिये जाने का वचन है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने ऐसी चीज की तरफ इशारा किया है। मैंने यह कहा था कि ऐसी शिकायतें आयी हैं कि लोगों को धर्म परिवर्तन के लिये प्रलोभन दिया जाता है।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार को मालूम है कि धर्म परिवर्तन के साथ बाहर के क्रिश्चिन मिशनरी लोग यहां के लोगों को एन्टी नेशनल और एन्टी इंडियन बना रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अपने जवाब में मैंने इसका भी कुछ संकेत किया था कि धर्म परिवर्तन के साथ-साथ कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो समाज विरोधी कार्यों से संबंधित हैं।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बहुत से हरिजन भाई हमारे आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों की वजह से ईसाई धर्म कबूल कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं जानता कि प्रस्तुत प्रश्न से इसका क्या सम्बन्ध है। इस प्रश्न के द्वारा हमारे हरिजन भाइयों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि उनकी धार्मिक भावना कहीं ज्यादा प्रबल है और मैं नहीं मानता कि वह इतने गिरे हुये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि कुछ विदेशी पादरियों के पास ट्रान्समिटर भी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह प्रामाणिक रूप से तो नहीं माना जा सकता लेकिन कभी कभी ऐसी शिकायतें आ जाती हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार के पास माननीय श्री हरगोविन्द पन्त ने बहुत से पत्र इस प्रकार के भेजे कि अल्मोड़ा जिले में विदेशी पादरी इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं जिससे यह मालूम होता है कि उनके पास ट्रान्समिटर है और उससे वह खबर भेजते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि माननीय श्री हरगोविन्द पन्त के पत्रों की बातें मुझे याद नहीं है किन्तु इस प्रकार की शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि पादरियों की गतिविधि ऐसे क्षेत्रों में अधिक है जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है और इसी वजह से गोरखपुर डिवीजन में भी उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, उनकी गतिविधि हर एक जगह पर है परन्तु जैसा मैंने निवेदन किया कि खासतौर से उनका ध्यान इस समय फ्रान्टियर की तरफ गया है गरीबी की तरफ नहीं गया है और सम्भवतः वहां पर दूसरी शक्ल होगी।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के करसौरा ग्राम में जब हरिजनों का दूसरा दल रुपया देकर भी धर्म परिवर्तन के चंगुल में न फंसा तो फिर ईसाइयों ने गिरजा घर को तोड़ने का झूठा इल्जाम लगा कर मुकदमा चलाया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो इस प्रकार के मामले हैं कि जिन पर अभी मुकदमा चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार के पास कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि जिनसे यह पता चल सके कि इतने लोग पादरियों द्वारा ईसाई बनाये जा चुके हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक हमको मालूम है लोग बहुत कम ईसाई बने हैं।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार इन विदेशी पादरियों को जो कि हमारे घरेलू मामलों में दिलचस्पी लेते हैं उनको देश से बाहर भेजने की बात पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। देश के बाहर भेजने की बात कही गई वह इस प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं रखती।

लखनऊ का शान्ति सम्मेलन

****६---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के गृह विभाग को लखनऊ में अभी हाल में हुये शान्ति सम्मेलन की कार्य-वाहियों की सूचना है? यदि हां, तो उस सम्मेलन के मुख्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- जी हां,। जहां तक शान्ति के समर्थन और भयानक शस्त्रों के बहिष्कार की बात है सरकार इन उद्देश्यों से सहमत है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस शांति सम्मेलन के संयोजक कौन लोग थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शान्ति सम्मेलन तो प्रायः कम्यूनिस्ट लोग और उनके फैवरिट्स ही किया करते हैं?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---क्या माननीय गृह मंत्री को यह सूचना है कि शान्ति सम्मेलन का जो प्रकट उद्देश्य है उसके अतिरिक्त और कुछ भी उद्देश्य है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मदुरा में जो गुप्त कान्फ्रेंस कम्युनिस्टों की हुई उसमें यह पता चला कि यह कहा गया कि इन कान्फ्रेंसेज से एक यह भी फायदा उठाना चाहिये कि भारत सरकार अपने यहां फौज पर बहुत सा रुपया खच कर रही है और जनता के हित के कामों में कुछ नहीं करती। इन बातों की तरफ जनता का ध्यान दिलाना चाहिये ताकि भारत सरकार के प्रति लोगों की अश्रद्धा बढ़ती जाय। यह भी उनका एक गुप्त उद्देश्य मालूम होता है।

अध्यक्ष, जिला बोर्ड, फैजाबाद के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव

****७---श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अध्यक्ष जिला बोर्ड फैजाबाद के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लगभग एक महीना हुआ पास हो चुका है?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां।

****८---श्री अवधेश प्रताप सिंह** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो अध्यक्ष जिला बोर्ड, फैजाबाद को हटाने की क्या कार्यवाही सरकार ने की है?

श्री मोहन लाल गौतम---मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

रायबरेली जिले में लगान वसूली में ज्यादतियां

**९---श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले की रोहनियां, गंगसरी, उमरन और अन्तरीग्राम में लगान वसूली में की गई ज्यादतियों की जिलाधीश रायबरेली द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---जी हां ।

१०---श्री दल बहादुर सिंह**---यदि हां, तो सरकार उक्त जिलाधीश की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---जिलाधीश की रिपोर्ट की प्रतिलिपि, जनहित की दृष्टि से मेज पर रखना उचित न होगा।

श्री दल बहादुर सिंह---क्या यह सही है कि इस जांच के परिणामस्वरूप ४ अमीन, १ चपरासी और १ नायब तहसीलदार को बरखास्त कर दिया गया ?

श्री चरणसिंह---यह सही है कि ४ अमीन और १ चपरासी को बरखास्त कर दिया गया है ।

श्री दल बहादुर सिंह---क्या यह सही है कि इसकी जांच के सिलसिले में जो शिनाख्त की गई उसमें मुसलमान अमीनों ने तिलक लगाया और हिन्दू अमीनों ने जिन्ना कैप और तुर्की टोपी लगाई ?

श्री चरणसिंह---अब इतनी तफसील की इत्तिला तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे ज्यादतियां किस प्रकार की थीं ?

श्री चरणसिंह---कुछ बिना वारंट के कुर्की आदि करना, शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना, गाली देना या और ऐसे अन्य प्रकार के बर्ताव करना जो किसी राज्य कर्मचारी के लिये शोभा नहीं देता।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सिलसिले में कोई मजहमत होने की भी शिकायत थी ?

श्री चरणसिंह---अब शिकायत तो किसानों की ओर से आई तो वे मजहमत की शिकायत क्यों करते ? अगर राज्य कर्मचारियों की ओर से ऐसी शिकायतें आतीं तो मालूम होता कि ऐसी शिकायत थी या नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---रोहिनयां, गंगसरी, उमरन और अन्तरी ग्रामों में कितने किसानों को चोट लगी और उनका कितना नुकसान हुआ ?

श्री चरणसिंह---नुकसान का कोई सवाल नहीं है। चोट की तफ़सील मेरे पास नहीं है। सिर्फ एकाध चपत वगैरह की बात है और उस पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री दल बहादुर सिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री के पास किसी किसान ने अपना डाक्टरी मुआयना भी दाखिल किया है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, और वह तहकीकात के लिये भेज दिया गया है

श्री गेंदासिंह--क्या जिलाधीश साहेब की रिपोर्ट में तहसीलदार और नायब तहसीलदार निर्दोष पाये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--जहां तक कलेक्शन नायब तहसीलदार का मामला है वह अभी जेरेतफतीश है और उनकी जिम्मेदारी भी मालूम होती है। छोटे कर्मचारी जो हैं कम से कम जो कलेक्शन अफसर हैं, उनके सिलसिले में अभी गौर हो रहा है।

शक्कर के मूल्य में आकस्मिक वृद्धि

**११--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि बाजार में लगभग दो आना प्रतिसेर शक्कर का भाव बढ़ गया है। यदि हां, तो इस तेजी का क्या कारण है और सरकार उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--जी हां, ख्याल है कि शक्कर के मूल्य की यह आकस्मिक वृद्धि मुख्यतः कुछ लोगों की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति के कारण है जो गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष शक्कर के उत्पादन की कमी का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

अगस्त सन् १९५३ से मार्च सन् १९५४ तक प्रदेशीय सरकार ने ३,६०६ टन शक्कर केन्द्रीय सरकार कंट्रोल दर पर प्राप्त करके उसे ३३ जिलों में उनकी मांग के अनुसार अधिक से अधिक सवा बारह आना प्रतिसेर की फुटकर दर पर बिकने के लिये बांट दिया। इसके उपरान्त प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कंट्रोल दर पर और १,५०० टन शक्कर मंगा रक्खा है जो प्राप्त होने पर उनके मांग के अनुसार जिलों में बांट दी जायगी।

**१२--श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि खरीदारों ने शक्कर को मिलों में खरीद लिया है और उसे तेज बेचने के इरादे से बाजार में नहीं ला रहे हैं ?

श्री बनारसी दास--प्रदेशीय सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख से सवा बारह आना सेर शक्कर बांटने को दी गयी है ?

श्री बनारसी दास--अभी बताया कि जिस वक्त सूचना प्राप्त हुई है ३,६०६ टन शक्कर लोगों को बांटने के लिये दी गई है। १५०० टन शक्कर अभी नहीं बांटी गई जैसे ही प्राप्त होगी और जिलों को भेज दी जायगी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सवा बारह आना सेर शक्कर हर दुकान से मिलेगी ?

श्री बनारसी दास--जिन जिलों में शक्कर मांगी गयी थी उन जिलों में वहां के जिलाधीश ने कुछ डीलर्स नियुक्त किये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--जिन लोगों ने मिल से शक्कर लेकर दाब रक्खी है, बाजार में नहीं आने देते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास--इस वक्त शक्कर की कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं है इस लिये उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि इस वक्त बाजार में १ रुपया सेर शक्कर बिक रही है ?

श्री बनारसीदास---जी हां, कुछ इस प्रकार की भी शिकायतें कहीं-कहीं से आयी हैं कि उसका दाम एक रुपया सेर हो गया है लेकिन ज्यादातर एक रुपया से भाव कम ही है। इस खबर से कि सरकार ने नियंत्रित भाव पर शकर बंटवाने की व्यवस्था की है, भाव कुछ नीचे गिरा है।

श्री गेंदासिंह---क्या इस तरफ सरकार का ध्यान गया है कि हिन्दुस्तान में सब से तेज शक्कर यू० पी० में ही बिक रही है?

श्री बनारसीदास---इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और न ऐसा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि बाहर से आने वाली चीनी का कुछ कोटा यहां भी भेजा जाय।

श्री बनारसीदास---जी हां, इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये प्रदेश के फूड कमिश्नर को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है।

श्री हमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो भाव बढ़े हैं वे फुटकर भाव बढ़े हैं या एक्स-मिल पर भी बढ़े हैं?

श्री बनारसी दास---जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार दोनों ही भावों में वृद्धि हुई है।

श्री जोरावर वर्मा---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना प्राप्त करने की कृपा करेंगे कि खरीदारों ने शक्कर को मोल ले लिया है और तेज भाव पर बाजार में बेचने के लिये उसको दबा दिया है?

श्री बनारसी दास---यह पहले ही बताया जा चुका है कि सटोरियों ने आर्डर कर दिये हैं और उसको जमा कर रक्खा है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सटोरियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री बनारसी दास---यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है। प्राइसेज को किस तरह गिराया जाय इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री शिव कुमार शर्मा---क्या सरकार इस विषय में प्रकाश डालेगी कि वह १३ आना सेर चीनी का भाव मैंनटेन करने में क्यों नाकामयाब रही?

श्री बनारसी दास---जैसा कि उत्तर दिया जा चुका है चीनी पर कोई नियंत्रण नहीं है। मिल वालों ने यह आश्वासन दिया था कि निश्चित दर पर शक्कर जनता को दी जायगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण ये भाव बढ़ गये हैं?

श्री बनारसी दास---जी नहीं।

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार बढ़ते हुए दामों के कारण नियंत्रण लगाने की कोशिश करेगी?

श्री बनारसी दास---प्राइसेज किस तरह से गिराई जायं, बाजार से लोगों को ठीक दाम पर शक्कर अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके, यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और जैसा कि मैंने बताया प्रान्तीय सरकार की ओर से फूड कमिश्नर को वहां भेजा गया है।

तारांकित प्रश्न

अमेरिकी डाक्टर से मिलने के लिये मेरठ व रुहेलखंड की लेडी प्रिंसिपल्स तथा रीजनल इन्सपेक्ट्रेस की कांफ्रेन्स

*१--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिवाली के करीब किसी विदेशी विशेषज्ञ से मिलने के लिए मेरठ व रुहेलखंड की लेडी प्रिंसिपल्स तथा रीजनल इंसपेक्ट्रेस की कोई कांफ्रेन्स बुलाई गयी थी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)-- जी हां ।

*२--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार इन विदेशी विशेषज्ञ का नाम, राष्ट्र तथा विशेषज्ञता का ब्योरा देने की कृपा करेगी ? इन पर उत्तर प्रदेश सरकार कितना खर्च करती है ?

डाक्टर सीताराम--विशेषज्ञ महोदय का नाम डा० जे० बी० नैश है। आपके राष्ट्र का नाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। आप शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन विभाग, न्यूयार्क विश्वविद्यालय अमेरिका के चेयरमैन हैं। आपकी विशेषता निम्न प्रकार है :--

ग्रेजुएट औबर्लिन कालेज, फेलोशिप प्राप्त, डाक्टर आफ फिलॉसफी, संचालक, फिजीकल एजुकेशन कैलिफोर्निया स्टेट। इनके भ्रमणकाल में विभाग का कुछ खर्च नहीं हुआ है न तो ऐसे कार्यों के लिये कोई अलग से बजट ही है।

*३--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बतायेगी कि इस कांफ्रेन्स में कितना रुपया किन-किन मदों में खर्च हुआ ?

डाक्टर सीताराम--कुछ नहीं।

श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस कांफ्रेन्स को बुलाने का क्या उद्देश्य था ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--फिजिकल कल्चर योजना के बारे में किसी योजना पर डिस्कशन।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी कोई वजह बतला सकते हैं कि इस कांफ्रेंस में फिजिकल कलचर टीचर्स को क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री हर गोविन्द सिंह--बुलाया गया।

श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि कोई भी फिजिकल कल्चर टीचर इसमें शामिल नहीं था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह बिल्कुल गलत है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कांफ्रेंस किस स्थान पर बुलायी गयी थी ?

श्री हर गोविन्द सिंह--कौंसिल हाउस में ही बुलायी गयी थी।

श्री भवगान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन आदमियों को इस कांफ्रेंस में शामिल होने के लिये बुलाया गया था उनके टी० ए० और डी० ए० में सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ ?

श्री हर गोविन्द सिंह---इसका कोई अलग हिसाब नहीं हुआ है। वे तो विभागीय अफसर थे और कानूनी तौर पर जो उनका टी० ए० होता है वह मिलेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अमेरिकन विशेषज्ञ को बुलाने के सिलसिले में क्या अलग-अलग देशों से बात होने के बाद उनको चुना गया था या यही मिले हमको, दुनिया में और कोई नहीं मिला ?

श्री हर गोविन्द सिंह---यह तो मैं नहीं जानता कि कैसे आये लेकिन वे सारे हिन्दुस्तान का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने यहां भी लिखा कि हम फिजिकल कल्चर एजुकेशन के बारे में आपके विभागीय कर्मचारियों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, उसका इन्तजाम भी देखना चाहते हैं। उन्होंने यहां के कुछ कालेजों का निरीक्षण भी किया और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से फिजिकल कल्चर की शिक्षा दी जाती है और उसी सिलसिले में यहां एक छोटी सी कान्फरेंस कर दी गयी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस सम्मेलन में इस प्रान्त के कुश्ती लड़ने वाले कुछ पहलवान भी बुलाए गए थे ?

श्री हर गोविन्द सिंह---हां, आपको भी बुलाने का इरादा तो था लेकिन शायद बाद को नहीं बुलाया गया।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस कांफ्रेंस ने कुछ सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो सरकार ने आज तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---मैं समझता हूं कि इसको कानफरेंस कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें अमेरिकन विशेषज्ञ और यहां के विभागीय राज कर्मचारियों को मिला कर कुल १०-१२ आदमी थे।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी इन दस बारह आदमियों के, जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, नाम और पद बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह---जी हां, यदि आपको दिलचस्पी होगी और आप कोई दूसरा सवाल पूछेंगे तो मैं जरूर बतला दूंगा।

श्री भगवान सहाय---सवाल तो मैंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये वे सूचना चाहते हैं। इसका गोल सा इशारा उन्होंने कर दिया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी चीनी और रूसी दूतावासों से परामर्श करेंगे कि वे अपने यहां के फिजिकल कल्चर विशेषज्ञ हमारे यहां भेजें ?

श्री हर गोविन्द सिंह---इरादा तो ऐसा नहीं है।

जौनपुर जिले में प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षा शुल्क में वृद्धि

५---**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डि० बो० जौनपुर ने जुलाई, सन् १९५३ ई० से अपर प्राइमरी पाठशालाओं का शिक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाओं का बढ़ा दिया है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

जुलाई, १९५३ के पूर्व	जुलाई, १९५३ के पश्चात्
कक्षा १ में २ पैसा	१ आना
कक्षा २ में २ आना	२ आना
कक्षा ३ में २ आना	३ आना
कक्षा ४ में २ आना	४ आना
कक्षा ५ में २ आना	५ आना।

आर्थिक संकट के कारण परिषद् ने शुल्क बढ़ाया है।

*५--श्री बाबू नन्दन--क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को शिक्षा शुल्क बढ़ाने के लिये सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? यदि हां, तो क्या ऐसी अनुमति जिला बोर्ड जौनपुर ने अपर प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षा शुल्क बढ़ाने के लिये ली है?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

जी नहीं। जिला अध्यक्ष को सूचित किया गया है कि परिषद् को चाहिये कि इस विषय में नियम का भली भांति पालन करे।

बेकारी दूर करने की योजना

*६--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेकारी दूर करने के हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश में बेकारी दूर करने के लिये सरकार अपने साधनों के अनुरूप विभिन्न विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा उपाय कर रही है। प्रत्येक उन्नतिशील योजना बनाने में यह ध्यान रक्खा जाता है कि जहां तक सम्भव हो वह बेकारी की समस्या को भी दूर करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस सरकार ने लगभग ४० करोड़ की योजनायें बेकारी को दूर करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी हैं, यदि हां, तो उनमें से कितनी स्वीकृत हुई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिए सूचना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या इस सरकार को बेकारी दूर करने की योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई विशेष ग्रान्ट मिली है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तक तो जहां तक मेरी जानकारी है कोई नहीं मिली है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या सरकार ने बेकारी दूर करने की योजना बनाने के लिए बेकारों की संख्या जानने की कोई कोशिश की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आंकड़ों के आधार पर बता सकते हैं कि शिक्षित बेकारों की संख्या क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना मांगी जाय तो मैं बतला सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल--सरकार ने प्रदेश की बेकारी को दूर करने के लिये क्या स्कूलों में कृषि शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, जिन उपायों से काम लिया गया है उनमें से एक यह भी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि हमारे सूबे की इंडस्ट्री में जो रेशनेलाइजेशन की स्कीम जारी होगी और उससे जो बेकारी बढ़ेगी उसको रोकने का कोई निश्चित कदम सरकार उठावेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार की तरफ से कई बार कहा गया है कि हम अपने सूबे में रेशनेलाइजेशन की ऐसी स्कीम नहीं चलाना चाहते जिससे बेकारी बढ़े।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कारखानों में जो प्ले आफ वग़ैरा होता है उसको कानूनी तरीके से बन्द करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अव्वल तो यह सवाल केवल इस सूबे का ही नहीं सारे देश का है, अकेले इस सूबे का ही इस सिलसिले में अलग कानून नहीं बन सकता, दूसरे प्ले आफ वग़ैरा ऐसी चीजें हैं जो कभी-कभी जरूरी होती हैं इसलिये कानून बनाकर उनको रोकना मुश्किल है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस बात के जानने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने शिक्षित और कितने अशिक्षित बेकार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सवाल पहले भी उठ चुका है और मैं बतला चुका हूं कि प्लानिंग कमीशन का ऐसा विचार है कि देश में बेकारों की संख्या जानने की कोशिश करें और जब उनकी तरफ से कोशिश होने वाली है तब हम अलग से कोशिश करें इसकी आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अनुसार शिक्षित बेकारों की संख्या आज राज्य में क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी श्री नारायण दत्त तिवारी के सवाल के उत्तर में कहा था कि अगर इसकी सूचना दी जायगी तो मैं यह सूचना दे सकूंगा।

*७--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*८-९--**श्री गेंदासिंह**--[२२ अप्रैल, १९५४ को प्रश्न संख्या ४८-४९ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

पूर्वी जिलों के बाढ़पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों का आर्थिक सहायता के लिये स्मृति-पत्र

*१०--**श्री गेंदासिंह**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बाढ़पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों की ओर से, जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कोई स्मृति-पत्र आर्थिक सहायता के लिये मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

सरकार उसे स्वीकर करने में इस समय असमर्थ है।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि सरकार के ऐसा निर्णय करने के बाद बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ना छोड़ देना पड़ा?

श्री हर गोविन्द सिंह--ऐसी कोई सूचना तो नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री सूचना एकत्रित करने का प्रयत्न करेंगे?

श्री हर गोविन्द सिंह--कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

जिला आजमगढ़ में मधुबन थाना के पास परगनाधीश की कार से एक हरिजन की मृत्यु

*११--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि नवम्बर सन् १९५२ में मधुबन थाना जिला आजमगढ़ के पास किसी परगनाधीश की कार से किसी एक हरिजन की मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो किस परिस्थिति में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। परिस्थिति का विवरण साथ में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६४ पर)

*१२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि हरिजन परिवार को क्या परगनाधीश ने कुछ मुआवजा दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि थाने में रिपोर्ट टीमल चमार के दस्तखत से हुई या परगना हाकिम के दस्तखत से?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता कि किसके दस्तखत से थाने मे रिपोर्ट हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि परगना हाकिम ने अपने मन के अनुकूल लिखवाने के लिये टीमल चमार को सिविल सर्जन के यहां नहीं पेश होने दिया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस बात का कोई प्रमाण तो है नहीं कि उन्होंने अपने मन के अनुकूल रिपोर्ट लिखवा ली।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटना की जांच किस अफसर के द्वारा कराई गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री फजल अहमद खां, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, फूलपुर ने की और उनके सामने १० गवाह भी पेश हुये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि टीमल चमार के पिता को कोई मुआविजा देने का आश्वासन परगना हाकिम ने दिया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुमकिन है, जबानी कुछ दिया हो, लेकिन रिकर्ड में कुछ नहीं है।

श्री भगवान सहाय--इस ऐक्सीडेंट से जो आदमी मरा उसके रिवर्शनर्स को कोई मुआविजा दिया गया है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो प्रश्न १२ के उत्तर में दे दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि टीमल का पोस्ट-मार्टम नहीं हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय--क्या यह सही है कि परगना हाकिम स्वयं उस कार को चला रहे थे और उनकी वह कार वेहिकिल्स ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कार चला रहे थे यह तो मालूम है लेकिन रजिस्टर्ड थी या नहीं थी इसका कोई रिकर्ड तो मिलता नहीं है न किसी ने किसी स्टेज पर ऐसा सवाल उठाया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि जिस कार को हाकिम परगना महोदय चला रहे थे उसके ब्रेक खराब थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो रिपोर्ट है उससे तो ऐसा नहीं मालूम होता।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि परगनाधीश महोदय ने उस लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और फिकवा दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पोस्टमार्टम नहीं होने दिया इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने खुद लाश को उठा कर थाने पहुंचाया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है

देवरिया जिले के खेतिहर मजदूरों में बेकारी

*१३--**श्री बद्रीनारायण मिश्र** (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि देवरिया जिला के खेतिहर मजदूरों के लिये वह क्या कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनके लिये राज्य के अन्य भागों के मजदूरों से भिन्न कोई व्यवस्था नहीं है।

*१४--**श्री बद्रीनारायण मिश्र**--क्या अनपढ़ लोगों की बेकारी दूर करने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार अपने साधनों के अनुरूप विभिन्न विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा सभी के लिये, जिनमें अनपढ़ लोग भी शामिल हैं, बेकारी कम करने का उपाय कर रही है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि देवरिया जिले में खेतिहर मजदूरों की संख्या कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरे पास इसकी कोई संख्या नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि और जिलों में मजदूरी का जो नियम लागू है वह देवरिया जिले में नहीं लागू है और वहां पर लोग बहुत कम मजदूरी दे रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सही है लेकिन मैं याद दिलाऊं कि लेबर बजट पेश करते वक्त मैंने बतलाया था कि इस साल के अन्दर ही देवरिया जिले में वह नियम लागू हो जायगा।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में गत तीन वर्षों में खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त इस किस्म की मेरे पास सूचना नहीं है ।

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अन्धों के स्कूल

*१५--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने और कहां-कहां सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अंधों के लिये स्कूल हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--केवल ६ सरकारी सहायता प्राप्त संस्थायें अंधों के लिये हैं जिनकी तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६५ पर)

*१६--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त असरकारी संस्थाओं (अन्धविद्यालयों) को सरकार क्या सहायता देती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक स्कूल के समक्ष सहायता का धन अंकित है ।

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों द्वारा पुनः आन्दोलन

*१७--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना है कि प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक पुनः आन्दोलन शुरू करने वाले हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी नहीं ।

थाना कलियानपुर, जिला कानपुर के अन्तर्गत वारदातें

*१८--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत जनवरी, सन् १९५२ से अगस्त, सन् १९५३ तक थाना कलियानपुर, जिला कानपुर के अन्तर्गत मसवानपुर, रावतपुर, विनायकपुर में कितनी रिपोर्टें चोरी, डकैती, अपहरण, कत्ल, मारपीट, आदि की हुईं और उनमें से कितने मुकदमें चले और कितने कामयाब हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी गई सूचना संलग्न नकशे में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६६ पर)

*१९--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलियानपुर थाने से संबन्धित शिकायतें कानपुर के पुलिस अधिकारियों से की गईं ? यदि हां, तो उनपर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी तीन शिकायतें की गईं । जांच करने से मालूम हुआ कि निराधार थीं ।

*२०-२१--श्री धर्मसिंह--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला अल्मोड़ा के गंगोली हाट मुकाम पोखरी में जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण

*२२--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा के गंगोलीहाट मुकाम पोखरी में गांव की जनता ने श्रमधन द्वारा जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग करीबन आधी बना दी है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, श्रमदान द्वारा नहीं बनी है।

*२३--श्री खुशीराम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बिल्डिंग के लिये कितनी राजकीय सहायता मंजूर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--कुछ नहीं, स्कूल अमान्य है।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह "नहीं" जो कहा गया है वह किस आधार पर कहा गया ?

डाक्टर सीताराम--यह स्कूल जो है वह श्रमदान से इसलिये नहीं बना है क्योंकि ८ हजार रुपया वहां के एक धनी आदमी ने दिया था और वह रुपया वहां पर युटिलाइज किया गया इसलिये श्रमदान से बनवाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस स्टेशन अछनोरा, जिला आगरा की पुलिस के अत्याचारों के सम्बन्ध में जांच

*२४--श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार को पता है कि पुलिस स्टेशन अछनेरा, जिला आगरा की पुलिस की जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ उस हल्के की जनता ने कोई आन्दोलन चालू किया था और वह आन्दोलन जिलाधीश के इस आश्वासन पर रोक दिया गया था कि वे उसकी खुली जांच करायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ लोगों ने एक आन्दोलन चलाया था जिसके कारणों में पुलिस की ज्यादतियों का भी उल्लेख था। आन्दोलन स्वतः निर्जीव था, जिलाधीश के आश्वासन से उसको बन्द करने का बहाना मिल गया।

*२५--श्री मलखान सिंह--क्या सरकार को पता है कि यह खुली जांच तारीख २६ दिसम्बर, १९५३ से ३ जनवरी, १९५४ तक श्री दुबे Dy. S. P. और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट श्री के० सी० गोविल के जरिये हुयी जिसमें उस हल्के के ६६ पीड़ित व्यक्तियों ने गवाहियां दीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*२६--श्री मलखान सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस जांच का क्या नतीजा निकला और उस पर जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जांच करने पर प्रमाण न मिलने के कारण आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

श्री मलखान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन आन्दोलनकारियों के स्मृतिपत्र में क्या क्या मांगें थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तीन मांगें उनकी थीं। सब से पहली मांग जो मुख्य थी वह यह थी कि स्वामी विशेश्वरा नन्द को बगैर किसी शर्त के फौरन छोड़ दिया जाय। दूसरी मांग यह थी कि अछनेरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन आफिसर को बदल दिया जाय। तीसरी मांग यह थी कि अछनेरा पुलिस के खिलाफ खुली जांच की जाय।

श्री मलखान सिंह---क्या ६६ आदमियों ने वहां के थानेदार के खिलाफ गवाहियां दीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---६६ आदमियों ने गवाहियां दीं और वह सब रिकार्ड मेरे पास मौजूद है। लेकिन वह गवाहियां ऐसी हैं कि एक दूसरे को काटती हैं यहां तक कि बाप बेटे की गवाही एक दूसरे के खिलाफ पड़ती है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या इस केस को सरकार अदालत में भेजने के लिये तैयार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझा नहीं, कोई केस वहां है नहीं। कुछ लोगों ने एक कागज पर लिख करके एक दरख्वास्त दी और उसकी जांच हो गयी और कोई केस है नहीं।

१९५३-५४ में लखनऊ में क़त्ल

*२७---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५३ से फरवरी, १९५४ तक कितने कत्ल लखनऊ शहर में हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२०।

*२८---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन कत्लों में से कितने केस चालान होकर सजायाब हुये और कितने चालान ही नहीं हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---११ केस चालान हुए जिनमें से ४ सजायाब हुये और ९ में चालान नहीं हुआ।

जिला लखनऊ के कुछ ग्रामों में अमरीकियों का दौरा

*२९---श्री श्याममनोहर मिश्र (जिला लखनऊ)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लखनऊ जिले के कुछ गांवों में इधर दो तीन मास से कुछ अमेरिकन दौरा कर रहेहैं और बख्शीतालाब (जिला लखनऊ) के निकट गोहना ग्राम में निवास करते हैं ?

*३०---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनका यहां आने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय कोई अमेरिकन बख्शी तालाब (जिला लखनऊ) के निकट गोहना ग्राम में स्थायीरूप से निवास नहीं करते हैं। गत दिसम्बर, जनवरी में अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय रहन सहन प्रयोग टीम के कुछ सदस्यों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से बख्शीतालाब के निकट गांवों का दौरा किया था। यह टीम कुछ अरसे से भारतीय परिवारों तथा खान पान, रहन सहन, रस्म रिवाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस देश में भ्रमण कर रही थी और इसी उद्देश्य से यह टीम बख्शी तालाब के निकट के गांवों में भी गयी थी। इस प्रकार का कुछ अध्ययन कार्य अब भी जारी है।

जौनपुर जिले में चोर तथा डाकुओं को पकड़ने के लिये इनाम

*३१---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में पुलिस विभाग की तरफ से कितना रुपया जनता के लोगों को किन-किन थाने के अन्तर्गत चोर तथा डाकुओं के पकड़ने के संबंध में दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ग्राम मीरशादपुर के कुछ निवासियों को सन् १९५३ में ५० रुपया तथा ग्राम आदीपुर के कुछ लोगों को ४५ रु० दिया गया।

*३२-३३---श्री गंगा प्रासाद (जिला गोंडा)---[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला अलीगढ़ में डकैतियां और क़त्ल

*३४--श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में जिला अलीगढ़ में कितनी डकैतियां हुईं और उनमें कितने व्यक्ति मारे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५१ में ३१, १९५२ में २७ तथा १९५३ में ३२ डकैतियां हुईं और उनमें क्रमशः ४,८ व ८ व्यक्ति मारे गये।

*३५--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कितने व्यक्ति कत्ल किये गये और उसके कितने मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गत वर्ष ५२ व्यक्ति कत्ल हुये। २५ मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं।

थानेदारी के चुनाव में हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थान

*३६--श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत थानेदारी के चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार चुने गये ? इनमें कितने स्थान हरिजनों के सुरक्षित थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुल ७१ उम्मीदवार चुने गये जिसमें १३ स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित थे।

*३७--श्री चुन्नीलाल सगर (अनुपस्थित)--या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत थानेदारी के चुनाव में हरिजन समुदाय के कुल कितने उम्मीदवार सम्मिलित हुये और उनमें से कितने लिए गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हरिजन समुदाय के कुल ४२ उम्मीदवार चुनाव में सम्मिलित हुये और उनमें से १३ लिये गये।

*३८-३९--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किए गए।]

*४०--श्री पुत्तू लाल--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला खीरी में गोला गोकरन नाथ स्टेशन पर इम्पीरियल बैंक के रुपये की लूट

*४१--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जनवरी, सन् १९५४ के अंतिम सप्ताह में खीरी जिले के गोलागोकरननाथ स्टेशन पर दिन को १ बजे इम्पीरियल बैंक का एक लाख नब्बे हजार रुपया लूटा लिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*४२--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार डकैतों के इस गैंग का पता लगा पाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी पता नहीं लगा। जांच जारी है।

*४३--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की डकैतियों के निवारण हेतु कोई उपाय सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस प्रकार के गिरोहों को पकड़ने में सरकार प्रयत्नशील है।

फैजाबाद जिले में जेल और हवालात के निरीक्षकों की नियुक्ति

*४४--श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में जेल और हवालात के निरीक्षक कौन से व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--फैजाबाद जिला जेल के लिये सर्वश्री ए० ए० जाफरी, हयात मुहम्मद और श्रीमती जे० आर० डब्लू पोटर्स गैर-सरकारी निरीक्षक नियुक्त किये गए हैं। फैजाबाद में कोई हवालात अलग से नहीं है, और न किसी हवालात के लिये निरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं।

पुलिस कर्मचारियों की बर्खास्तगी

*४५--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कितने पुलिस कर्मचारियों को भ्रष्टाचार तथा अकार्य कुशलता के अपराध में नौकरी से पृथक कर दिया गया है ? प्रत्येक जिले में इनकी संख्या कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५३ में १५९ पुलिस कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में तथा १७७ को अकार्य कुशलता के अपराध में नौकरी से पृथक किया गया। प्रत्येक जिले तथा यूनिट में इनकी संख्या का विवरण पत्र संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६७-४६८ पर)

देवरिया कोतवाली से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों पर घूस के मुकद्दमे

*४६--श्री रामेश्वर लाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि देवरिया जिला के देवरिया कोतवाली से संबंधित कितने पुलिस कर्मचारियों पर घूस के मुकदमे सन् १९५२, १९५३ और १९५४ में चले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केवल सन् १९५२ ई० में इस थाने के एक पुलिस कान्सटेबिल के विरुद्ध घूस लेने का मुकदमा चला।

हरिजनों के उद्योग-धन्धों के लिये आर्थिक सहायता देने का सिद्धान्त

*४७--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में हरिजन सहायक विभाग द्वारा किस आधार पर तथा सिद्धांत पर उद्योग-धंधों लिये के आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस प्रदेश में हरिजन सहायक विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उद्योग-धंधों के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४६९-४७८ पर।)

पीलीभीत में आर्म्स लाइसेंसों का वितरण

*४८--श्री उमाशंकर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत जिले में जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में कितने और कौन-कौन से आर्म लाइसेंस किन-किन तारीखों में दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४७९ पर।)

बस्ती जिले में आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंसों का वितरण

*४९--श्री राजाराम (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने लोगों को बन्दूक, पिस्तौल आदि आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस सन् १९५३ में दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१६४ लाइसेंस।

*५०--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितने लाइसेंस खेती की रक्षा में दिए गए हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इनमें से कोई लाइसेंस खेती की रक्षा के लिए जो कि फार्म १९ में दिये जाते हैं, नहीं दिए गए।

बोनस न बाटने के कारण कानपुर के सूती मिलों के डाइरेक्टरों पर मुकद्दमा

*५१--श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के किन किन सूती मिलों के किन किन डाइरेक्टरों पर २९ नवम्बर, सन् १९५३ तक मजदूरों का बोनस न बांटने के कारण मुकदमा चलाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बोनस न बांटने के कारण जिन सूती मिलों के डाइरेक्टरों पर मुकदमा चलाया गया है, उनके नाम ये हैं :

मिल का नाम	डाइरेक्टरों के नाम
१--मेसर्स जे० के० काटन मैन्यूफैक्चरर्स लि०, कानपुर	श्री प्यारेलाल सिंहानिया
	श्री हेमंतपति सिंहानिया
२--स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	श्री एम० एल० बागला
	श्री वी० एल० जैपुरिया
	श्री सीताराम जैपुरिया
	श्री मंगतूराम जैपुरिया
३--लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर	श्री सुखनन्दो दयाल गर्ग
	श्री राम प्रसाद गुप्ता
४--म्यूर मिल्स कं० लि०, कानपुर	श्री हरशंकर बागला
	श्री रामेश्वर प्रसाद बागला
५--न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	श्री जे० पी० श्रीवास्तव
	श्री जे० के० श्रीवास्तव
	श्री पी० के० सहगल
६--एथर्टन वेस्ट कं० लि०, कानपुर	श्री ए० एच० वेस्ट
	श्री वी० वेस्ट
	श्री पदमपत सिंहानिया
	श्री ए० एच० वकलैन्ड

बस्ती जिले में जिला बोर्ड की व सरकारी प्राइमरी पाठशालाएं

*५२--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में बोर्ड व सरकार की कुल कितनी प्राइमरी पाठशालायें ह ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कुल ६२४ प्राइमरी पाठशालायें हैं।

प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद तथा मेरिस कालेज, लखनऊ को सहायता

*५३---**श्री कल्याण चन्द्र मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद और मैरिस कालेज, लखनऊ को पिछले तीन बजट सालों में कितनी कितनी सहायता दी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

संगीत विद्यालय, प्रयाग				मैरिस कालेज लखनऊ।		
वर्ष	आवर्तक	अनावर्तक	योग	आवर्तक	अनावर्तक	योग
	रु०	रु०	रु०	रु०		रु०
१९५१-५२	१९९२	२८२७ पूरक	४८१९	१३००० अनुपालन ४८०० रु० (भवन का किराया) ९०० रु० छात्रवृत्ति	१५००० रु० २८००० रु० (नेशनल एकेडमी आफ हिन्दुस्तानी म्युजिक को स्थापना हेतु) ५००० रु० (रजत जयन्ती मनाने के लिये)	६६७००
		योग		१८,७०० रु०	योग ४८,००० रु०	
१९५२-५३	१९९२	२६६०	४६५२	१८,७०० विवरण ऊपर अंकित है।	१५००० २५००० (नेशनल एकेडमी आफ हिन्दुस्तानी म्युजिक को स्थापना हेतु)	५८७००
१९५३-५४	१९९२	५०००	६९९२	१८,७०० रु० जैसा ऊपर अंकित है।	८५८० २५००० (नेशनल एकेडमी आफ हिन्दुस्तानी म्युजिक को स्थापना हेतु)	५२२८०

शिक्षा की पुनर्व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की ट्रेनिंग

*५४---**श्री गणेश प्रसाद जायसवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि शिक्षा की पुनर्व्यवस्था की जो नई योजना है उसके अन्तर्गत महिलाओं की ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह प्रश्न विचाराधीन है।

बस्ती म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में शाप्स एण्ड कार्मशियल इस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट लागू करने की आवश्यकता

*५५--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती म्युनिसिपैललिटी के अन्तर्गत वह कब से शाप्स एन्ड कार्मशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट लागू करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी इस संबंध में कोई निश्चय नहीं हो सका है ।

गौरी शुगर मिल तथा राम कोला पंजाबी मिल में गिरफ्तारियां

*५६--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गौरी सुगर मिल पर गत २ फरवरी को श्री चन्द्रबली सिंह तथा उनके चार अन्य साथी गिरफ्तार किये गये थे ? यदि हां, तो किस दफा में, और छोड़े गये तो किस आदेश से ?

*५७--क्या सरकार को ज्ञात है कि रामकोला पंजाबी मिल पर धरना देने वाले श्री जगन्नाथ दुबे, श्री बृजनारायण त्रिपाठी तथा उनके अन्य साथी एस० डी० एम० हाटा द्वारा गिरफ्तार किये गये थे ? अगर हाँ, तो किस केस में, यदि छोड़े गये, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कथित स्थानों पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई ।

गुरुकुल कांगड़ी के अधिकारियों द्वारा वार्षिक अनुदान की मांग

*५८--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या यह सच है कि गुरुकुल कांगड़ी के अधिकारी अपने विद्यालय तथा महाविद्यालय विभागों के लिये प्रतिवर्ष आवर्तक अनुदान की मांग करते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां ।

*५९--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार का विचार गुरुकुल कांगड़ी के भिन्न भिन्न विभागों को वार्षिक अनुदान देने का है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसी संस्थाओं को आवर्त्तक अनुदान देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*६०-६१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

*६२--श्री रामसुन्दर पांडेय--[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ मन्दिर कमेटी का तिब्बत को शिष्ट मण्डल भेजने का विचार

*६३--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या यह सही है कि श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर कमेटी का एक शिष्ट मंडल आने वाली गर्मियों में तिब्बत जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है, वह किस मार्ग से जावेगा और उसके खर्च की व्यवस्था कौन करेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कमेटी का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

*६४—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६५-६६—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—[७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला जेल हमीरपुर के कैदी

*६७—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल, हमीरपुर में इस समय कुल कितने कैदी हैं और उनमें कितने अन्डर ट्रायल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२९ मार्च, १९५४ को इस जेल में कुल २५९ कैदी थे जिसमें १६६ विचाराधीन कैदी थे।

*६८—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन कैदियों के लिए सरकार की ओर से दस्तकारी सिखलाने और पढ़ाने की भी कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कैदियों को दरी बुनना, चारपाई व कुरसी की बुनाई का काम और कुम्हार का काम सिखलाया जाता है। कैदियों की शिक्षा के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी है।

जिला बोर्ड गढ़वाल द्वारा प्राइमरी टीचर्स को वेतन वृद्धि के लिए अनुदान

*६९—श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ से लेकर सन् १९५४ तक सरकार ने जिला बोर्ड, गढ़वाल के प्राइमरी टीचर्स की वेतन वृद्धि के लिए कितने ग्रान्ट कब-कब दिये ?

श्री हर गोविन्द सिंह—

वर्ष	अनुदान की राशि रु०
१९४८-४९	६२,२७६
१९४९-५०	५१,०२७
१९५०-५१	३६,२५०
१९५१-५२	३२,२००
१९५२-५३	३२,२००
१९५३-५४	१,४२,२००

गढ़वाल जिले में राजनैतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को वजीफे

*७०—श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल में गत वर्ष व इस वर्ष कितने राजनैतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को वजीफे दिये गये हैं और उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिला गढ़वाल में गत वर्ष जिन विद्यार्थियों को वजीफा या आर्थिक सहायता दी गई उनके नाम और पते यह हैं :—

१—यशोधर लाल—कक्षा ७, डी० ए० वी० हायर सेकेंडरी स्कूल, पौरी गढ़वाल, ८ रु० प्रति मास।

२--रनवीर सिंह--कक्षा ११, विज्ञान मेसमोर इन्टर कालेज, पौरी गढ़वाल, ४० रु० पुस्तकों के लिये।

३--भारत भूषण--कक्षा ९, डी० ए० वी० हायर सेकेंडरी स्कूल, पौरी गढ़वाल, ३० रु० पुस्तकों के लिये।

इस वर्ष किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं दी गई।

जे० टी० सी० तथा एल० टी० अध्यापकों का स्थायीकरण

*७१--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८ में जो जे० टी० सी० और एल० टी० अध्यापक नियुक्त किये गये थे उनका कन्फरमेशन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह--सन् १९४८ में कोई जे० टी० सी० अध्यापक नहीं नियुक्त किया गया था, अतः कन्फरमेशन का प्रश्न नहीं उठता है। जो एल० टी० अध्यापक नियुक्त किये गये थे उनमें से कुछ का कन्फरमेशन अभी नहीं हो सका है क्योंकि उन्होंने कन्फरमेशन की सब शर्तों को पूरा नहीं किया है।

गवर्नमेण्ट माडल स्कूलों के अध्यापकों का स्थायीकरण

*७२--श्री किन्दर लाल (जिला हरदोई)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट माडल स्कूलों के वह अध्यापक जिन्हें २१ अगस्त, १९४८ से स्थायी किया गया है उन्हें अब तक कन्फर्म नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या कारण है?

*७३--क्या सरकार उन अध्यापकों को शीघ्र कन्फर्म करने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह--गवर्नमेंट माडल स्कूलों के जिन अध्यापकों को २१-९-४८ से दो वर्ष के परीक्षणकाल पर रक्खा गया था उनमें से कई अध्यापकों के स्थायीकरण की विज्ञप्ति निकल चुकी है शेष अध्यापकों का प्रश्न विचाराधीन है।

जिन अध्यापकों ने कन्फर्मेशन की सम्पूर्ण शर्तों का पूर्णतयः परिपालन कर लिया होगा उन्हें शीघ्र कन्फर्म किया जायगा।

बनारस काटन मिल का प्रबन्ध

*७४--श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह बनारस काटन मिल, जिसका प्रबन्ध इस समय मिल के मजदूरों के हाथ में है, अपने हाथ में लेने की बात सोच रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय इस मिल का प्रबन्ध एक कमेटी के हाथ में है, जिसमें मिल मालिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। सरकार देख रही है कि यह कमेटी मिल चलाने में कहां तक सफल होती है।

खेतिहर मजदूर न्यूनतम वेतन सम्बन्धी अधिनियम का लागू होना

*७५--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार की खेतिहर मजदूर न्यूनतम मजदूरी कानून को इस प्रदेश में लागू करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केन्द्रीय सरकार ने खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के लिये कोई पृथक कानून नहीं बनाया है वरन् न्यूनतम वेतन सम्बन्धी एक अधिनियम सन् १९४८ ई० का है जिसका एक अंश खेतिहर मजदूरों से सम्बन्ध रखता है। वह अंश उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जिनमें मजदूरी सबसे कम थी सितम्बर, सन् १९५२ से लागू कर दिया गया है। अभी परीक्षार्थ इसको ५० एकड़ और इससे अधिक क्षेत्रफल वाले व्यवस्थित फार्मों पर ही लगाया गया है। इस कानून के अंतर्गत होने वाले मुकदमों को सुनने के लिये सब-डिवीजनल तथा सिटी मैजिस्ट्रेटों को अधिकार दिये गये हैं तथा कानून की धाराओं के प्रतिपालन को देखने के लिये तीन निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं।

*७६--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह कानून इस समय किन-किन जिलों में लागू है और किस प्रकार के भूमिधरों या सीरदारों पर लागू है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह कानून जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है इस समय सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, जौनपुर, रायबरेली, फैजाबाद, हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर, जालौन जिलों में उपरोक्त प्रकार के फार्मों पर लागू है चाहे वह फार्म भूमिधर का हो अथवा सीरदार का।

कुम्भ दुर्घटना

*७७--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार ने कुम्भ मेला के लिये क्या-क्या प्रबन्ध किये थे और सरकार का कितना धन इस विशाल जन-मेला के लिये खर्च हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विभिन्न विभागों द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण संलग्न है। कुल खर्च की रकम बतलाना इस समय सम्भव नहीं है परन्तु राज्य सरकार ने इस मद में खर्च के लिये ४१,२४,८००रु० १९५३-५४ के बजट में रखे थे।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४८० पर।)

*७८--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस मेले में कुल कितने आदमी कुचल कर तथा बीमारी से अथवा अन्य घटनाओं से मरे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- ३ फरवरी, १९५४ को कुम्भ अवसर पर हुई दुर्घटना में ३५० और ४०० के बीच व्यक्तियों की मत्यु का अनुमान है। इनके अलावा अन्य कारणों से मेले के दरमियान में ४६ व्यक्तियों की मत्यु हुई।

*७९--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ से कुचल कर जितने आदमी मरे अथवा घायल हुये उनमें से कितने बच्चे, औरतें तथा आदमी थे और कितने साधू थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पुलिस द्वारा प्राप्त लाशों में ८७ पुरुष, २६७ स्त्रियों तथा १४ बच्चों की लाशें थीं। घायल व्यक्तियों में ८६ पुरुष तथा २२४ स्त्रियां थीं। साधुओं की गिनती अलग से नहीं की गई थी।

थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत चोरियां

*८०--श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ में दिसम्बर, सन् १९५३ से फरवरी, १९५४ तक कितनी चोरी तथा डकैती के जुर्म हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१८ चोरियां हुईं। कोई डकैती नहीं हुई।

कुम्भ दुर्घटना सम्बन्धित शवों के सम्बन्ध में पूछताछ

*८१--श्री कल्याण चन्द्र मोहिले--क्या यह सच है कि ३ फरवरी, १९५४ को कुम्भ अमावस्या के दिन इलाहाबाद कुम्भ नगर में जितनी पुलिस थी उसमें से लगभग ५५० इलाहाबाद के बाहर भेज दी गई थी ? इसलिये कि यह संख्या आवश्यक पुलिस से अधिक थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--३० जनवरी, १९५४ को टीका सम्बन्धी प्रतिबन्ध हट जाने पर जो पुलिस फोर्स टीका बैरियर ड्यूटी (inoculation barrier) पर लगाई गई थी उसमें से कुछ अपने अपने जिलों को वापस भेज दी गई।

*८२--श्री कल्याण चन्द्र मोहिले--सरकार ने मेला की लावारिस लाशों के जलाने के लिये कितनी लकड़ी, कितना पेट्रोल इत्यादि खर्च किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--८२५ मन लकड़ी तथा ४ टीन तेल।

*८३--श्री कल्याणचन्द्र मोहिल--क्या यह सही है कि एक चिता में एक से अधिक लाशें एक साथ जलाई गईं और उन लाशों की संख्या को श्मशान घाट के मृत रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। स्थान की कमी के कारण लाशें ३ लाट्स (lots) में जलाई गईं। लाशों की पहचान न हो सकने के कारण म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा निर्धारित मृत्यु रजिस्टर (Death register) में इन्दराज करना सम्भव नहीं था।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले की शिक्षा सस्थाओं को सहायता

१--श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार ने हायर सेकेंडरी स्कूलों और कालेजों को सन् १९५३-५४ की मेंटिनेंस ग्राण्ट की रकमों के देने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला झांसी के समस्त कालेजों और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मेंटिनेंस ग्राण्ट के आंकड़े (हरिजन लड़कों की फीस काटने के बाद) मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह-- जी हां। एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ--४८१ पर)

" आंखों देखा लाल चीन " नामक पुस्तक खरीदने का विचार

२--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह 'लाल चीन' नामक पुस्तक की ५,००० प्रतियां खरीदने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, "आंखों देखा लाल चीन" की ५०० (पांच सौ) प्रतियां खरीद रही हैं।

राज्य में बेकारों की संख्या

३---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रान्त में बेकार रहने वालों की संख्या कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी गणना कठिन है ।

प्रश्नोत्तर के समय के उपरान्त प्रश्न लेने के लिये प्रार्थना

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि मेरे अल्प सूचित तारांकित प्रश्न थे। मैं असल में कौंसिलर्स रेजीडेंसी में नहीं रहता हूं। मैं १६, जापलिन रोड पर रहता हूं। मैं साढ़े ग्यारह बजे सदन में पहुंचा और उसके पूर्व वह प्रश्न लिये जा चुके थे। अब अगर माननीय गृह मंत्री जी उन प्रश्नों का उत्तर दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष---अब तो प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है। आप जब नहीं थे तब वे ले लिये गये। उनके लिये जाने के पक्ष में और लोग भी तैयार थे कि उनका जवाब दिया जाय। लेकिन समय न रहने के कारण वह पढ़े नहीं गये।

कानपुर के मिल मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठी प्रहार तथा अश्रुगैस के प्रयोग के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है कि कानपुर प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के शहर कार्यालय के द्वारा विरोधी दल के पास भेजे गये विशेष संदेशवाहक द्वारा यह सूचना मिली है कि तारीख २० तथा २१ अप्रैल, १९५४ को कानपुर में म्योर मिल्स तथा अन्य मिलों के मजदूरों के जलूसों पर पुलिस ने कई बार लाठी प्रहार किया व अश्रुगैस चलायी जिससे बीसियों मजदूर घायल हो गये जिसके परिणामस्वरूप राज्य के सब से बड़े औद्योगिक केन्द्र कानपुर में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इस परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।

मैं इस विषय में कल ही कह चुका हूं कि यह साधारण इन्तजाम के संबंध की कार्य-वाहियां हैं और इसके विषय में कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता।

विशेष परिस्थिति क्या पैदा हो गई इस विषय में भी इसमें कोई जिक्र नहीं है सिवाय इस लाठी चार्ज का कल भी सदन में जिक्र आ चुका था। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी उचित समझें तो क्योंकि बार बार यह रोजाना चीज आयेगी तो सदन को यह बता दें कि यह मामला क्या है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, कानपुर की कई मिलों के ऊपर एक मुकदमा इस बात का चल रहा है कि उन्होंने सन् १९५२ का बोनस नहीं दिया। वह मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने है। इसी बीच में सन् १९५३ के बोनस का सवाल कुछ मिलों के मजदूरों ने उठाया जिनमें यह मिल भी शामिल है जिसका इसमें नाम है। तो मिल मालिकों की तरफ से नोटिस लगा दी गई कि अभी इस मामले में कुछ करने में असमर्थ हैं जब तक कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से १९५२ के मामले का फैसला न हो जाय। इस पर मजदूरों ने उधम मचाया, जो मिल के मालिक थे उनको घेर लिया। पुलिस ने उनको किसी तरह बचाया। इतने में एक उनके मैनेजर बाहर निकले तो मजदूरों ने उनकी मोटर की हवा निकाल दी और उनको मारने दौड़े। पुलिस ने उनको भी बचाया । इसके बाद मजदूरों ने पुलिस के ऊपर पत्थर वगैरह फेंके जिसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस और कई लोगों को चोटें आयीं। इस पर पुलिस ने अश्रु गैस से काम लिया, लेकिन उससे भी कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि हवा उल्टी

बह रही थी। जब मजदूरों ने ज्यादा गड़बड़ी करना शुरू किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। यह बात सही है कि ऐसा हुआ। लेकिन किसी मजदूर को चोट आयी इसका कोई प्रमाण नहीं है। किसी एक मजदूर ने भी किसी अस्पताल में जाकर अपना न नाम लिखवाया और न इलाज करवाया। हां, पुलिस के १८–२० आदमियों के चोटें आयीं और उनके चोट लगने का प्रमाण मौजूद है। बाकी विषय परिस्थिति की बात यह है कि परसों की घटना है और कल जितनी मिलें हैं सब चलती रहीं यहां तक कि म्योर मिल भी चल रही थी और आज भी कोई विषम परिस्थिति नहीं है जिसका प्रमाण यह है कि आज सारी की सारी मिलें चल रही हैं जिनमें म्योर मिल भी शामिल है। बाकी कुछ लोग गिरफ्तार जरूर हुये हैं जिनमें एक खास प्रजा सोशलिस्ट पारटी के वर्कर भी हैं। वे जमानत पर छूट गये हैं। बाकी और लोग हैं और जो अदालत की कार्यवाही सब के साथ होती है वह उनके साथ भी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कोई जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह लाठी चार्ज और अश्रुगैस का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता थी या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तो यह मामला अदालत में है। १४४ के रहते हुये जलूस निकाला चाहिये या नहीं ये सब मामले अदालत में तय हो जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन*

श्री अध्यक्ष---श्री उपाध्यक्ष, श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करेंगे।

श्री हरगोविन्द पन्त (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन, उपस्थित करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रस्तुत रिपोर्ट के आखरी सफे के ४३ पर दिलाना चाहता हूं, जिसके अन्त में लिखा है "ठीक है, तो इसी प्रकार रिपोर्ट तैयार की जायगी।" फिर उसके बाद ब्रैकिट में लिखा हुआ है कि "(प्रतिवेदन तैयार करके समिति के सदस्यों के पास हस्ताक्षरार्थ भेज दिया गया)"। मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति की क्या कोई मीटिंग ऐसी हुई जिसमें रिपोर्ट तैयार करने का काम मीटिंग में पेश किया या अमेंडमेंट लाये जैसा कि हाउस आफ कामन्स में या पार्लियामेंट में प्रिविलेज कमेटी में होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष---आप सूचना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि वह इस संबंध में सूचना दें कि क्या कार्यवाही हुई। जो सूचना आपने मांगी है वह इस रिपोर्ट के आखिरी पृष्ठ पर दी हुई है। उस संबंध में आप जो सूचना देना चाहते हैं वह देने की कृपा करें।

श्री हरगोविन्द पन्त---इस संबंध में समिति की बैठक अवश्य हुई और जो निश्चय किया वह भी मिलकर सबकी उपस्थिति में हुआ। यह जो नोट है, मैं समझता हूं कि दफ्तर की सूचना के लिये दिया हुआ है। इसमें यदि यह छपता नहीं तो अच्छा होता। इसकी तामील तो दफ्तर ने पूरे तौर पर कर ही दी है।

---

* कार्यवाही में छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष––माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रतिवेदन तैयार करके समिति के सदस्यों के पास हस्ताक्षर करने को भेज दिया गया। इसमें न छपता तब तो ठीक था। परन्तु जब छपा है तो प्रश्न यह है कि ऐसी बात हुई या नहीं। प्रतिवेदन तैयार करके समिति के सदस्यों के सामने आया या नहीं या समिति ने तय कर दिया था कि हस्ताक्षर बाद में करा लिये जायं।

श्री हरगोविन्द पन्त––समिति का निश्चय सदस्यों की उपस्थिति में किया गया था और यह रिपोर्ट जब मेरे पास आई तो मैंने दस्तखत कर दिये और सदस्यों के पास भेज देने के लिये मैंने आज्ञा दे दी।

श्री अध्यक्ष––अब इसके ऊपर जो आपको कहना है वह जिस समय इस पर विचार होगा उस वक्त कहें क्योंकि आपको सूचना मिल गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी––मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। जो रिपोर्ट सदन में पेश हुई है, मैं समझता हूं कि वह अधूरी है क्योंकि इसमें जो दो पत्र मैंने विशेषाधिकार समिति को भेजे थे.....

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि विचार के समय यह बात होगी। अभी रिपोर्ट पेश हुई है इस पर कोई टीका नहीं हो सकती है। जिस वक्त यह विचार के लिये ली जायगी उस समय आप कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी––अधूरी रिपोर्ट कैसे पेश हो सकती है। जो कागजात मैंने दिये हैं वह नहीं आये हैं तो यह कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष–मैंने निर्णय यह दिया है कि विचार के समय आप आपत्ति कर सकते हैं। जिस वक्त यह चीज़ विचार के लिये पेश होगी उस वक्त आप कह सकते हैं कि यह अधूरी है। उस वक्त मैं फैसला दे दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी––अध्यक्ष महोदय, विचार के लिये कोई तिथि निश्चित की जाय।

श्री अध्यक्ष––हां, यह ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––मैं समझता हूं कि माननीय नेता सदन इस संबंध में अपना विचार रखें।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष और नेता सदन निश्चित कर लें। क्या अभी आप ऐलान करना चाहते हैं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––इस वक्त मैं अर्ज करना नहीं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष और माननीय नेता सदन इस पर विचार कर लें और शीघ्र ही कोई दिन निश्चित कर दिया जाय।

* सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व न होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--माननीय वीरेंद्रपति यादव के प्रस्ताव पर अब विवाद जारी रहेगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "संविधान व" के बाद शब्द "केन्द्रीय" तथा शब्द "सरकार" के बाद शब्द "और राज्य सरकारों" एवं अक्षर "की" के बाद शब्द "उदार" रख दिये जायं तथा संकल्प के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय--

"ताकि योग्य उम्मीदवारों के अधिकार सुरक्षित रहें"।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन और है। आज्ञा हो तो मैं उसको भी पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष--पढ़ दीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल--तो मैं उसको भी पढ़े देता हूं इसके साथ ही, संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "पिछड़े वर्ग के" के पश्चात् शब्द "योग्य" जोड़ दिया जाय।

मान्यवर, मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा है और पढ़ने के बाद इससे हमदर्दी भी जाहिर की। मैं चाहता हूं जैसी कि कांग्रेस की इच्छा है, सरकार की इच्छा है कि हर एक वर्ग, हर एक जाति के लोगों को योग्यतानुसार उच्च स्थान अवश्य मिले। मैं इसे कबूल करता हूं कि अंग्रेजों की यह पालिसी थी कि "डिवाइड एन्ड रूल" अर्थात् झगड़ा पैदा करो और हुकूमत कायम रखो। वह चीजें गयी नहीं। तो ऐसी हालत में ऐसा प्रस्ताव आना और इसके बाद जो संशोधन आया है कि जब तक इस वर्ग के या जाति के लोगों को मुनासिब जगहें न मिल जायं तब तक उनकी सीट सुरक्षित कर दी जायं, तो ऐसे ही संशोधन आयेंगे भी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम इस प्रकार से किसी विशेष वर्ग के लिये रिजर्वेशन रख करके कि इतनी सीटें और नौकरियां मिलें, इस ऐब को दूर कर सकते हैं? इसमें कोई शुबहा नहीं कि उस आदमी का हक मारा जाता है जो फिट है क्योंकि अपनी बिरादरी का पक्षपात करते हुये एक खराब आदमी को जगह दे दी जाती है। और उधर बिरादरी का काबिल भी है, उसको जगह नहीं मिलती यह सही हो सकता है, लेकिन इसको दूर कैसे किया जाय? क्या पक्षपात करके? क्या अपनी अपनी बिरादरी की तरफदारी करके और पक्षपात करके या इससे ऊपर उठ करके कि जो गलती करता है, बेइंसाफी करता है उसकी मुखालिफत करके तब उसको दूर किया जा सकता है? ऐसी शिकायतें आयें कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जिसको नौकरी देने का अख्तियार था उसने एक योग्य व्यक्ति के मुकाबिले में एक अयोग्य को जगह दे दी। तो यह शिकायत जायज होगी। ऐसे वाकयात प्वाइंट आउट होने चाहिये, इसपर विचार होना चाहिये और अगर शिकायत सही हो तो जो नौकरी अयोग्य को दे दी गयी है उससे उसको निकाल दिया जाय और जिस संस्था ने अयोग्य व्यक्ति को जगह दे दी है उसको भी वार्निंग दे दी जाय। लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि फलां के साथ पक्षपात करके फलां आदमी को जगह दी है। तो हम भी अपनी बिरादरी के अयोग्य आदमी को जगह दे दें। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोई जा सकती। अगर हम चाहते हैं कि फिरकापरस्ती मिट जाय और योग्यता की कदर हो तो फिरकापरस्ती बढ़ा करके नहीं, नाइंसाफी बढ़ा करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। वाजह रहे कि जो लोग ख्याल करते हैं कि फलां जाति के आदमी को अगर जगह मिल जायगी तो उस जाति के लोगों को ज्यादा लाभ होगा, यह भी गलत है। एक जमाना था कि अंग्रेजों की मेहरबानी से हमारे यहां नवाब साहब छतारी गवर्नर थे। हमारे सर इकबाल साहब चीफ जस्टिस की जगह पर थे। अगर उससे मुसलमानों की शिकायतें दूर नहीं हो गयीं, वह तब भी बनी रहीं। आज भी हमारे

---

*२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

माननीय पं० पंत जी यहां प्रधान मंत्री हैं, तो क्या सब ब्राह्मणों की शिकायतें दूर हो गयीं। क्या सब ब्राह्मण लोग खुश हो गये कि हर ब्राह्मण की मांग, खाने कपड़े का सवाल पूरा हो गया, या नौकरी मिल गयी ? नहीं। पहाड़ी भी नाखुश हैं। उनकी बिरादरी भी नाखुश है। वह कहते हैं कि क्या फायदा हुआ हमारा ? इसलिये यह वाजह रहे कि फिरकापरस्ती के आधार पर किसी के किसी जगह पर आ जाने से भी उस बिरादरी का कोई फायदा नहीं होता। बल्कि एक बड़ा दोष इसमें आ जाता है, एक यह भावना आ जाती है कि आप ऐसा करेंगे तो दूसरा भी ऐसा करना चाहेगा और फिर नतीजा यह होता है कि मुल्क को इससे नुकसान पहुंचता है। आप यह भी देखें कि जब किसी को वकील करना होता है तब वह यह नहीं देखता कि वकील किस जाति का है, उसकी बिरादरी का है या नहीं, बल्कि वह यह देखता है कि वकील काबिल है या नहीं और अगर वकील काबिल होता है तो फिर वह चाहे जिस बिरादरी का हो, उसे वह रख लेता है। अपनी बिरादरी का वकील अगर काबिल न हुआ तो उसको कोई वकील नहीं रखता। ऐसे ही अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो इसका ख्याल नहीं किया जाता है कि डाक्टर साहब किस जाति के हैं। कर्ज लेने जब कोई जाता है तब यह देखता है कि कहां कम सूद पर कर्ज मिलेगा। अगर कोई चीज खरीदनी हुई या बेचनी हुई तो यह देखा जाता है कि दाम कहां पर कम या ज्यादा हैं। लेकिन जहां सर्विसेज का सवाल आता है वहां यह प्रश्न उठया जाता है कि कौन किस बिरादरी का है। मैं यह अर्ज करता हूं कि बिरादरी के अयोग्य व्यक्ति की तरफदारी करके अधिक नम्बर देकर नौकरी दे दी गई किन्तु एक फर्स्ट डिवीजन वाले डाक्टर को जगह इसलिये नहीं दी गई कि वह उस बिरादरी का नहीं था और थर्ड डिवीजन में पास डाक्टर को जगह मिल गई इसलिये कि वह उनको बिरादरी का डाक्टर था तो जब वह अयोग्य डाक्टर दवा देगा तो वह तो दवा यह नहीं देखेगी कि यह व्यक्ति उसी बिरादरी का है जिसके कि डाक्टर साहब हैं। वह अगर खराब दवा होगी तो जरूर उसको नुकसान पहुंचायेगी। इसलिये यह चीज मुनासिब नहीं है। अगर आपने किसी अयोग्य को पिछड़ी जाति के नाम पर या हरिजन के नाम पर एक थानेदार बना दिया तो उससे नुकसान ही होगा। क्योंकि वह रिश्वत लेते वक्त यह नहीं देखेंगे कि यह हमारी जाति का आदमी है। वह तो जिससे रुपया पा जायेंगे उसी का काम करेंगे। महात्मा गांधी को मारने वाला ब्राह्मण था, एक हिन्दू था। इसलिये मैं यह अर्ज करता हूं कि उस ब्राह्मण से जो कि योग्य नहीं है, विद्वान नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, उससे वह हरिजन जो सच्चरित्र है, विद्वान है, लाख दरजे अच्छा है। इसी तरह से मैं यह भी अर्ज करता हूं कि जो हरिजन योग्य नहीं है, विद्वान् नहीं है, उस हरिजन से वह ब्राह्मण जो कि योग्य है, विद्वान् है, लाख दर्जे अच्छा है।

आपने देखा कि फिरकापरस्ती का जहर बढ़ता गया, प्रोपोगैंडा हुआ, जात और मजहब के नाम पर यह शिकायत की गई कि साहब मुसलमानों के लिये सीटें मिलनी चाहिये, नौकरियां मिलनी चाहिये, फिर कैबिनेट का सवाल पैदा हुआ और होते-होते मुल्क बट गया, पाकिस्तान बन गया। जाकर देख लीजिये---क्या पाकिस्तान के अन्दर हर मुसलमान सुखी है ? उनकी पसन्द की चीज कर दी गई। उनका एक मुल्क बनवा दिया। बहुत अच्छा हुआ उनके ख्याल से। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान से उसे देख लीजिये। जो मुसलमान भाई यहां से गये थे वह यहां आना चाहते हैं। पाकिस्तान के बिहिश्त में वह नहीं रहना चाहते, काफिरों के मुल्क में आना चाहते हैं। हुजूरवाला, एक अजीब हालत है। एक आवाज उठाई गई---इस्लाम इन डेजर इन इंडिया---उन्होंने कहा अल्ला हो अकबर, जिन्ना साहब जिन्दाबाद। आज अखबार उठाकर देख लीजिये, क्या हो रहा है। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग हार गई और पश्चिमी पंजाब में भी एक जुलूस निकला, मुहम्मद अली साहब बोलना चाहते थे वहां, उनको बोलने नहीं दिया गया। हूट किया गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि फिरकापरस्ती जो पैदा की गई उसकी गाड़ी कहां से कहां पहुंच गयी। अब भी यह कहा जा रहा है कि इस जाति के लिये नौकरियां सुरक्षित रखी जांय। जब तक वह जगह न भर जाय तब तक दूसरा कोई जाति का न लिया जाय, हय

मुनासिब नहीं होगा । इसलिये यहां गुजारिश है कि हमें सच्चाई से इंसाफ से काम लेना चाहिये ।

इस संबंध में मैं अपने ऊंची जाति वालों से भी अर्ज करना चाहता हूं । बड़ा वह नहीं है जो धोखेधड़ी से बड़ा बन जाय बल्कि बड़ा वह है जो कि छोटों को बड़ा बनाता है, इंसाफ करता है । मैं अर्ज करता हूं कि अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जगह पर है और इंसाफ करता है तो बड़ी खुशी की बात है । हमें उसकी सहायता करनी चाहिये तभी गलतफहमी दूर होगी । गलती का जवाब गलती अथवा अपने आदमियों के साथ पक्षपात नहीं है । निष्पक्षता है । जब कोई मौका आये तो निष्पक्षता से काम लेना चाहिये वरना पक्षपात से फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा ।

अब इस सिलसिले में योग्यता के बारे में एक लफ्ज कह दूं तो विषय से बाहर नहीं होगा, अजीब हालत हो गयी है पढ़ाई लिखायी की । एक जमाना था कि जो पढ़ता था वह पास होता था वह अपने परिश्रम से विद्वान होता था आज जब बच्चे इम्तहान देने जाते हैं तो मास्टर को धमकी देते हैं कि पास कर दो, नकल करने दो, इनकार करने पर मास्टर मारे जाते हैं, पास करने में रिश्वत चलती है । जब पर्चे जंचने जाते हैं तो वहां भी सिफारिश पहुंचाते हैं । परसों बदायूं के एक लड़के से एक कांग्रेसमैन ने कहा कि सीताराम से मिलो । वह वहां मिल कर काम करवा देंगे । उन्होंने कहा कि मेरा पर्चा माननीय पंत जी के यहां एक साहब ठहरे हुये हैं उनके पास आया हुआ है । मेहरबानी करके जरा उनसे कह दीजिये कि मुझे पास कर दें । मैंने कहा कि उनको मेरे पास भेज देना । अफसोस है कि वह आये नहीं । नहीं तो मैं कहता कि आपने मुझे बेईमान क्यों समझ लिया है । किसी फेल लड़के को कहना कि पास कर दो, यह तो बड़ी बेईमानी है । मेरी गुजारिश है कि जिस वक्त नौकरी देनी हो उस वक्त भी इम्तहान होना चाहिये । मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऊंची से ऊंची डिग्री पास किये हुये हैं लेकिन एक खत नहीं लिख सकते । मैं कहता हूं कि योग्यता की फिर जांच हो । जो अपनी योग्यता के अनुसार जिस जगह के काबिल हो उसको वह जगह मिलनी चाहिये । आज जो पक्षपात चल रहा है उसे दूर करने के लये हिम्मत करके लोगों को आगे आना चाहिये । मैं अपनी बात बतलाता हूं कि मेरे पास भी ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं कि हम को जरा नौकरी दिलवा दीजिये । हम आपकी बिरादरी के हैं । मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करता हूं कि नौकरी दिलाना एम० एल० ए० का काम नहीं है । अगर इनकार नहीं किया जायगा तो यह नहीं हो सकता कि हम तो अपनी बिरादरी के लोगों को जगह दिलवायें और उनका असर दूसरों पर न पड़े । अगर आप चाहते हैं कि जाति-पांति का सवाल न रहे, तो जरूरी है कि हम को जाति-पाति सें ऊपर उठ कर आगे आकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा । काम जरा मुश्किल है, खासकर उसके लिये जिसको वोट लेने हैं । लेकिन मेरी गुजारिश है कि पहले ही स्पष्ट इनकार करने में कम नुकसान होगा और अपनी बिरादरी के लिये पक्षपात करने में ज्यादा नुकसान हो जायगा । इसलिये जहां हम इस बात की कोशिश करें कि पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जायं वहां इस बात की भी कोशिश करनी चाहिये पिछड़ी जाति वाले, पिछड़ी जाति वाले बन कर न आयें, बल्कि इसलिये आयें कि वह उसके लिये फिट हैं क्योंकि जिस जमाने में "अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते पूज्याः यत्र निरादराः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, दुर्भिक्षम् मरणम् भयम् ।" भावार्थ यह है कि जहां पर पूज्यवानों की इज्जत नहीं की जाती और अपूज्यवानों की इज्जत की जाती है वहां दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय उत्पन्न होता है । इसलिये योग्यता और पाँडित्य की पूजा करनी चाहिये । जहां इस कुर्सीपर योग्य आदमी बैठेगें तो जैसे शीघ्र स्वराज्य प्राप्त कर लिया उसी प्रकार स्वदेश का सुधार भी कर लेंगे ।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैं पेश करना चाहता हूं उसमें कुछ शब्द छूट गये हैं उनको मैं रख कर अपना संशोधन सुधारना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--पहले आप संशोधन पेश कर दें, फिर बतला दीजियेगा कि आप क्या और संशोधन करना चाहते हैं ?

श्री नारायणदास पासी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वीरेन्द्रपति यादव जी के प्रस्ताव में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं ---

संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "पिछड़े वर्ग के" के आगे शब्द "उत्थान के" जोड़ दिये जायं तथा शब्द "होते हुए भी" के आगे के शब्द निकाल दिये जायं और शब्द "यह आवश्यक है कि पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची व जनसंख्या तैयार की जाय और उनके उत्थान व सरकारी नौकरियों की भर्ती में ठीक कदम उठाया जाय" जोड़ दिये जायं ।

तीसरी लाइन में शब्द "सूची" के पहले "नई" जोड़ दिया जाय और चौथी लाइन में "ठीक कदम" के स्थान पर "ठोस कदम" कर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो हमारे सम्मुख है उसमें जहां तक भावना का सवाल है जितने लोग उस पर बोल चुके हैं या जितने लोग अभी बोलने वाले हैं उनमें किसी की दो राय नहीं है और उनमें कोई ऐसा न होगा जो इससे सहानुभूति न रखता हो। लेकिन प्रश्न हमारे सामने कुछ दूसरा है और वह यह कि आज पिछड़ा वर्ग भारत में है, आदिम वर्ग है, परिगणित जाति के लोग हैं लेकिन भारत स्वयं संसार के सामने पिछड़ा देश है। इसमें एक अजीब चीज हमारे सामने आती है। जहां तक भारत देश की संस्कृति का या इतिहास का सवाल है उसकी संस्कृति और इतिहास बहुत पुराने रहे हैं और न सिर्फ वह बहुत उन्नत देश रहा है बल्कि जगत गुरु रहा है । लेकिन यह सब होते हुये भी आज जो आगे बढ़े हुए देश हैं उनके सामने भारत देश पिछड़ा देश कहा जाता है। तो इसका कुछ अभिप्राय है और वह अभिप्राय यह है कि हमारे देश पर बाहरी देशों ने बराबर हमला किया, इसको लूटा, खसोटा और गुलाम बनाया और यह देश जर्जर हो गया और आज इसकी दशा बहुत ही दयनीय और गरीब हो गई है। तो जो देश गरीब होता है और जो देश अमीर होता है उनमें स्वभावतः यह बात पैदा हो जाती है कि अमीर देश वाले गरीब देश को पिछड़ा देश कहते हैं। यही सिद्धान्त भारतीय पिछड़े वर्ग पर लागू है । शिक्षा, धन और व्यवसाय में हम बहुत पीछे हैं। ये सब हमारी कमजोरियां हैं जिससे हमारा देश पिछड़ा देश कहलाता है। लेकिन जहां तक हमारी सरकार का सवाल है कि पिछड़े वर्ग के लिये वह क्या कर रही है इसके लिये वह कह सकती है कि जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है पिछड़े वर्ग के लिये, अछूत वर्ग के लिये वह कर रही है और बहुत कुछ कर रही है। अगर अब से दस बीस वर्ष पहले की बात देखी जाय तो जो कुर्मी, मुराव, यादव, लोदी या दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग किसानी का काम करते थे और पिछड़ेपन की रीढ़ समझे जाते थे उनकी उस समय क्या दशा थी और आज उनकी क्या दशा है। भगवान की दया से किसानी को उन्होंने अख्तियार किया और हल को पकड़ा और अन्न पैदा किया जिसकी वजह से आज उनके घर पर देखिये तो हाथी और घोड़े तक बंधे मिलेंगे। उनकी स्थिति अच्छी हो गयी है। ऐसी सूरत में इतना ही नहीं कि उनकी स्थिति अच्छी हुई बल्कि वह जागृत हुए और वह जागृत कौम आज कांग्रेस सरकार के साथ है, इसमें हरिजन और पिछड़े वर्ग का जो मताधिकार हुआ है वह करीब ९० फीसदी इसी वर्ग का है और आज जो सरकार बनी है उसमें उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। ऐसी सूरत में यह स्वाभाविक बात है कि जो कौम इस वक्त बढ़ी है और उन्नति कर रही है, उसकी जो और समस्यायें हैं वह आर्थिक तथा राजनैतिक हैं और उसकी जाती समस्यायें हैं, तथा दूसरी समस्याएं जो हैं वह सरकारी नौकरी की हैं। आज जो सरकारी अधिकारी हैं

वह उनकी बात को नहीं सुनते हैं। तो फिर यह स्वाभाविक बात उत्पन्न होती है कि वहां पर इस प्रकार के आदमी हों जो हमारी बात को समझें और हमारी कठिनाइयों की तरफ ध्यान दें। अगर वहां पर सरकारी नौकर इस प्रकार का होता तो हम ज्यादा लाभ उससे उठाते। यह भावना इस प्रस्ताव की है लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि इस पिछड़े वर्ग में जिसको हम भूल जाते हैं और वह यह कि इस पिछड़े वर्ग में दूसरी जातियां भी हैं जैसे राजभर, अहेरिया, अरख, थारु, बहेलिया, भर, गड़रिया आदि हैं। यह कौमें ऐसी हैं कि अगर इनके इतिहास को देखा जाय तो मालूम होगा कि इन्होंने बड़े-बड़े काम किये हैं और त्याग किया है। आप इस बात को सोचें कि जिस अर्क पासी, भर पासी जाति ने १४ अश्वमेध यज्ञ किये हों, और जिन्होंने अपने धर्म के लिये, अपने देश के लिये ऐसे बाहरी आदमियों से संघर्ष किया है और ऐसी कुर्बानी की है कि जिसका जिक्र किताब तवारीख मसऊदी में मिलता है, बाबा सुहलदेव जो अर्क जाति के थे उन्होंने किस प्रकार से अपने धर्म के लिये, अपनी जाति के लिये और अपने देश के लिये कुरबानी की और संघर्ष किया इसका जिक्र इतिहास में मिलता है जो किसी दूसरी जगह नहीं मिलता है। "जिनद दरियारे कुटलां ज़ेर दरख्तां गुलचिक़ां न जुर्व नावक़ हम चूं मिज़ान शहीद शुंदद"। अर्थात बहराइच में गाजी मसऊद टेड़ी नदी के किनारे महुवा के नीचे घोर युद्ध में शहीद हुए थे और सैयद सालार मसऊद गाजी के धार्मिक इस्लामी जेहाद का अंत किया। तो वह कौम जिसने अपने देश के लिये और अपने धर्म के लिये खून बहाया हो और बाहरी आदमियों से हमला करने के लिये पूरा संघर्ष किया हो वह आज पिछड़ी से भी पिछड़ी है। उनकी दशा बहुत शोचनीय है। हमारे यहां जो रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट के अन्दर उनके लिये कुछ प्रचार का काम होता था उसको रोक दिया गया है और उस सुपरवाइज़र को दूसरी जगह का काम दे दिया गया है। ऐसी सूरत में हमको यह देखना है कि जिस कौम का इतिहास इतना सुन्दर रहा हो कि जिसने अपने देश को देश समझा और अपनी धरती को धरती माता समझा हो और उसके लिये उन्होंने खून बहाया हो तो उसके लिये अवश्य विचार करने की बात हो जाती है और हमारी सरकार जो जनतान्त्रिक सरकार है उसको हर एक को मौका देना चाहिये और उनकी मदद करनी चाहिये ताकि वे लोग और लोगों के मुकाबले में बराबरी पर आ जायं। आज आपने देखा कि जिन लोगों को मौका मिला वह चाहे पिछड़े वर्ग या अछूत रहे हों लेकिन सवर्ण हो गये हैं। आप सब जानते हैं कि कलवार, गूजर और जाटव जो अब से १०, १५ साल पहले बैकवर्ड कहे जाते थे और कोई उनको हरिजन कहते थे लेकिन जब उनको सहूलियत मिली तो वे सुधर गये और आज वह अपने को सेठ कहते हैं, वैश्य कहते हैं और अपने को हैहय क्षत्रिय व क्षत्री कहते हैं और अब वह सवर्ण हो गये हैं। जिन कौमों को मौका मिलता है वह इस प्रकार से ही उन्नति करते हैं और अपने को उठाने की कोशिश करते हैं। उनको सवर्ण जाति के लोगों की तरह से सहूलियतें मिल रही हैं और उनका आज वह उपभोग कर रहे हैं। और जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सहूलियतें सवर्ण जाति के लिये हैं वह भी उनको मिल रही हैं। ऐसी सूरत में जो पिछड़े वर्ग की समस्यायें हैं वह उनकी जाति समस्या यानी सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है जिसके ऊपर हमको गहरा ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ आज हमारे यहां नीचे से नीचा जो समझा जाता है वह भंगी समझा जाता है लेकिन एक तरफ ऋषि बाल्मीकि हैं और दूसरी तरफ हमारे शहर व देहात के बाल्मीकि हैं। ऋषि बाल्मीकि हमारे हिन्दू धर्म की सभ्यता और संस्कृति की रीढ़ हैं। उन्हीं बाल्मीकि के वंशज सुनहपुछ के लड़के भंगी कहलाये और सुनहपुछ के सगे भाई सुनहशेप को विश्वामित्र जी ने हरिश्चन्द्र के लिये खरीद लिया और उसको पुत्र मानकर, देवरात नाम रक्खा। उनकी औलाद

[श्री नारायण दास पासं]

गौड़ ब्राह्मण कहलायीं तथा विश्वामित्र वंशज गौड़ क्षत्रिय कहलाये, यह कैसी लीला है। हमारा इतिहास यह बतलाता है कि जो कौमें यहां हुईं उनकी ऐतिहासिक आवश्यकता हुई थी परन्तु पहले सब भाई-भाई थे। लेकिन आज हम यह जानकर और उन्हें ब्राह्मण न कह कर भंगी कहते हैं चाहे वह सब से बड़ी सेवा करते हैं। हमारे देश की ऐसी पेचीदा स्थिति है कि यहां शक और हूण कौमें आईं और वे अब भी हैं। वे लूटमार का काम करती थीं। उनको किसी ने भंगी नहीं कहने का साहस किया। हमारी आज सब से बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां के जो श्रमिक और निर्माण करने वाले लोग हैं उनको अभी भी गिरा हुआ माना जाता है और उनके ऊपर शोषण होता है। हमें इस शोषण को रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिये। मैंने अपने संशोधन में यही मांग की है कि उसका अच्छा परिणाम हो। उसमें मैंने नई सूची के लिये इसके ही कारण से लिखा है। अछूतों में से बहुत से लोग बैकवर्ड में चले गये। पिछड़े वर्ग में कई जातियां सवर्णों में चली गईं और इसका उल्टा भी हुआ होगा। इन सब की जनसंख्या और जातियों की संख्या ठीक-ठीक मालूम होनी चाहिये। इसीलिये मैंने अपने संशोधन में यह जोड़ा है कि यह आवश्यक है कि पिछड़े वर्ग की जातियों की नई सूची व जनसंख्या तैयार की जाय और उनके उत्थान व सरकारी नौकरियों की भर्ती में ठोस कदम उठाया जाय। जब तक यह नहीं मालूम होगा कि ऐसी कितनी जातियां हैं और कौन-कौन हैं और उनकी जनसंख्या क्या है तब तक इसका ठीक से प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर प्रकाश डाला है और कह दिया है कि वह आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन एक बात, और वह बड़ी बात है, यह कि जो लोग अछूतों या पिछड़े वर्ग में से नौकरियों में लिये जा चुके हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है और उनकी उन्नति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। यहां केवल नौकरियां देने का ही सवाल नहीं है लेकिन उनकी आयन्दा तरक्की की भी बात है। हम आशा करते हैं कि सरकार इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करेगी और उन लोगों के साथ न्याय और कृपा करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन सब लोग स्वीकार करेंगे।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से श्री वीरेन्द्र पति यादव के प्रस्ताव में मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं---

संकल्प की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित करायी जावे" हटा कर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं ---

"अतः पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों में तब तक संरक्षण जारी रक्खा जावे जब तक उनका प्रतिनिधित्व उनकी संख्यानुसार न हो जाय"।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---प्वाइंट आफ आर्डर सर, क्या इस वक्त तरीकाकार यह होगा कि जितने संशोधन हैं वे मूव करा लिये जायं, तब रिजोल्यूशन पर बहस होगी ?

श्री अध्यक्ष---जी हां।

श्री रामवचन यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह संशोधन पेश किया है उसका कारण यह है कि घुड़दौड़ में अगर कहीं दौड़ हो जिसमें एक घोड़ा १०० गज आगे हो और दूसरा १०० गज पीछे हो तो पीछे वाले घोड़े को पकड़ने में देर लगेगी। हमारे देश में तीन वर्ग हैं, एक वर्ग सब से पिछड़ा हुआ है, बीच वाला वर्ग उन्नतिशील वर्ग से पिछड़ा हुआ है तीसरे उन्नत वर्ग के लोग हैं। इसी तीसरे वर्ग में से सरकारी अधिकारी और बड़े-बड़े विद्वान् हैं जिनका रहन-सहन बहुत ऊंचा है, उनकी जनरल नालेज बहुत बढ़ी चढ़ी है। पिछड़े वर्ग के लोग और किसान लोग जो पढ़े लिखे कम हैं, उनकी जानकारी उन लोगों के मुकाबले में बहुत कम होती है। जब वे कंपीटीशन में बैठते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं, फर्स्ट क्लास के होते हुए भी कभी-कभी यह कह कर हटा दिये जाते हैं कि तुम्हें टाई बांधना नहीं आता, या तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं है, तुम्हारी पर्सनाल्टी अच्छी नहीं है। दूसरी एक बात और है कि अगर पिछड़े वर्ग के लोग एम० ए० पास कर लेते हैं तो उच्च वर्ग के लोग इंगलैण्ड रिटर्न आ जाते हैं। पिछड़े वर्ग वालों के पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वे वहां पहुंच सकें। तीसरी बात यह है कि उनको इतनी जानकारी, इतने कागज और इतनी किताबें नहीं मिलतीं जितने उच्च वर्ग वालों को मिलती हैं जिसके कारण उनकी जनरल नालेज कम होती है। कारण कि वे आर्थिक दशा में पिछड़े हुए होते हैं। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि जब वे लोग बराबर न आ जायं तब तक उनको संरक्षण दिया जाय और उनका यह संरक्षण उस दिन समाप्त कर दिया जाय जिस दिन वे बराबर आ जायं ताकि कंपटीशन में वे लोग चल सकें। यह संशोधन मैंने इस दृष्टि से भी पेश किया है कि यदि वे बलवान होंगे तो राष्ट्र में शक्ति आयेगी, अगर वे लोग कमजोर ही रहेंगे तो देश भी कमजोर रहेगा। पहले मैं सोचता था कि सर्विस में आना कोई अच्छी बात नहीं है, अयोग्य आदमियों को नहीं आना चाहिये लेकिन मेरे देखने में ऐसे उदाहरण भी आये हैं जिनमें पिछड़े वर्ग के फर्स्ट क्लास फर्स्ट को इसी कारण से नहीं लिया गया और दूसरे वर्ग के कैंडीडेट को जो सेकेंड या थर्ड था, उसको ले लिया गया। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक लड़का कानपुर ऐग्रीकल्चर कालेज से पिछड़ी हुई जाति का फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास करके आया। एक जगह लखनऊ यूनीवर्सिटी ट्रेनिंग कालेज में २००–४५० के ग्रेड में खाली हुई लेकिन वह स्थान उस लड़के को न मिल कर उसी के साथ के एक लड़के को जो फर्स्ट क्लास थर्ड था उसको दे दिया गया। दूसरी जगह स्वायल सर्वे स्कीम में निकली, उस पर भी उसको न लेकर उसी के साथी को जो फर्स्ट क्लास फोर्थ था, ले लिया गया। इसी प्रकार से एक जगह देहरादून हार्टीकल्चर में निकली, उसमें भी उस फर्स्ट क्लास फर्स्ट को न लेकर सेकेंड क्लास को ले लिया गया। फिर चौथी जगह एक हुई नायब तहसीलदार की। उसमें भी वह लड़का इंटरव्यू में आया लेकिन वह न लिया जाकर एक दूसरा लड़का लिया गया जो बी० एस-सी० एजी० क्लास था, एम० एस-सी० एजी० भी नहीं था। इससे साफ जाहिर है कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट पिछड़े वर्ग के बहुत से लड़के नहीं लिये जाते। इससे देश का बड़ा भारी नुकसान होता है कि पिछड़े वर्ग के अच्छे दिमाग वाले देश की सेवा करने से वंचित रहते हैं।

दूसरा उदाहरण मैं एक और देना चाहता हूं। अभी जो यह ३,२०० कृषि के शिक्षक लिये गये उनमें भी एक लड़का मेरे ही जिले का था जो बी० एस-सी० एजी० था। उसने भी रजिस्ट्री के जरिये अपनी अप्लीकेशन भेजी लेकिन वह इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। फिर उसने रिमांइंडर भेजा लेकिन तब भी वह इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। चूंकि वह देहात में रहता है और अखबार आदि कम पढ़ता है इसलिये उसे

[श्री रामवचन यादव]

कुछ मालूम नहीं हो सका कि कहां, कब क्या हो रहा है। तो वह लड़का बी० एस-सी० एजी० था लेकिन उससे वंचित रह गया। मैंने खुद दफ्तर में जाकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि लड़के के पास एकनालेजमेंट तो मौजूद है लेकिन उसकी दरख्वास्त का कहीं पता नहीं है।

शिक्षा मन्त्री (श्री हर गोविन्द सिंह)--इसमें कोई पक्षपात की बात तो नहीं है। उसको दरख्वास्त नहीं मिली इसलिये नहीं बुलाया गया।

श्री रामवचन यादव--एकनालेजमेंट तो उसके पास मौजूद है कि दरख्वास्त दफ्तर में पहुंची लेकिन हो सकता है कि जानबूझ कर दरख्वास्त को गुम कर दिया गया हो। दरख्वास्त तो दफ्तर में जरूर ही आयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह का पक्षपात हमारे देश में है तो तब तक के लिये यह कार्यवाही की जाय। मैं चाहता हूं कि थोड़े समय के लिये इस चीज को कर दिया जाय ताकि जो इस तरह से देश में असन्तोष है, जो प्रदेश में विभिन्नता है वह खतम हो सके। उन्नत वर्ग में कुछ ऐसी जाति थी जिनको लोग शूद्र मानते थे लेकिन जब से वे सरकारी नौकरियों में आ गये हैं तब से अपने को दूसरे ही वर्ग का समझते हैं। आज अगर हर वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में आ जायं तो जो ऊंच नीच का भेदभाव है वह बहुत हद तक खतम हो जायगा और जो देश में विभिन्नता है वह खतम हो जायगी। अब एक सवाल हमारे देश में यह है कि जाति पांति को खतम किया जाय। मैं तो समझता हूं कि यह बहुत अच्छा है मगर इसको कौन रोकता है, कौन इसको खतम करना नहीं चाहता? जो लोग समाज में पीड़ित हैं, जो लोग जाति-पांति की वजह से पिछड़े हुए हैं वे सभी इस बात को महसूस करते हैं कि जल्द से जल्द यह भेदभाव खतम हो जाय तो अच्छा होगा। जिस वर्ग में जातीयता या साम्प्रदायिकता है वे ही आज उससे ज्यादा लाभ उठाते हैं और वे ही साम्प्रदायिकता की बहुत सी बातें कहते हैं। पिछड़े वर्ग या हरिजन वर्ग के लोग कभी भी साम्प्रदायिकता को पसन्द नहीं करते। उन्नत वर्ग के लोग ही ज्यादा साम्प्रदायिकता की बातें करते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अगर पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में आ जायं तो इस समय देश में जो विभिन्नता फैली हुई है वह खतम होकर देश मजबूत हो जाय। पिछला इतिहास बतलाता है कि इस जाति पांति और ऊंच नीच के भेदभाव के कारण ही देश गुलाम हुआ और जब तक यह भावना देश के अन्दर रहेगी तब तक यह मुल्क गिरा रहेगा। इसलिये जल्दी से जल्दी इस भेदभाव को खतम करना चाहिये ताकि मुल्क में मजबूती आ जाय।

एक और बात मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आज उसी वर्ग का यानी पिछड़े और हरिजनों का आर्थिक शोषण भी हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ये सरकारी नौकरियों में आ जायं तो यह समस्या भी कुछ हद तक हल हो सकती है। अगर कोई १०७ में पकड़ा जाता है तो ऊच्च वर्ग के लोगों को छोड़ कर उसी वर्ग के लोग ज्यादा परेशान किये जाते हैं। अगर उच्च वर्ग का कोई आदमी कचहरियों में जाता है तो चूंकि उसी वर्ग के लोग वहां पर भी हैं इसलिये उनका काम भी सस्ते में हो जाता है और जिस वर्ग के लोग वहां नहीं हैं उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है और तमाम परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उनका काम सुविधाजनक नहीं होता है। इसलिये इसकी जरूरत है कि हर वर्ग के लोग वहां रहेंगे तो सबके लिये सुविधा हो जायगी। सरकारी नौकरियों में जिस वर्ग के लोग हो जाते हैं उस वर्ग के लोगों को या उनके रिश्तेदारों को सभी बातों की जानकारी आसानी से हासिल हो जाती है जबकि पिछड़े वर्ग के लोग उससे काफी अनभिज्ञ रहते हैं, उनको इसकी कोई जानकारी

नहीं होती है और अपने पिछड़ेपन की वजह से और पिछड़े रह जाते हैं। इसलिये जरूरी है कि सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में हो।

मैं यह नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव किया जाय, लेकिन इस विभिन्नता के कारण किसी के साथ ऐसा व्यवहार न होना चाहिये कि कोई कमजोर होता ही चला जाय। इसलिये थोड़े दिन के लिए ही जब तक वह कमजोर हैं उनको हमें बराबर आने का मौक़ा देना चाहिये। जब उनमें भी शिक्षा हो जायगी तो वह वर्ग भी जरूर उन्नत वर्ग हो जायगा और उस समय हमें यह चीज हटा देनी चाहिये।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि छोटे वर्ग के लोग जो फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास हासिल करते हैं और सुशिक्षित होने के बाद भी यदि वह सरकारी नौकरियों में नहीं आते तो उनमें एक उदासीनता आती है और उस का फल यह होता है कि वह लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हो क्या होता है, कोई नौकरी आदि तो मिलती नहीं। इसलिए इस उदासीनता की भावना को उनमें न आने देने लिए आवश्यक है कि उनमें जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पर रखा जाय। इस तरह से उनको प्रोत्साहन देना आवश्यक है, इससे उनमें हजारों पढ़े लिखे पैदा होंगे और वह इस तरह से देश को और मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि यह साम्प्रदायिकता की बात है। मैं कहता हूं कि चाहे आप किसी को ले लीजिये, कोई क्षत्री हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, सब में पढ़े लिखों का अच्छा परसेंटेज है लेकिन इन पिछड़े वर्गों में एक प्रतिशत लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं। फलतः नौकरियों में भी उनका प्रतिशत बहुत कम है। हम देखते हैं कि आजमगढ़ वगैरह की तरफ ऐसी जातियां हैं कि जिनमें शायद एक प्रतिशत भी पढ़े लिखे लोग न होंगे और शिक्षा में बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। सरकारी नौकरियों में भी उनकी यही दशा है। किसी में से एक भी उनमें सरकारी नौकर या गजटेड आफिसर नहीं हैं। ५-६ हजार गजटेड आफिसर्स में से शायद उनकी तादाद ३०-४० से ज्यादा नहीं है। हालांकि आज से नहीं कई वर्ष से यह सरकार की नीति है, विभागों की नीति है और राजनैतिक पार्टियों की नीति है कि पिछड़ी जातियों को प्रोत्साहन दिया जाय। हमारे देश के लिए जरूरी है कि जो बेवकूफ हैं, होशियार नहीं हैं, उनमें विद्या नहीं है उनको हमें पीछे नहीं छोड़ देना चाहिये, उनको भी साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है हमारे उपराष्ट्रपति ने भी दिल्ली में पिछड़ा वर्ग कानफ्रेंस में कहा था कि उन्नत वर्ग का फर्ज है कि पिछड़े वर्ग उन्हीं बड़े वर्गों के कारण से दब गया है इसलिये उनकी जिम्मेदारी है कि वह उनको ऊंचा उठावें और आगे बढ़ावें और जगावें और तभी यह देश मजबूत हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव में जैसा चाहा गया है वह चीज कुछ दिन तक रखना जरूरी है और जब उनका अनुपात पूरा हो जाय तब रिजर्वेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं --

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जायं :--

"समस्त प्रकार की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग का चुनाव बोर्डों में प्रतिनिधित्व रहे।"

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग की समस्या पर इस सदन में आज और इससे पहले काफी वादविवाद हो चुका है और बहुत से माननीय सदस्यों के विचार इस सम्बन्ध में मुझे सुनने का अवसर मिल चुका है। पिछड़े वर्ग के लोगों के बहुत सीमित साधन हैं। उनका प्रश्न बहुत सहानुभूतिपूर्ण देखना चाहिए पर बहुत से लोग उनके प्रश्न को साम्प्रदायिकता और जातीयता की बात कहते हैं और न मालूम क्या-क्या कह कर इसको उलझा देते हैं। हम एक तरफ संविधान की ओर देखते हैं, एक तरफ सरकार की भी सहानुभूति है और वह भी इस वर्ग को उठाना चाहती है और उस रोज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किए थे उनसे भी हमें कुछ सांत्वना और धैर्य बंधा। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये उनमें न मालूम क्या-क्या असंगत बातें इस पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में जोड़ कर कह डालीं। खासतौर से साम्प्रदायिकता की बात जब जिम्मेदार लोगों की तरफ से कही जाती है तो मुझे दुख होता है। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में काम करने से जानता हूं कि वे साम्प्रदायिकता शब्द का अर्थ नहीं जानते लेकिन यहां जिम्मेदार लोग न जाने क्या-क्या बातें कहा करते हैं, मुझे वह सुनकर दुख होता है। हमारे नवल किशोर जी ने अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने तो बारबार इस बात का उल्लेख किया कि यह उनके दिमाग़ के बाहर की बात है। मैं उनसे कहता हूं कि आप बरेली में रहते हुये कैसे हर बात को अपने दिमाग़ से बाहर की बात कहते हैं। उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग की समस्या में तो साम्प्रदायिकता की गन्ध आती है। गन्ध शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। अगर वाकई पिछड़ा वर्ग गन्ध के काबिल है तो उसमें जरूर गन्ध आनी चाहिये और ऐसे लोगों को कोई मांग भी नहीं करनी चाहिये। अगर उनकी गरीबी, उनकी हर बात, उनकी हर आर्थिक समस्या गन्ध के काबिल है तो मैं नवल किशोर जी की नाक को बधाई देता हूं। उनकी नाक में खराबी है, उनकी सूंघने की शक्ति दूर हो गई है। उन्होंने हरिजनों की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया है। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

माननीय शिवनाथ जी काटजू, उन्होंने तो इस समस्या के साथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को देहली के साथ मिलाने वाली बात को जोड़ दिया। काटजू साहब इस समय यहां नहीं हैं। अगर वह यहां होते तो मुझे खुशी होती। उन्होंने पश्चिमी जिलों के लिये कहा था कि उन्होंने बड़ा गैर वफादारी का काम किया है और यह उन्होंने पिछड़े वर्ग की समस्या के साथ जोड़ कर कह डाला। पश्चिमी जिले के वह लोग जिन्होंने सन् १८५७ में राज्य क्रान्ति को जगाया था, जिनके बच्चे बूढ़े सब हताहत हुये, जायदादें बरबाद हुईं उनके लिये साम्प्रदायिकता की बात सोची जा सकती है? मैं कहता हूं कि हरगिज यह बात नहीं है। काटजू साहब ने बड़ी भारी एफीसियेंशी की चर्चा की। मैं मानता हूं कि बड़े बाप के बेटे हैं वे उस नाते एफीशियेंट हैं और गरीब जिसका फर्स्ट डिवीजन भी होता है, उसकी योग्यता होते हुये भी एफीशियेंट नहीं माना जाता।

छोटी छोटी बातें कहते मुझे तो शर्म आती है लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे जिले में तहसीलदारी के लिये चुनाव हुआ। सारे एम० एल० एज० ने वहां के लखनऊ में माल मंत्री जी के पास उस चुनाव के खिलाफ सारी बातें लिख कर दीं। यह सौभाग्य की बात है कि तहसीलदार की तादाद बढ़ा दी गई तो कुछ लोगों की शिकायतों को दूर किया गया लेकिन वास्तविकता जो थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखपाल का जो सब से छोटा चुनाव हुआ उसमें मैं एक हरिजन विद्यार्थी को जो सेकेंड डिवीजन एफ० ए० पास था, ले गया। जब मैंने, जो कमेटी वहां बनी है, उसके सामने कहा तो तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई इन्साफ करने का मौका दो। मैंने कहा कि मैं आपको

मौका देता अगर आपने अपने रिश्तेदारों को इस जिले के बाहर से बुला कर यहां पर जगह न दी होती । तो जितना जातीयता का भाव इन उच्च सरकारी कर्मचारियों में है उनके कारनामों से लोगों में यह भावना पैदा हुई। जहां तक एफीशियेंसी की बात है मैं उन गरीब हरिजन विद्यार्थियों से बराबर कहता हूं कि ताकतवर बनो, कमजोर की दुनिया में गुजर नहीं होती लेकिन जब कोई इम्तिहान न हो तो एफीशियेंसी कैसे दिखलाई जावे, कैसे काबिलियत मालूम हो ? लेकिन ज्यादातर सरकारी नौकरियों में, यह तो मैंने छोटी मोटी गिनाई, बड़ी बड़ी तक में इम्तहान नहीं होता, काबिलियत की नाप क्या हो ? बोर्ड बनता है और उस बोर्ड बनने के बाद में जैसा मैंने उदाहरण दिया कि फिर तहसीलदार और डिप्टी साहब अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उन्हें रख लेते हैं और हमें उपदेश देते हैं नैतिकता का। इसलिये अगर सरकार चाहती है कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाये और यदि पिछड़े हुये वर्गों से सरकार की सहानुभूति है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि चुनाव बोर्डों में उनके एक एक प्रतिनिधि रख दिये जायं। इससे उन लोगों में धैर्य भी होगा कि हमारे भी नुमाइन्दे हो गये।

मैंने ५ तारीख को दिल्ली में राष्ट्रपति का भाषण सुना तो गद्गद् हो गया। मैं तीन तारीख को यहां इस हाउस में भी यहां के विचार सुनकर गया था और उसके बाद जब मैंने राष्ट्रपति महोदय जी का भाषण सुना, उन्होंने जिस प्रकार हरिजनों के लिये अपने विचार व्यक्त किये तो मेरा दिल गद्गद् हो गया। लेकिन जब मैं इस सदन में लोगों के नारे सुनता हूं कि बड़ी साम्प्रदायिकता आ रही है तो मैं बड़ी सफाई के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि वह जरा अपने दिल दिमाग को साफ करें और जानें कि इस देश में क्यों पिछड़ा-पन है। मुझे खुद पिछड़ा-पन कहने में शर्म आती है। वर्ण व्यवस्था हजारों साल से चली आ रही है। यह तो परम्पराओं की बात है। आज शिक्षा-संबंधी साधन न मिलने से बहुत से लोग पिछड़े हुये हैं। सरकार ने आज बालिग मताधिकार दे रक्खा है इसलिये कोई भी हरिजन साम्प्रदायिकता लेकर आज चुनाव नहीं जीत सकता है। सब के सहयोग से वोटिंग होती है। मैं तो कहता हूं कि आज साम्प्रदायिकता मुल्क से मिटती जा रही है लेकिन सरकारी कर्मचारियों में आर्थिक दृष्टि से कुछ साधन मिलते हैं। उन साधनों से वह अपने बच्चों में शिक्षा पहुंचा सकते हैं लेकिन आज लीडर-शिप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो न मालूम अपने बच्चों की वजह से या और किसी वजह से साम्प्रदायिकता का नाम लेकर के अच्छे से अच्छे सुझावों को भी उलझा दिया करते हैं। यह बड़ा सरल सुझाव है, इसमें कोई साम्प्रदायिकता नहीं है।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह हरिजन जातियां वही हैं जिन्होंने पहले भी और आज भी मुल्क के लिये जब भी जरूरत पड़ी है, त्याग किया है। जैसा कि उस रोज काटजू साहब ने खतरा पेश किया, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भगवान न करे कि कोई खतरा आये लेकिन कहीं अगर कोई खतरा आया तो मैं हरिजनों की जातियों की तरफ से यहां यह कहना चाहता हूं कि उनका एक एक बच्चा इस देश की ओर से विदेशी ताकतों का मुकाबला करने के लिये तैयार है। और एक एक पैसा हमारे गरीब भाई अपने बच्चों को भूखे रख करके भी चाहे चन्दा ले करके या किसी तरह से भी सरकार को देंगे । इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह बहुत ही सरल संशोधन है कि जहां चुनाव बोर्ड बनें उनमें हरिजनों के प्रतिनिधि भी रक्खे जायं। इससे हरिजन वर्ग के लोगों में संतोष होगा और उनको किसी पर सन्देह भी नहीं होगा। इससे सरकार की भी नेकनामी होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रतिनिधित्व (रिजर्वेशन) से मुल्क के लिये कोई खतरा नहीं है । इससे हरिजन वर्ग

[श्री राम चन्द्र विकल]

के बच्चों को थोड़ा सा सहारा हो जायगा। इतना कह कर मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कमला सिंह जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कुछ दिन पहले मैंने यहीं के एक अखबार में यह पढ़ा था कि माननीय विरोधी दल के नेता राजनारायण जी के नाम से यह कहा गया था कि विधान सभा में पिछड़ी हुई जातियों पर जो प्रस्ताव आया उस पर हमारे विरोधी दल की जो राय थी वह राय माननीय कमला सिंह जी का जो संशोधन इस सदन के सामने पेश था उसके खिलाफ थी और इससे यह गलतफहमी पैदा हो गयी थी कि शायद सोशलिस्ट पार्टी जो प्रस्ताव माननीय कमला सिंह जी ने रखा है, उसका विरोध करती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं उस बात की सफाई करने के लिये भी आज इस सदन के सामने खड़ा हुआ हूं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर जो पिछड़ी जाति वाले हैं उनके साथ बड़ी भारी ज्यादती हो रही है। यही नहीं, हमारे जो हरिजन भाई हैं, जिन हरिजन भाइयों के संबंध में बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि हमने हरिजनों के लिये यह कर दिया वह कर दिया, मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे पर्वतीय प्रदेश के जो हरिजन हैं जिन्हें शिल्पकार हम लोग कहा करते हैं उनमें आज सैकड़ों शिल्पकार पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें नौकरी पर रखने के लिये कोई मौका ही यह सरकार नहीं दे रही है। मैं सरकार से यह पूछूंगा कि कुमायूं प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के पढ़े लिखे हरिजन विद्यार्थियों को नौकरी देने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं? उनकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यह जो पिछड़ी जाति वाले लोग हैं, इनको कहीं जगह नहीं मिलती है, न यह हरिजनों में हैं और न ऊंची जाति वालों में हैं, इसलिये इनको जो स्थिति है वह बहुत ही शोचनीय है और उस पर हमें विचार करना होगा। मैं तो अध्यक्ष महोदय, यहां तक कहने को तैयार हूं कि आज इस प्रांत के अन्दर सारे लोग पिछड़े हुये हैं। आज इस प्रांत के अन्दर जो नौकरियां हैं उन पर जो असरदार लोग हैं, जिनका सरकारी अधिकारियों पर असर होता है, जिनका मिनिस्टर लेविल में इंफ्लूएंस होता है, उनको ही रखा जाता है। इस लिहाज से सारे ही लोग पिछड़े हुये हैं। लेकिन यह जो पिछड़ी जाति वाले हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वह और भी शोचनीय है। इसके माने यह भी माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं हो जाते हैं कि हम वैसी धमकियां दिया करें जैसी कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स वाले दे रहे हैं कि पूर्वी जिलों में चूंकि सारा रुपया जा रहा है इसलिये हम दिल्ली के साथ मिलने जा रहे हैं। ऐसी बातें अगर कही जाती हैं तो वह हर आदमी को बुरी लगती हैं। हमारा काम लड़ना है, हमारा काम अपने हक को मांगना है, हम अपने घर वालों से कह सकते हैं कि आप हमारी यह यह मांगें पूरी कीजिये, लेकिन उसके साथ साथ जो यह अलग होने की छोटी छोटी चीजें सामने आती हैं, यह कुछ शोभनीय नहीं मालूम होती हैं। हमने आज सुबह एक अखबार में पढ़ा कि हमारे यहां कुछ लोग महा हिमांचल की बात कर रहे हैं, इसलिये कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा इकोनामिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यह एक बहुत बुरी बीमारी पैदा हो रही है। हम कल कहने लगेंगे कि हमारे कुछ आदमियों को नहीं रखा गया इसलिये हम फलां के साथ जा रहे हैं। हमारा आज कोई भी पिछड़ा हुआ वर्ग हो, चाहे वह इकोनामिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग हो, अगर वह अपनी मांगें सदन के सामने रखता है तो हम समझते हैं कि कि हम सब एक हैं क्योंकि हमारी पार्टी का यह प्रोग्राम ही है कि हम कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी (वर्गहीन और वर्णहीन समाज) कायम करना चाहते हैं जिसमें न कोई ऊंचा होगा, न नीचा होगा, न अमीर होगा और न गरीब होगा बल्कि हम सब एक लेबिल के होंगे। जब हमारा यह उद्देश्य है तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये

बजाय इसके कि हम धमकियां दिया करें, हम अपनी मांगों को रखें और आज जो मांग इस सदन के सामने माननीय सदस्यों ने रखी हैं मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार ऐसे प्रयत्न करे जिससे कि हमारे पिछड़ी जाति के भाई और हमारे हरिजन लोगों को फिर इस सदन के सामने दूसरी मर्तबा यह कहने का मौका ही न मिले कि वे यह कह सकें कि हमारी पिछड़ी हुई जाति के उम्मीदवारों के साथ बेइंसाफी की जाती है। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि वह फर्स्ट क्लास था लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की जब इस किस्म का प्रस्ताव इस सदन के सामने आया। माननीय नवलकिशोर के बारे में माननीय विकल जो कहते थे। मैं समझता हूं कि माननीय नवल किशोर जी की भी कभी यह मंशा न होगी। हमारे जो पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं अगर उनकी हालत आज इस सदन के जरिये हम इस सरकार को बतायें और उससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं यह भी समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि बहुत से लोग इसको पोलिटिकल चाल बताते हैं। बहुत से लोग ऐसे ऐसे इश्यूज उठाते हैं कि बारगेनिंग करें। मुझे विश्वास है कि यह भावना हमारे जो माननीय सदस्य यहां पर हैं, जो पिछड़ी हुई जाति के अपने को कहते हैं, उनके दिल में कभी नहीं होगी कि वे स्वार्थवश यह बात कह रहे हैं। अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिये अगर आज वह इस सरकार से मांग करते हैं तो कोई अनुचित बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हरिजनों के लिये १० साल तक स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं हम अपने प्रान्त में अगर उनके लिये कानूनन पद सुरक्षित न कर सकें तो अगर उनको कोई प्रिफरेन्शल ट्रीटमेंट दिया जा सके तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अखबारों में यह छप गया कि श्री राज नारायण ने प्रस्ताव का विरोध किया। गलत तरीके से हमारे लीडर की बातों को रखना उचित नहीं है कि वह उसका समर्थन नहीं करते हैं जबकि हमारे डिप्टी लीडर माननीय रामनारायण जी ने साफ शब्दों में माननीय कमला सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। बावजूद इसके चन्द अखबारों में यह खबर निकल गई कि माननीय राज नारायण जी, माननीय कमला सिंह के प्रस्ताव का विरोध करते थे और उस विरोध करने के कारण उन्होंने पार्टी को एक पत्र लिखा है कि उनको पार्टी से अलग करा दिया जाय। ऐसा भी भ्रमात्मक लेख अखबारों में छप गया। केवल गलतफहमी पैदा करने के लिये ऐसी चीजें की गई हैं। मैं अधिक न कह कर केवल यही कहना चाहता हूं कि हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के लड़के, जो शिक्षा पाने के बावजूद भी नौकरियों में नहीं हैं, सरकार इसकी ओर ध्यान दे ताकि फिर उनको कोई मौका न मिले यह कहने का कि नौकरियों के मामले में सरकार उनके साथ इंसाफ नहीं करती। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--माननीय नवल किशोर जी, आप कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे ?

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--जी हां।

श्री अध्यक्ष--लेकिन आपको उसी वक्त टोक देना चाहिये, कहें चाहे बाद में।

†श्री नवल किशोर--जी अच्छा। अभी माननीय रामचन्द्र विकल ने हमारा नाम लेकर मेरे संबंध में कुछ बातें कही थीं। तो मुझे यह कहना है कि मैंने वे बातें कभी नहीं कहीं जो उन्होंने मेरे रेफ्रेन्स में कहीं। मैंने सिर्फ यह बात कही थी कि अगर हम दुनिया का मुकाबिला करें तो सारा देश ही एक पिछड़ा हुआ देश दिखलाई पड़ता है। दूसरी बात यह कही थी कि जो पिछड़े हुये वर्ग हैं उसका कारण आर्थिक अभाव है। गंध की बात तो मैंने कभी नहीं कही थी कि मुझे इसके अन्दर कोई गंध आती है। मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने मेरे नाम से ऐसी बातें

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

कहीं जिसकी मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था। मैं चाहता हूं कि इसकी सफाई हो जाना चाहिये।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेन्द्रपति यादव के प्रस्ताव के अन्दर माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उसका समर्थन मैंइसलिये कर रहा हूं कि इस प्रस्ताव का सम्बन्ध हमारे समाज के ५५ प्रतिशत आदमियों से है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसी हालत में रहे कि उसका अंग इतना पिछड़ा रहे कि वह समाज के लिये एक भार मालूम पड़ने लगे। अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि जब हमारे शरीर का कोई अंग दुखता है और पीड़ा होती है तो उसके लिये हमें विशेष सुविधा देनी पड़ती है। उसी तरह से यदि हमारे समाज का एक अंग दुखी होगा तो उसको एक विशेष सुविधा दी जाय तो इसमें किसी भी अंग को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मैं दो दिन से इस पर काफी बहस सुन चुका हूं। जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी कई माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की है और विरोध भी किया है और उनका कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से बंटवारा करके एक अलग चीज बन जाय। मैं पहला आदमी होऊंगा, जो इस तरह की चीज को चाहूं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का बंटवारा हो, लेकिन हम यह भी महसूस करते हैं कि जब तक विशेष सुविधायें नहीं दी जायंगी तब तक हमारा पिछड़ा हुआ अंग उन्नत नहीं हो सकता। हमारी बहुत सी कमजोरियां हैं, हमें अपनी कमजोरी के अन्दर पूरी तरक्की करने का मौका नहीं मिलता है। हमारा वह अंग जो पिछड़ा हुआ है वह निर्धन है, उसके पास वह सुविधायें नहीं हैं जो उच्च वर्ग ने प्राप्त कर रखी है। हमारे पिछड़ी जाति के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनके पास न तो पढ़ने की सामग्री है, न किताबें हैं और न कोई चीज है। इसलिये वह इन कमजोरियों के कारण अपनी सर्वांगीण उन्नति नहीं कर सकते हैं।

दूसरी तरफ हमारा जो उन्नतिशील और एडवांस अंश है, उसके पास पूरी सुविधायें हैं, इसलिये उन्हें अपनी उन्नति करने का पूरा पूरा मौका मिलता है। इन कमजोरियों के अन्दर पिछड़ी जाति वाले शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर भी वह बेकार रहे तो उनकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिये जब वह इतनी कठिनाइयों के बाद शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको उसका प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिये क्योंकि हमारे बहुत से सदस्यों ने कहा है कि हमारे यहां सबको समान सुविधायें दी गई हैं और उसके मुताबिक, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वह उनके अन्दर तरक्की करें, हम भी महसूस करते हैं कि वाकई में सुविधायें दी गई हैं, कानून के अन्दर कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि एक आदमी बहुत दिनों से बीमार रहे और एक दम उठकर काम करे और दूसरों से मुकाबला करे तो, क्या वह मुकाबला कर सकता है? क्योंकि दूसरों के शरीर उस काम को करने के लिये पूरे शक्तिमान हैं। इसी तरह से हमारा पिछड़ा हुआ अंग है, वह बहुत दिनों से दबा हुआ है। उसमें अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह दूसरे लोगों के साथ समानता से आ सके। इसलिये यदि इस वर्ग को सुविधायें दी जायं तो बहुत अच्छा हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी आपत्ति की है कि इस तरह की, मांग साम्प्रदायिकता से भरी हुई है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की सुविधा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६ के चौथे हिस्से में दी हुई है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

तो जो माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं और वह यह कहते हैं कि यह साम्प्रदायिक मांग है, तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जिस संविधान को उन्होंने शपथ ली है वह क्या उसका ही तिरस्कार नहीं करते हैं? क्योंकि इस तरह की जो मांग है, उसका विरोध करके वह हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह तहे-दिल से सोचें और पूज्य बापू के जो उच्च आदर्श और सिद्धांत थे उन पर विचार करें। और यदि वह इस चीज को नहीं देखना चाहते हैं तो मेरी समझ में हमारे पूज्य बापू की आत्मा उनको कोसेगी और यह बतलायेगी कि वह अपने उद्देश्य से और नीति से गिर रहे हैं। मैं अधिक इस विषय में नहीं कहूंगा, लेकिन यह बतला देना चाहता हूं कि जब तक हमारे समाज का यह अंग पूरी तरह से उन्नत नहीं हो जायगा और सब तरह से उन्नत नहीं होगा, तब तक जो आजादी हमको मिली है वह कायम नहीं रह सकती है। हमारा पुराना इतिहास यह बतलाता है कि हमारी कमजोरी यही रही है कि हम अपने साथियों के साथ न्याय नहीं कर सके और इससे एक हजार साल की गुलामी हमको भोगनी पड़ी।

हमारे नेता बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं और कहते हैं कि हमारे साथियों के साथ और हिन्दुस्तानियों के साथ, जो कलर्ड हमारे साथी हैं, उनके साथ अफ्रीका में दुर्व्यवहार हो रहा है। तो हम उन से पूछना चाहते हैं कि वह भी क्या अपने ही भाइयों के साथ उसी तरह का व्यवहार नहीं करते? क्या वह उनके साथ अन्याय नहीं करते?

मैं अधिक विस्तार के साथ नहीं कहूंगा किन्तु आशा अवश्य करूंगा कि वह इस पर विचार करें और उनके समक्ष जो मांग हमने रखी है, हम चाहते हैं कि उसको तहेदिल से सोचें और उसकी मांग को पूरा करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री वीरेन्द्रपति यादव के प्रस्ताव के समर्थन के हेतु खड़ा हूं। सिद्धांततः मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, परन्तु एक बात जरूर कहनी है और आपके जरिये माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव के समर्थक हैं उनसे अनुरोध करना है कि जब कि इस प्रस्ताव में स्वयं यह लिखा हुआ है कि संविधान व सरकार की नीति पिछड़े हुए वर्गों के पक्ष में होते हुए भी.... तो जब आप यह समझते हैं कि सरकार भी यह चाहती है और संविधान में यह स्पष्ट है कि आपके लिए सुविधायें दी जायं, तो ऐसी बात नहीं है कि जो सम्मानित सदन के सामने आवे और इस पर अधिक वाद-विवाद हो और समय सदन का नष्ट किया जाय। यदि किसी माननीय सदस्य या पिछड़े हुए वर्गों को कोई शिकायत है तो माननीय मुख्य मंत्री या संबंधित मंत्री से मिल कर यह कह सकते हैं कि यह आपकी नीति है, उसको कार्यान्वित कीजिये और जिस तरह से हो सके उसमें कदम बढ़ावें। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें इतना वाद-विवाद किया जाय और समय नष्ट किया जाय। उनको किसी प्रकार की शंकाये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक अंबी कौमें हैं, हम उनको करीब बुलाते हैं। अगर वह भागना चाहें तो वह हमारा दोष नहीं है। वह किसी वजह से हमारी ओर से कोई विरोध न समझें, बल्कि सरकार भी चाहती है, संविधान में भी आपके लिए सुविधायें दी गई हैं और हर कौम यह चाहती है कि आप भी उन्नतिशील हों और आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से भागना या दूर हटना, या उनसे किसी प्रकार की आशंका करना निराधार होगा। अधिक अच्छा होगा यदि इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय और माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाय कि किस तरह से इन सुविधाओं को कार्यान्वित करें। वाद-विवाद अगर समाप्त ही किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)––मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है जिस पर और भी लोगों को बोलने का अवसर मिलना चाहिये । हमें भी इस पर कुछ कहना है ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह––श्रीमान् बहुसे काफी वाद-विवाद इस पर हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कि इस पर ५ घंटे का विवाद हो चुका है । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो सदन की अनुमति लिये लेता हूं ।

लेकिन श्री पद्मनाथ सिंह खड़े हुए हैं । पहले उनको बोलने का मौका दिये देता हूं । उसके पश्चात प्रश्न उपस्थित किया जायगा ।

†**श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गम्भीर है और हमारे इस राज्य के लिए और समूचे देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह प्रश्न न केवल विचारने की आरंभिक अवस्था में है, न केवल इस प्रस्ताव के आने के बाद इसको विचारने की आवश्यकता महसूस हुई, मैं यह अनुभव करता हूं कि यह प्रश्न और भी पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही हमारे देश के नेताओं के द्वारा कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है । जो प्रस्ताव सदन के सामने आज उपस्थित है उसमें जो भावना निहित है उससे मैं समझता हूं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सहानुभूति न रखता हो, जो ऊंची आकांक्षा न रखता हो कि हमारे इस देश में, हमारे इस प्रदेश में, सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोई भी वर्ग, कोई भी अंग, ऐसा न हो जो पिछड़ा हुआ अंग हो ।

वास्तव में किसी भी देश के लिए उस देश में पिछड़ा हुआ वर्ग होना, उस समूचे देश के लिए एक कमजोरी है और यदि हमको अपने देश को सर्वांगमुखी उन्नति करनी है तो हमें उन तमाम अंगों पर विशेष रूप से जोर देना होगा जो कि आज पिछड़े हुए हैं, विकसित नहीं हैं और जो उन्नतिशील नहीं हो रहे हैं । जब इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित है उस पर हम विचार करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें जो केवल सर्विसेज में स्थान प्राप्त करने की मांग की गया है वह उतनी ठीक नहीं उतरती है जितनी कि उसके अन्दर जो भावना निहित है, उसे उतरना चाहिये । संविधान की १६ वीं आर्टिकल की उपधारा (४) के अनुसार इस बात की व्यवस्था है कि पिछड़े वर्ग के लिए यदि राज्य समझे कि उनका सर्विसेज में अप्वाइंटमेंट, उनको पोस्टिंग होनी चाहिये तो वह की जा सकती है । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल उसी ख्याल का सहारा लेकर यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया है ।

मेरा एक नम्र निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि यदि अफ्रीका के पिछड़े हुए वर्ग के लोग, अमरीका के नीग्रो और दूसरे देशों के पिछड़े हुए वर्ग के लोग यदि केवल सर्विसेज में स्थान प्राप्त करके सन्तुष्ट हो जाना चाहते हैं तो उससे उनका विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि सर्विसेज से तो दो चार व्यक्तियों का ही लाभ हो सकता है, पूरा समाज उन्नति के रास्ते पर नहीं पहुंच सकता है । पूरे पिछड़े हुए समाज के अग्रसर होने के लिए तो कल्चरल, साइकालाजिकल और सोशल बहुत से चेंजेज की जरूरत हुआ करती है और वह चेंजेज मैं समझता हूं कि स्वतंत्र होने के पश्चात् से ही इस देश में काम करने लग गये हैं । विशेष रूप से जमींदारी अबालिशन के बाद तो इतना परिवर्तन आ गया है कि पूर्वी हिस्से की बात मैं आपसे बताऊं कि हमारे इस प्रदेश के पूर्वी भाग जो इतने पिछड़े हुए हैं कि वहां पिछड़े हुए वर्ग तो पिछड़े हुए हैं ही उच्च वर्ग हैं जो और वर्ग हैं, वह भी काफी पिछड़े हुए हैं । मैं अपने कुछ दोस्तों को दावत दे सकता हूं आजमगढ़ चलने के लिए, आजमगढ़, जौनपुर. इलाहाबाद, बनारस ये चार पांच जिले ऐसे हैं जहां सन् ४८ और उससे पूर्व शोषित संघ नाम की एक संस्था

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संगठित हुई थी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, वैश्य इस तरह के लोगों को छोड़कर वह तमाम लोग थे। अहीर, हरिजन, भर पासी, कहार, नाई ये सभी लोग थे, लेकिन इन चार पांच वर्षों के अन्दर वह सोशल चेंजेज इस कदर अधिक हुए हैं कि वह आज अच्छी तरह विजिबुल हैं। एक ब्राह्मण या एक क्षत्री एक नोनिया से किसी तरह अधिक उन्नतिशील नहीं कहा जा सकता। आज तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह चाहे नोनिया हों, चमार हों, भर हों, उसके साथ किसी ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, भूमिहार या लाला को खाने पीने में कोई परहेज नहीं रह गया है। सोशल चेंजेज एक दिन, दो दिन या एक महीने, दो महीने में तो होते नहीं। सर्विसेज में स्थान प्राप्त कर लेने से सोशल चेंजेज तो किसी तरह भी नहीं किये जा सकते। सोशल चेंजेज के लिये तो एकनामिक चेंज जरूरी होता है जैसे कि जमींदारी एबालिशन के बाद से और बहुत से जो लेजिस्लेशन हो रहे हैं उनके जरिये से सोशल चेंज पैदा हो सकता है। पिछड़ी जातियों का जो संगठन हुआ उससे एक बात और पैदा हुई। अक्सर ये नाई या और जो इस तरह के सचमुच पिछड़े हुए लोग हैं वह तो अब भी उन शोषित संघ के नेताओं द्वारा एक्सप्लायट किये जाते हैं अहीर बिरादरी के लोग पिछड़े हुए नहीं कहेजा सकते। लेकिन वे खामखा अपने को उसमें शामिल कर लेते हैं। इस तरह से अपने को पिछड़ा हुआ कहना मैं नहीं समझता कि उसमें कोई शान की बात है। वैसे तो लोग आज कहते हैं कि भाई पिछड़ा हुआ नहीं हरिजन होने में लाभ है। लाभ के कारण पिछड़े हुए वर्ग में, हरिजन वर्ग में अगर कोई शामिल हो जाना चाहता है तो दूसरी बात है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर इस समस्या पर राजनीतिक रूप से विचार करना शुरू कर दिया गया तो कोई लाभ नहीं हो सकता है। सचमुच पिछड़ा हुआ वर्ग उन्नति नहीं कर सकता है। सचमुच उस समस्या का हल नहीं निकल सकता। वह उस आंदोलन का सूत्रपात नहीं कर सकेंगे, वह धारा नहीं बहा सकेंगे जिससे समूचा पिछड़ा हुआ वर्ग उन्नति के रास्ते पर चल सके।

इसलिए जैसा कि मैंने कहा विशेष रूप से आज पूर्वी जिलों का उदाहरण देता हूं। वहां एक पाकिस्तान बना हुआ है। एक तरफ पिछड़ी हुई जातियां संगठित हैं और दूसरी तरफ अन्य जातियां हैं। कुछ पालिटिकली कांशस लोग उस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं प्वाइंट आउट करना चाहता हूं कि यदि हमें देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की अनुभूति है, यदि हम देश को उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उस आंदोलन का सूत्रपात करना चाहते हैं, जिसको हम इस प्रस्ताव में कल्पना करते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि सर्विसेज में तो स्थान मिलना चाहिये। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए उसके लिए रिजर्वेशन हो गया है, लेकिन अगर पिछड़े हुए वर्ग के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया तो ऊपर वाला जो वर्ग है वह फिर अल्पमत में आ जायगा। कोठी वालों को निकाल कर झोपड़ी में रख दें और झोपड़ी वालों को निकाल कर कोठी में कर दें तो झोपड़ी ही झोपड़ी रह जायंगी। यदि पूरे प्रश्न पर विचार करना है तो हमारा पूरा देश पिछड़ा हुआ है। आप किसी जिले में चले जाइये, खासकर पूर्वी जिलों में तो ब्राह्मण, ठाकुर, लाला के घर में चले जाइये। आप देखेंगे कि इसमें संदेह नहीं कि वह चारपाई पर बैठ लेता है सबके सामने और छुआछूत का प्रश्न उसके लिए नहीं है, लेकिन पिछड़ा हुआ इस मानी में है कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से गिरा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो कहीं बोल नहीं सकता और पैसे-वाला नहीं है तो अपनी आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सकता। अगर इस दृष्टिकोण से विचार करें तो पिछड़ा हुआ वर्ग जो है उसकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। पिछड़े हुए वर्ग को सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। पिछड़े हुए वर्ग पर विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये, इस दृष्टिकोण का उन भाषणों में सर्वथा अभाव था। इसलिए मैं विशेष जोर देकर कहना चाहता हूं कि विधान में तो इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी लेकिन यदि हम उस कल्पना को जो इस प्रस्ताव में की गयी है उसको एक क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं तो हमें इस बात की आवश्यकता होगी कि हम पालिटिकल एक्सप्लायटेशन छोड़ कर, इस प्रश्न पर आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करें। स्वतंत्रता के बाद और जमींदारी

[श्री पद्मनाथ सिंह]

उन्मूलन के पश्चात् हमारे समाज में एक विशेष परिवर्तन होना आरम्भ हो गया है। दो वर्ष में हमारे पूर्वी जिलों में एक बड़ा जबरदस्त आर्थिक परिवर्तन होने लग गया है। यदि हम शांतिपूर्वक इन सामाजिक परिवर्तनों को अपने प्राकृतिक रूप में चलने दें, तो जो कल्पना इस प्रस्ताव में निहित है वह हमें अवश्य सुलभ होगी।

मैं अब जातियों के सम्बन्ध में भी निवेदन कर देना चाहता हूं। यदि ब्राह्मण ठाकुर का बनाया हुआ नहीं खाता, ठाकुर अहीर का बनाया हुआ नहीं खाता, अहीर, चमार का बनाया हुआ नहीं खाता, तो चमार मेहतर का बनाया हुआ नहीं खाता। यह परम्परा की बात है, जो सदियों से हमारे देश को छिन्न-भिन्न कर रही है। कांग्रेस ने बहुत पहले से इसको दूर करने का आंदोलन चलाया और उसमें बहुत हद तक सफलीभूत भी हुयी। मुझे विश्वास है कि आज वह जिस रास्ते पर चल रही है वह उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है और उसी रास्ते पर चलती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम विश्वास कर लें और उसे हम बलशाली और जोरदार बना लें तो फिर इस बात की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हम दूसरे तरीके के आंदोलन का सूत्रपात कर सकें, किसी दूसरे तरीके का सहारा ले सकें।

मैं समझता हूं कि सर्विसेज की जो बात है इसमें सन्देह नहीं कि सर्विसेज में उन्हें अवश्य स्थान मिलना चाहिये। अभी हमारे सीताराम जी शुक्ल ने एफिशियेंसी की बात कही थी। अंग्रेज भी यही कहा करते थे कि हमारे देश में एफिशियेंसी की कमी है इसलिये हमको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिये। वही कह कर आज हम भाग नहीं सकते। अगर एफिशियेंसी की कमी है तो भी आवश्यकता है कि हम उनको अवसर दें और गल्ती करके वे अनुभव प्राप्त करें। इससे हम उनका विश्वास प्राप्त करेंगे और इस तरह से समाज में इन बातों का सम्मिश्रण कर सकेंगे जिनकी आवश्यकता है और जिनसे हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे देश में अनेक जातियां और उप जातियां हैं, अनेक रस्म रिवाज हैं और उनके सम्मिश्रण से उनकी हम सहानूभूति और विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। उसे प्राप्त करने के लिये हमें उनसे सहयोग करना होगा और उनकी सहानुभूति प्राप्त करनी होगी। आज उनका जो अविश्वास है वह निराधार नहीं है।

अभी एक भाई ने कहा कि अफ्रीका की पिछड़ी हुयी जातियां और अमेरिका के नीग्रोज और दूसरे देशों की तरह हम भी व्यवहार करने लगें तो उस व्यवस्था से हमारा काम चल नहीं सकेगा। हमारे भाई ने वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कही थी। चाहे वह कितनी दूषित हो, लेकिन वर्णाश्रम के सम्बन्ध में डाक्टर भगवान दास जी ने कहा है कि उसकी मूल रूप से आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। उन्होंने हिन्दू धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि समय-समय पर और प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश में मनुष्य जाति चार वर्गों में विभाजित रही है। हम चाहे उसे महसूस करें या न करें। चाहे वह कोई भी देश हो, कुछ लोग अध्ययन करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, आविष्कार, अनुसंधान और रिसर्च करते हैं उनकी एक जाति बन जाती है। दूसरे लोग रक्षा करते हैं, लड़ाई करते हैं उनकी भी एक जाति बन जाती है। तीसरे वे लोग हैं जो रोजगार करते हैं और चौथे वे लोग हैं जो श्रम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। इस तरह से प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश में ये चार वर्ण बनते रहते हैं। हिन्दुस्तान ने इसी साइंटिफिक बेसिस को स्वीकार करके मनुष्य जाति को चार भागों में विभाजित किया था। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है क्योंकि आज के युग में जब हम स्वतंत्र हो गये हैं हमें नेचुरल रूप में आना चाहिये और अपने देश को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को अपना रूप देने के लिए हमें वर्णाश्रम व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। जहां तक पिछड़ी जाति का सवाल है जब तक हम इस आंदोलन को सही रूप से नहीं चलाते, जब तक हम इसको सही रास्ते पर नहीं ले जाते बजाय इसके कि हमारा

रास्ता आसान बने, प्रायः हमारा रास्ता संकटपूर्ण बन जायगा। इसीलिए मैंने पूर्वी जिलों की बात कही। मैं उनको कोई उलाहना नहीं देता लेकिन मैं उन कठिनाइयों का जिक्र करना चाहता हूं जिनकी अनुभूति हमें निश्चित रूप से होनी चाहिये, जिनकी अनुभूति हम अपने दिमाग में रख कर हम अपने इस देश को सही रूप दे सकते हैं। अमेरिका को कई जातियों ने फ्रैन्च, इंग्लिश, स्पेनिश, आयरिश आदि "अनेक जातियों ने मिल कर बनाया और एक राष्ट्र का उत्थान किया जो कि आज संसार का सबसे बलशाली राष्ट्र है। रूस को भी ५०, ६० जातियों ने मिल कर बनाया जिनकी भाषा में अन्तर था, रीति रिवाज में अन्तर था, रहन सहन में अन्तर था और जिनके सोचने में बड़ा भेदभाव था और उन्होंने परस्पर सहयोग और मेल से देश की उन्नति के लक्ष्य को सामने रखकर आज एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया, जो कि एक बड़ा शक्तिशाली देश हैं। हमारा देश आज ५,६ साल से स्वतंत्र देश है, प्रतिक्षण जिसमें परिवर्तन हो रहा है। एक परिवर्तन शांत नहीं हो पाता है कि दूसरा परिवर्तन आ जाता है। जब तक इन परिवर्तनों को, अपने विवेक से ठीक विवेचना नहीं कर सकेंगे, उनको एक रूप में नहीं लायेंगे, समस्याओं का ठीक रूप नहीं समझ सकेंगे और ठीक रास्ते पर उनको नहीं चला सकेंगे मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि ये मांगे, हालांकि मैं इन मांगों को उचित समझता हूं, उनका स्वागत करता हूं और महसूस करता हूं कि उनको सही रूप से उन्हें प्राप्त होना चाहिये और महसूस करता हू कि उनको सही रूप मिलना चाहिये लेकिन उनको प्रोपर एंगिल से यदि हम नहीं देखते हैं और समुचित दृष्टि से उन पर विचार नहीं करते हैं तो बजाय हमारी गाड़ी आगे बढ़ने के पीछे चली जायगी। इसलिए मैं यह समझता हूं कि ऊंची कहलाने वाली जातियां भी अपना व्यवहार इस प्रकार से रखें कि जिससे पिछड़ी जातियां बिना वजह अपना अपमान महसूस न करें और ऊंची जातियों को भी बिला वजह पुरानी मनोवृत्ति को अपनाये नहीं रहना चाहिये। यह भी सही है कि सदियों से जो ढंग रहता चला आया है वह एक दिन में कैसे बदला जा सकता है। आज कैसे आशा कर सकते हैं कि वह सहसा बदल जाय। हमको आज इस बात पर भी जोर देना चाहिये कि वह समाज आज एकदम नहीं बदल सकता है, वह समय के अनुसार ही बदलेगा।

अन्त में मैं इतना और निवेदन कर दूं कि सब प्रश्नों का आधार आर्थिक प्रश्न होता है। यदि हमारा आर्थिक आधार बदल जाय तो फिर जल्दी समाज का सुधार हो सकता है। इस कारण मैं इस बात पर और जोर देता हूं कि यदि हमारे समाज का आर्थिक ढांचा बदल जाय तो हालत जल्दी सुधर सकती है। हमारा जो यह कहना है कि एक क्लासलेस सोसायटी का निर्माण हो और ऐसे समाज के लिये हम प्रयत्नशील हों जो क्लास के बंधन से परे हो और उसके रास्ते में जो बाधा आवे उसको हटा दें। बहुत से लोग क्लासलेस सोसायटी की बात तो करते हैं लेकिन उसको करते नहीं हैं, वह बात पीछे ले जाने वाली है। हमको कांग्रेस नीति को अपनाना चाहिये और कांग्रेस संस्था उसकी पूर्ति कर सकती है और तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और पिछड़ा वर्ग भी समाज के द्वारा अपनाया जा सकता है और वह संतोष महसूस कर सकता है। मुझे तो यह बात चन्द दिनों की मालूम होती है। मेरा विश्वास है कि जिस तेजी से जमाना आगे बढ़ रहा है इस प्रकार की बातें हमारे लिये पुरानी बनकर रह जायंगी। मेरा तो इस प्रस्ताव से पूरी हमदर्दी है और मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए जैसे भी हो सरकारी नौकरियों में स्थान देकर और उनकी भावना का आदर करके उनका विश्वास प्राप्त करे ताकि वह समाज में और देश में उन्नतिशील बन सकें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उपस्थित संकल्प पर तथा जो संशोधन उसके सम्बन्ध में उपस्थित हुए हैं उन पर वाद विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रज विहारी मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से गत दो दिनों से इस प्रस्ताव पर जो विवाद होता रहा है उसको सुनता रहा हूं। मैं आपके द्वारा साफ सदन से यह कह देना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का अक्षरशः समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक पिछड़े वर्ग के लोगों को समुचित स्थान नौकरियों में मिलना चाहिये और इसके साथ साथ अपने उन भाइयों से जिनके भाषण इस प्रस्ताव पर हुए हैं कुछ निवेदन भी करना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं उन भाइयों से कि अगर सारे के सारे स्थान सरकारी नौकरियों के पिछड़े वर्ग को दिये जायं तो क्या उनकी समस्या हल हो सकती है और क्या यह प्रस्ताव उन समस्याओं को हल करता है ? नौकरी क्या चीज है। मैं यह कहता हूं कि इस दृष्टि से हमारे यहां एक कहावत है कि "उत्तम खेती मध्यम बान, निषद् चाकरी भीख निदान"। हमारे यहां सर्विसेज को बहुत नीची दृष्टि से देखा गया है। मैं अपनी तरफ से यह कह सकता हूं और अपने भाइयों की तरफ से भी कह सकता हूं कि नौकरियों के पीछे दौड़ने से हमारी न तो समस्या हल होती है और न हमको कोई सालूशन ही मिलता है। सारी नौकरियों की, उत्तर प्रदेश में, संख्या २ या ढाई लाख होगी और पिछड़े वर्ग और हरिजनों की संख्या, जैसा कि कहा जाता है, आबादी का ८० फीसदी है। तो सारी की सारी नौकरियां भी उनको दे देने से उनकी समस्या हल नहीं हो सकती। उनकी समस्या का हल आर्थिक विकास है। कांग्रेस ने इसकी ओर कदम उठाया भी है और इस वर्ग की उन्नति विशेष तौर पर हमको करनी है। जैसा कि रामलखन जी ने कहा, हमको पिछड़े लोगों को अवसर देना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। माननीय विकल जी ने कहा था कि चुनाव समितियों में उनके प्रतिनिधि रखे जावें। मैं यह नहीं मानता कि उससे भी उनकी समस्या ज्यादा हल हो सकेगी। इतना अवश्य है कि चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व होने से उनके प्रति धांधलियां नहीं होंगी। सरकारी आदेश भी इस आशय का है, लेकिन उसका पालन उतनी सख्ती से नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिये। पहले हरिजनों के लिए १० फीसदी स्थान सुरक्षित था और अब बढ़ा कर १८ कर दिया गया है, लेकिन इतनी संख्या की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। वह दिन याद होना चाहिये जबकि माननीय मुख्य मंत्री ने साफ तरीके से कहा था कि उन्होंने आदेश दे रखा है कि हरिजनों के लिए जो १८ प्रतिशत जगह सुरक्षित हैं उनको उतनी संख्या अवश्य दी जावे। मैं चाहता हूं कि इसके लिए सरकार की ओर से सख्ती की जाय।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह कार्यान्वित किया जाय, लेकिन इसके साथ-साथ में वास्तविक समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। जैसा मैंने अभी कहा, नौकरियों में तो सारी की सारी भी उनको दे देने से समस्या हल नहीं हो सकती है। तो उसके साथ में यह चाहता हूं कि जितने काम हम करते हैं जैसे खेती और उद्योग धंधे हैं उन सब में आपकी ओर से पूरा-पूरा सहयोग होना चाहिये और होता भी है। मुझे शिकायत नहीं है लेकिन सावधान करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। किसी एक वर्ग विशेष की ओर ही हम ध्यान दें, यह नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह अनुचित बात है। हिन्दोस्तान, हर उसके निवासी का, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, है, और हर निवासी का कर्त्तव्य है कि अपने देश को उन्नत बनाने में साथ दे और इसके लिए निरन्तर परिश्रम करना हमारा कर्तव्य होता है। ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसा कई मर्तबा प्रस्ताव भी आया है और माननीय त्रिपाठी जी ने भी मुझसे कहा कि इसको खतम करो क्योंकि और भी बहुत से आवश्यक प्रस्ताव हैं और उन पर भी विचार होना चाहिये। इसलिए मैं अपने उन भाइयों के साथ सहानुभूति रखते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संकल्प में एक संशोधन पेश करता हूं। वह यह है कि--

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"प्रदेश में आबाद शरणार्थियों को भी पिछड़े वर्ग के समान ही सुविधायें प्रदान की जायं।"

शरणार्थी शब्द जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें कोई एक ही जाति या वर्ग के लोग नहीं हैं। आप सब माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि किन हालतों में, आजादी मिलने के बाद, पंजाब, सिंध और मुल्क के दूसरे हिस्सों से ये लोग आये। जैसा कि मैंने पहले बतलाया इनमें कोई एक वर्ग के ही लोग नहीं हैं, उनमें हरिजन भी हैं, पिछड़े हुए वर्ग के लोग भी हैं, उनमें ब्राह्मण भी हैं, खत्री भी हैं, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। यह नहीं है कि सब अमीर ही हों, सब गरीब ही हों। लेकिन जिन हालात में वे आये हैं उनकी जो आर्थिक दशा है वह किसी तरह भी उनसे अच्छी नहीं है, जो लोग पिछड़े हुए हैं या हरिजन हैं। वे आपसे अच्छे नहीं हैं। जो लोग वहां से अपने साथ लाये थे उन्होंने यहां अपना काम शुरू किया। ये लोग कुल उनकी आबादी के १०—२० प्रतिशत होंगे। बाकी जो रहे उनको कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुछ प्रदेशीय गवर्नमेंट ने सहायता दी और इस प्रकार से १०—१५ फीसदी लोग और आबाद हो गए। लेकिन अब भी उनमें से बहुत से लोग गैर आबाद हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत वे अपने साथ लाये थे वह भी खर्च कर चुके हैं। उनकी हालत ऐसी है जिसको अंग्रेजी में हैन्ड टु माउथ कहते हैं। सुबह को जो कुछ कमाते हैं वह शाम को खा लेते हैं। जब वे पहले आये थे तो यहां की आम जनता की हमदर्दी उनके साथ थी, वे समझते थे कि किन हालात में ये लोग वहां से आये हैं और उनकी कुछ सहायता करती थी। हरएक सरकार ने भी जहां-जहां वे गये, उनकी सहायता की लेकिन अब समय गुजर जाने के बाद, हर श्रेणी के लोग जो उनकी मदद कर रहे थे वे अपना हाथ खींचते जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इमदाद देती थी वह उसने कम कर दी है। प्रदेशीय सरकार के बजट में भी जो रकम इसके लिए रक्खी जाती थी उसमें भी कमी कर दी गयी है। कुछ इस ख्याल से कि किसी की हमेशा के लिए इम्दाद नहीं की जा सकती। इस ६—७ साल के अर्से के बाद भी जो वे लोग अपनी जायदादें वहां छोड़ आये थे, सरकार मुआविजे के रूप में कुछ नहीं दे सकी है। जो कुछ भी दिया गया है वह बहुत ही थोड़ा है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक व्यक्ति को या एक परिवार को जो १—२ लाख की जायदाद वहां छोड़ आया था केवल ८ हजार रुपये ज्यादा से ज्यादा दिये जायेंगे। बाकी लोगों को तो इसमें भी कम मिलगा। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि ८ हजार से कितना वे यहां जायदाद पैदा कर सकते हैं या कोई ऐसा रोजगार कर सकते हैं ताकि अपना और अपने बच्चों के पेट पाल सकें। तो ऐसी हालत में जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद कम होती जाती है और लोगों की भी कुछ ज्यादा रुचि उधर नहीं है तो इस प्रदेशीय सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह जहां और जातियों का खयाल नौकरी देने में या और सुविधायें देने में रखती है वहां इस हिस्से को भी सामने रखा जाय। मुझे इसलिए यह कहने की जरूरत महसूस हुई और मैंने यह अमेंडमेंट दिया है। अगर आप आंकड़े मंगवा कर देखें तो मालूम होगा कि इस वक्त तक ६ साल के अरसे में कितने शरणार्थी मुख्तलिफ मुहकमों में रखे गये हैं। वे आंकड़े ऐसे हैं जो मायूसकुन हैं। आखिर वे क्यों नौकरी में नहीं आते हैं? यह हो सकता है कि वे इस योग्य न हों क्योंकि जो उधर से आये उनकी भाषा उर्दू थी और यहां हिन्दी में इम्तहान होता है लेकिन फिर भी जब तक उनकी कुछ और सहायता न की जायगी तब तक दूसरों के मुकाबिले में सर्विस मे कम्पटीशन में आना उनके लिए मुश्किल हो जायगा।

मैं आपको गाजियाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का उदाहरण देता हूं। उस बोर्ड का जो सालाना बजट है वह करीब १२ लाख के करीब है। वहां शरणार्थियों की आबादी भी २० हजार के करीब है लेकिन म्युनिसिपैलिटी में सिर्फ ४ आदमी हैं जो शरणार्थी हैं।

[श्री तेजा सिंह]

शरणार्थी तो टीचर हैं, एक हेल्थ डिपार्टमेंट में है और एक किसी चुंगी में मुलाजिम है। करीब-करीब यही हालत मेरठ बोर्ड की भी है। मुझे वहां का जाती इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब यहां की यह हालत है तो बाकी जगहों में भी यही हालत होगी। तो इसलिए मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि नौकरियां देते वक्त वह इस वर्ग को भी ज़रूर सामने रखे। मेरे एक साथी ने कहा कि जब और जगह काम हो तो नौकरियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिये। यह बात तो ठीक है लेकिन यह सभी के लिये होना चाहिये। यह नहीं कि जो पीछे रह गये हैं उनको तो उपदेश दिया जाय कि नौकरी करना ठीक नहीं है और जो पहले ही से आगे बढ़े हुए हैं वे उनकी जगह पर नौकरियों पर कब्जा करते जायं। आखिर क्यों दूसरों को मौका न दिया जाय ? इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार को इस वर्ग की तरफ ज़रूर ध्यान रखना चाहिये।

†**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य** (ज़िला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का यह संकल्प जो इस सदन के समक्ष वीरेन्द्रपति यादव द्वारा रखा गया है उस पर इस सदन के सामने मुझे बहुत से भाषणों को सुनने का अवसर मिला। और सत्य तो यह है कि उनमें से कुछ भाषणों को मैंने दुख के साथ सुना। बहुत मोटे तौर पर नौकरियों में पिछड़े वर्ग को कुछ अनुपात से स्थान दिये जाने का प्रश्न एक बहुत बड़ी समस्या का छोटा सा अंग है। समस्या यह है कि हमारे देश में दलित वर्ग है और पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो सदियों से पददलित किया गया, जिसके अधिकार छीने गए, जिसको मनुष्य के अधिकारों से वंचित रखा गया और जिसके साथ दूसरे ऊंचे वर्गों ने ऊंचे और बड़े होने के भेदभाव निर्माण करके उसको नीचे गिराया, उसको इतना नीचा बना कर ऐसी संज्ञा प्रदान की कि जिस का एकमात्र कर्तव्य केवल शूद्र हो कर सेवा करने वाली वृत्ति उसके सुपुर्द की गयी। जब से कांग्रेस का जन्म हुआ और उसके भी पूर्व से इस देश के महान् पुरुषों ने जिन में स्वामी दयानन्द और दूसरे धार्मिक नेता भी थे जिन्होंने कहा कि यह उनके साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग को इस प्रकार नीचा स्थान देकर उस को पददलित करना मनुष्यता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठायी। इसके अतिरिक्त इस देश के राष्ट्रपिता ने जिनका चित्र सामने सदन में मौजूद है, आवाज़ को बुलन्द किया और उन्होंने तो कई बार उनको अधिकार दिलाने के लिए भूख हड़ताल तक की और अपनी जान तक की बाज़ी उनके लिए लगायी। कांग्रेस ने भी उन्हीं सिद्धांतों को प्रदर्शित किया और कुछ विषयों में उसका प्रतिपादन भी किया। आजादी मिलने के बाद हमारे देश का अपना संविधान बना कि किसी भी वर्ग को ऊंचा या नीचा होने का अधिकार नहीं है।

हमारे श्री मदनमोहन जी ने जिस वर्गहीन समाज का जिक्र किया, उनको अवसर था कि वह सदन की समस्त पार्टियों का नेतृत्व करते, पर उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी की यह नीति है कि वह वर्गहीन समाज बनाये। लेकिन उनको यह ज्ञात ही होगा कि देश का जो संविधान तैयार हुआ है उसमें ही छोटे-बड़े और ऊंचे-नीचे के प्रश्न को खत्म कर दिया गया है और उसके अनुसार ही देश में वर्गहीन समाज की स्थापना हो चुकी है, लेकिन फिर भी यह कहना कि इस देश में संविधान की धाराओं का पालन होता है या यहां सचमुच ऐसे समाज की स्थापना हो गयी है यह सरासर गलत है। माननीय सदस्यों ने कई रूप में इस समस्या को रखा है। माननीय वीरेन्द्रपति यादव ने इस समस्या को जिस प्रकार पहले रखा था उसी प्रकार अब दोबारा रखा है। इस सम्बन्ध में इस सरकार से कई बार प्रश्न भी पूछे गए और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति घोषित की जा चुकी है कि शिड्यूल कास्ट के लिए १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं और वह उनको दिए जाने चाहिए। मुझे ठीक से स्मरण है कि इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लम्बा

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण इस विषय में दिया था लेकिन आज जिस बात के सम्बन्ध में यह प्रश्न पुनः आया है वह दो पहलुओं को लेकर आया है। एक तो पिछड़े हुए वर्ग और दूसरे नौकरियों में उनका यथोचित प्रतिनिधित्व। इन दोनों पहलुओं के बारे में मुझे कहना है कि यह दोनों पहलू तो हमारी बड़ी समस्या का एक अंग मात्र हैं। हमने यह स्वीकार किया है कि सचमुच इन जातियों के साथ अन्याय हुआ है, हमने स्वीकार किया है कि इन जातियों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, हमने स्वीकार किया है, कि उनको ऊंचा उठाना है और हमने इस दिशा में एक कदम उठाया भी है और हमने स्पष्ट रूप से संसार को घोषित किया है कि हमारा यह कदम कोई नीति का विषय नहीं है बल्कि एक सिद्धांत का कदम है। स्थानों के अनुपात के प्रश्न पर भी हमने विचार किया है लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसके २ रूप सदन के सामने रखे। एक तो यह जैसा कि श्री वीरेन्द्रपति जी ने अपने प्रस्ताव में रखा है कि सरकार की नीति हरिजनों के विषय में होते हुए भी उनको पूरे स्थान नहीं मिलते। कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर को प्राप्त करके यह भी कहा कि जान बूझ कर इसको पूरा नहीं किया जाता। माननीय विकल जी ने इसका एक उदाहरण भी सदन के समक्ष दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक अच्छे उम्मीदवार के होते हुए एक दूसरे उम्मीदवार को लिया गया, जो पिछड़े हुए वर्ग से संबंधित नहीं था। दुर्भाग्यवश कुछ दूसरी बातें भी सदन के सामने आयीं और उसमें कहा गया कि यदि इस प्रकार के वर्गों की कल्पना की जायगी और इस प्रकार वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने की परिपाटी देश में प्रतिपादित की जायगी तो उसका अन्त नहीं होगा। श्रीमन्, मैं स्पष्ट रूप से सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष कहना चाहता हूं कि इन दोनों ही बातों में तत्व अवश्य है। यदि यह कहा जाय कि एक ही बात सत्य है तो मैं बहुत सम्मान पूर्वक अपनी असहमति को उनसे प्रकट करूंगा। यह सत्य है कि कुछ निश्चित अनुपात में लोगों को सरविसेज में रखना चाहिये उनको जो पिछड़े हुए हैं, कौन इसे अस्वीकार करेगा? किन्तु आखिर इसकी सीमा भी कहां है। यद्यपि यह सत्य है कि जिस अनुपात में उनको रखना चाहिये यदि उसको पूरा न किया जाय तो अनुचित है और कौन कहेगा कि अनुचित नहीं है लेकिन इसका अन्त करते-करते हम ऐसे स्थान पर आ जायं कि जहां पर पिछड़ी जाति की पुनर्गणना हो और वह भी तो कोई अन्त नहीं उसके बाद भी कुछ और निश्चित किया जाय॥ तो मैं कहता हूं कि क्या कुछ लोगों को अधिकार नहीं होगा कि वे कहें कि सभी जातियों की गणना करा दी जाय? लेकिन यह दोनों ही गलत बातें हैं। जो समस्या पिछड़ी हुई जातियों की है उसको उसके मूल रूप में स्वीकार कीजिए। हम यदि अपने राष्ट्रपिता की वाणी का दोबारा स्मरण करें तो उन्होंने कहा था कि यहां के ऊंचे वर्ग ने इन पिछड़ी हुई जातियों के साथ जो अन्याय किया है उसका प्रायश्चित करना चाहिये। मैं स्वीकार करूंगा कि प्रायश्चित किया जाना चाहिये, लेकिन आज वह प्रायश्चित किन रूपों में हो, आज यह सदन को विचार करना है। आज जो कुछ संकल्प में निहित है उसका विस्तार तो एक निश्चित अनुपात तक है वह पूरा किया जाय।

एक माननीय सदस्य ने शरणार्थियों के बारे में भी सदन का ध्यान आकर्षित किया। मैं चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं पर एक हो कर हम विचार कर लें। अनुपात के अनुसार उनको सेवाओं में सुविधायें दी जायं इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा किन्तु माननीय सीताराम जी शुक्ल ने भी एक बात कही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने माननीय सदस्यों ने उसको समझने का प्रयास किया। एक दूसरी चीज उन्होंने सदन के सामने रखी और इस प्रस्ताव के अन्त में उन्होंने जोड़ने के लिए ये शब्द रखे "ताकि योग्य उम्मीदवारों के अधिकार सुरक्षित रहें।" मैं नहीं जानता कि कितने माननीय सदस्यों ने इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है। सर्विसेज के विषय में कोई बात कहना बड़ा कठिन है। किसी भी देश के और इस देश के भी जीवित रहने के लिये, उसके उन्नत करने के लिये सर्विसेज का योग्य होना आवश्यक है। वह ऐसे हों जिन पर भी किसी दुर्दिन के लिए देश भरोसा कर सके। यह अत्यन्त

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

आवश्यक है, यदि सर्विसेज अयोग्य हो जायं, यदि सर्विसेज में कुछ वर्गों के नाम पर चुनाव होने लगे और उनको भी एक अंतिम स्थान पर ले जाया जाय जहां पर उन वर्गों की कल्पना का ज्ञान ही रह जाय तो मैं नहीं जानता श्रीमन् कि इसका अन्त क्या होगा। सर्विसेज हों और योग्य हों, उनकी सेवायें योग्य हों, इसको कायम रखना किसी भी सरकार का और इस सरकार का भी परम पुनीत कर्त्तव्य होगा। यदि सर्विसेज अयोग्य हों तो मेरी चेतावनी यह होगी कि यह सरकार समाप्त हो जायगी और संसार की कोई भी सरकार समाप्त हो जायगी। किन्तु सरविसेज के लिए क्या योग्यतायें रखी जायं, इसके लिए हम सभी को विचार करना है और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को कोई उपाय दे सकें तो देना है। इसको सभी विचार करें कि आखिर सर्विसेज में आपको योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि आप इस अनुपात वाली बात को करते हैं तो करिये। ठीक है, करना चाहिये जिससे कि पिछड़े हुए वर्ग को समृद्धि प्राप्त हो सके और वह अपने आप यह विचार सकें कि हम भी इस देश के निवासी हैं और हम एक ऐसे वर्गविहीन समाज में हैं जिसमें कहीं भी बड़े छोटे का भेद-भाव नहीं है। यह बहुत अच्छा है किन्तु यह कि यदि उनमें से सब अयोग्य हैं फिर भी उनको बड़ी बड़ी सर्विसेज में लिया जा सके, मैं कहूंगा कि यह विषय किसी भी सरकार के लिए चिन्ता का विषय हो सकता है। फिर भी एक दूसरी बात है कि उसके लिए कौन सा मार्ग निकले। इस सरकार को मार्ग निकालना पड़ेगा और वह मार्ग यह है कि आपने जो अनुपात निश्चित किया है उसे कृपा करके पूरा कीजिये। आज आपने १८ प्रतिशत का अनुपात दिया है, उस अनुपात को आप पूरा करें। आप यह कहकर अपने को नहीं छुड़ा सकते हैं कि योग्य व्यक्ति नहीं हैं। यदि वह अयोग्य है तो उन्हें आप योग्य करिये। यदि वह फिर भी अयोग्य सिद्ध होते हैं तो यह भी आपका उत्तरदायित्व है। आपको इस उत्तरदायित्व को निभाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वह योग्य होते हुए भी या उनमें से कुछ व्यक्तियों के योग्य होते हुए भी यदि उनको स्थान न मिले तो यह दुख का विषय हो सकता है। इसलिए मैं श्रीमन्, हृदय से श्री वीरेन्द्रपति यादव जी के संकल्प की सराहना करता हूं और मुक्त कंठ से इसे स्वीकार करता हूं।

इसके साथ साथ जो कुछ दूसरे संशोधन यहां पर आये हैं उनके सम्बन्ध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। शरणार्थियों की समस्या पर विचार करके कौन सा इस देश का ऐसा निवासी होगा जिसे दुख नहीं होगा। कौन इस देश में ऐसा है जो इस बात को नहीं विचारता कि यह व्यक्ति हजारों मीलों से यहां पर आये, उनकी कितनी दुर्दशा हुई। आज किसे उनके लिये दुख नहीं है और उनके लिये इस देश की सरकार ने जो कुछ किया है वह भी सर्वविदित है। जो कुछ किया गया और जो कुछ किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि इससे अधिक भी कुछ किया जा सकता था। लेकिन यदि उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाय तो वह भी माननीय तेजा सिंह जी के विचार के लिए छोड़ूंगा। वह इस पर विचार करें कि आखिर किस स्थल पर वह लेकर अपने आप को रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहता हूं, जितना मेरा अनुभव है उसके आधार पर कि यदि उनको स्थान दिया जाता है तो दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक सुझाव रखूंगा कि इस सदन के समक्ष इसके लिए एक दूसरा अलग से संकल्प लाया जाय। मैं उसका हृदय से स्वागत करूंगा और इसलिए मैं माननीय तेजा सिंह जी से यही प्रार्थना करूंगा कि वह इस संबंध में एक दूसरा संकल्प इस सदन के समक्ष उपस्थित करें और अपने आपको वे इस संकल्प में न जोड़ें।

एक बात मुझे और कहनी है अन्त में श्रीमन् कि आज यह देश बनाया जा रहा है। सदियों का मूल्यांकन इस देश में समाप्त हो जायगा। न जाने कब से हमने जीवन के किन मूल्यों को आंका था, जीवन में किन मूल्यों को हमने स्थान दिया था, आज उनको समाप्त करके इस देश में निश्चत ही वर्गविहीन समाज की स्थापना हो रही है। मैं जानता हूं कि

जब मेरे मित्र इस सदन के सामने जिक्र करते हैं, मेरे सामने भी बहुत सी बातें आती हैं और मैं भी आज उतना ही सदन के सामने स्वीकार कर सकता हूं कि जो वर्ग विहीन हैं, या जो इस प्रकार के समाज की कल्पना है उसको पूरे तौर पर आज इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। आज भी हमारे ग्रामीण जीवन में इसके लिए बहुत सा स्थान है और उसको हम ऐसे समाप्त नहीं कर सकते। माननीय मिश्र जी ने जैसा कि जिक्र किया और एक बहुत पुरानी चीज जिसको उन्होंने इस सदन के सामने रक्खा कि चाकरी अधम वृत्ति है, मैं तो समझता हूं कि अधम है या अच्छी है, यह तो वह लोग जानें जोकि चाकरी के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन कौन उत्सुक नहीं है यह भी मैं माननीय मिश्र जी से पूंछना चाहता हूं? किसने यह कल्पना नहीं की है कि उसको गवर्नमेंट सर्विस मिले, इसे भी वह विचार सकते हैं। लेकिन मैं इस प्रश्न का इसमें कोई स्थान नहीं पाता। प्रश्न तो सीधा सा यह है कि चाकरी के द्वारा, गवर्नमेंट सर्विसेज के द्वारा एक वर्ग ऐसा स्थान प्राप्त कर सकता है जिस स्थान पर कि दूसरे हैं। एक वर्गविहीन समाज की स्थापना जैसे कि वृक्षारोपण होता है मानव मन में जैसे उत्पन्न होती है और मनुष्य मानव समाज में उसके लिये एक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए यह सही है कि प्रत्येक विचारशील व्यक्ति माननीय यादव जी के इस प्रस्ताव की सराहना करे और इसका समर्थन करे।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो श्री यादव जी के इस संकल्प में मेरा संशोधन था परन्तु मैंने उसको प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझा था। दोपहर के बाद एक दो सज्जन के सदन में इस प्रकार के विचार मुझे सुनने को मिले जिनके कारण मैंने आवश्यक समझा कि मैं भी सदन में अपने कुछ विचार प्रकट करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प से किसी सिद्धांत का प्रश्न नहीं उठता। सिद्धांततः पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात हमारे देश के ऊंचे-ऊंचे लोगों ने स्वीकार कर ली है और हमारी प्रांतीय सरकार ने भी इस बात को केवल स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि शनैः शनैः उसके लिए प्रयत्न भी हो रहा है। मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के हरिजन और पिछड़े वर्ग के बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने माननीय पंत जैसे उदार हृदय के मुख्य मंत्री को पाया है जो कि इस सदन में समय समय पर पिछड़ी जातियों के बारे में अपनी नीति घोषित करते रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि राज्य के उच्च अधिकारियों को भी अपने आदेशों से सचेत करते रहे हैं कि हरिजन व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में उनका विशेष ध्यान रखना जो सिद्धांततः स्वीकार किया गया है, वह व्यावहारिकता में आना चाहिये। यहां श्री यादव जी के संकल्प का सम्बन्ध सिद्धांत से नहीं है केवल व्यावहारिकता से है और उसके विरोध में और उसके पक्ष में बोलने वाले लोगों ने दोनों ही प्रकार की बातें कहीं। मुझे ऐसे व्यक्तियों के व्याख्यान सुनते हुए हंसी आयी जो सिद्धांततः तो अपने भाषणों द्वारा विरोध कर रहे हैं और व्यावहारिकता में यादव जी के संकल्प का समर्थन करते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि समाज में अब ऊंच और नीच का प्रश्न नहीं है, अब कोई किसी से परहेज भी नहीं करता है और साथ ही साथ यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में संरक्षण और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने इस संकल्प को समर्थन भी किया। उससे पूर्व मुझे इस सदन में इसके विरोध में ऐसे भी भाषण सुनने को मिले जिन्होंने यह कहा कि यह संकल्प साम्प्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देता है। इन बातों के सुनने के पश्चात् मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं इस सम्बन्ध में अपने थोड़े से विचार एक इस रोग के रोगी होने के नाते सदन के सामने रखूं।

जहां तक सरकारी नौकरियों के संरक्षण का प्रश्न है, इस बात से कोई भी सज्जन इन्कार नहीं कर सकते कि सरकारी नौकरी में आने के बाद अभी जब तक हमारी स्वतंत्रता नयी है और हमारे देश में पूर्णतः जनतंत्र पनप नहीं जाता उस समय तक राज्य कर्मचारी अपने को साधारण जनता से बहुत ऊंचा समझते हैं और इसी कारण सरकारी नौकरी में आने

[श्री महीलाल]

के बाद व्यक्ति के दिमाग में एक आत्मसम्मान का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। जब इस तरह की बात है तो मैं यह समझता हूं कि जो व्यक्ति या जो वर्ग आज तक राजनैतिक व धार्मिक त्रुटियों के कारण दलित, नीच और उपेक्षित समझा जाता रहा हो, उस वर्ग अथवा व्यक्ति को ही अधिक आत्म सम्मान देने की आवश्यकता है। जब तक पिछड़े दलित लोगों को ज्यादा ऊंचा नहीं उठाया जायगा, उनको सम्मानित पदों पर नहीं पहुंचाया जायगा, उस समय तक न तो दूसरों की दृष्टि में उनका सम्मान बढ़ेगा और न स्वयं उनके हृदय से वह कमजोरी निकलेगी जिसके आधार पर वे समाज में अपने को गिरा या पिछड़ा समझते हैं। मुझे श्री लक्ष्मीरमण आचार्य का भाषण सुनने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुयी कि उन्होंने हरिजनों और पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में एक बड़ी ऊंची बात कही और मैं अच्छा भी यही समझता हूं कि आज हरिजनों और पिछड़ी जातियों का प्रश्न श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जैसे ही व्यक्ति उठायें। मैं स्वयं एक हरिजन होने के नाते हरिजन की बात कहना उतना अच्छा नहीं समझता जितना कि उच्च वर्ग के लोगों द्वारा कहना अच्छा समझता हूं। ऊंचे कहलाने वाले लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे आज पिछड़े और दलित लोगों को ऊपर उठाने की बात स्वयं कहें। इसका कारण यह है कि इतनी चिन्ता रोगी को नहीं होनी चाहिये जितनी उसके कुटुम्ब वालों को होनी चाहिये। इसके बजाय कि जो लोग आज पूरे समाज को एक ही मानते हैं वे इस समाज के रोग का इलाज करने के लिए उत्सुक होते, अपनी तरफ से उनके इलाज की बात कहते, उनमें से कुछ लोगों ने इस तरह की बातें कह डालीं जिनका सम्बन्ध सिद्धांतों से था, व्यावहारिकता से नहीं। उदाहरणतः यह बात कही गयी कि अब जातीयता का प्रश्न नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि छूत छात भले ही कम हो गयी हो लेकिन इस चुनाव प्रणाली की कृपा से जातीयता आज समाज में बढ़ी ही है, क्योंकि कुछ लोगों जाति के नाम पर वोट हासिल करने के लिए समाज केबीच में जाते हैं और मुझे यह कहने में जरा भी झिझक नहीं होती कि जब ऊंची कहलाने वाले जाति के आदमी का मुकाबिला यदि नीची जाति वाले आदमी से होता है तो ऊंची जाति वाला ऊंची जाति का नारा और नीची जाति वाला नीची जाति का लगाता है। जहां तक इस जातीयता का प्रश्न है, मैं तो समझता हूं कि यह दिन व दिन बढ़ता जा रहा है और इसका इलाज हमारे देश के दूरदर्शी व जिम्मेदार लोगों को सोचना है और सोचना पड़ेगा। जातीयता के बढ़ने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमारे यहां के जो पुराने शिक्षक हैं या जो ऊंची शिक्षा पाये हुए लोग हैं उनके नाम के साथ प्रायः आप नहीं देखेंगे कि जाति सूचक शब्द लगा हुआ है। लेकिन आज हमारे समाज का हर बच्चा आवश्यक समझता है कि वह अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द लगाये, चाहे वह छोटी कक्षा में पढ़ रहा हो चाहे बड़ी कक्षा में पढ़ रहा हो, चाहे वह सर्विसेज में जा रहा हो या व्यापार में। ऐसे लोगों को जिनके नाम के साथ स्वयं जाति सूचक शब्द लगा हुआ है, तो हमें का कोई अधिकार नहीं है जबतक वे स्वयं जातीयता न मिटायें।

जहां तक जातियता मिटने की बात कही गयी उसके सम्बन्ध में मैंने अपने विचार रखे। दूसरी बात ऊंच नीच का भेद भाव मिटने की कही जाती है, ऐसे माननीय सदस्य जो यह समझते हैं कि ऊंच नीच का भेद मिट गया है मैं उनको दावत देता हूं और पश्चिमी जिले का प्रतिनिधि होने के नाते दावत देता हूं कि जहां के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वहां की जनता बहुत आगे है, धनवान है, प्रगतिशील है, वे हमारे तरफ के ग्रामों में चले जहां आज भी ऊंच नीच का भेद-भाव इतना बढ़ा हुआ है कि गांव में १० कुयें हैं लेकिन उन दस कुओं के होते हुए भी वहां के बाल्मीकि और चमार मरते हैं, उन्हें कुओं पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। हमने कोशिश की तो हमारी कोशिश तो किसी ने मानी नहीं, वह इसलिए कि हम तो उस रोग के स्वयं रोगी हैं, इसी कारण रोक को मिटाने में सफलता नहीं मिली और जिनको यह कोशिश करनी चाहिये वे उदासीन हैं, वे जनता के बीच में नहीं जाते और उस चीज को दूर कराने की कोशिश नहीं करते। जहां तक आज कुओं से पानी भरने का प्रश्न है, मंदिरों में चढ़ने का प्रश्न है, वहां यह कहना कि आज ऊंच, नीच की बात नहीं है मैं नहीं समझता कि उनकी बात में कितना वजन है, वे इस बात को स्वयं विचारें।

इसके अतिरिक्त कुछ वर्ण व्यवस्था की भी बात कही गयी । इस सम्बन्ध में और इसके पक्ष में यह कहा गया कि यह तो रही है और रहनी भी चाहिये और इसके लिए प्रमाण भी बहुत पुराने दिये गये । बात में वास्तविकता हो सकती है और मैं मानता हूं जिस नीति से उन्होंने बात कही उस नीति से ठीक है । कुछ आदमी ऐसे हैं जो ऊंचा मस्तक रखते होंगे, उनकी श्रेणी अलग होगी, कुछ ऐसे आदमी होंगे जो शारीरिक बल अधिक रखते होंगे उनकी श्रेणी अलग होगी, कुछ ऐसे आदमी होंगे, जो वाणिज्य में तेज बुद्धि रखते होंगे, उनकी श्रेणी भी अलग होगी और कुछ आदमी ऐसे शेष रहेंगे कि जो सेवा करेंगे। लेकिन देखना यह है कि आज समाज में क्या दशा है । आज मैं अनुभव करता हूं कि हमारे समाज में हरिजन वर्ग का ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति अपने स्थान पर अपने में कमजोरी पाता है । वह समाज की दशा को देखते हुए अपने मन में मनोवैज्ञानिक तरीके से बलहीन पाता है, नीचा समझता है और उसके ऊंचे से ऊंचे पद पर होने पर भी जब तक यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं मिटाया जायगा तब तक आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह का राजकीय नौकरियों में संरक्षण रहे । इस प्रकार की विशेष सुविधायें हैं जिसके लिए माननीय वीरेन्द्रपति यादव ने मांग की है ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह समस्या एक आर्थिक समस्या है । लेकिन हमें यह बात नहीं भूलना चाहिये जैसा कि मैंने अभी कहा कि आर्थिक समस्या के साथ-साथ जातीयता और ऊंच-नीच की भावना, जो हमारे समाज में आज घर कर गयी है, उसको भी दूर करने की विशेष आवश्यकता है। वह जब तक दूर नहीं होगी तब तक हम अपनी और अपने समाज की उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसके दूर करने की बहुत कुछ जिम्मेदारी हम पर नहीं है यानी पिछड़े और हरिजन लोगों पर नहीं है, बल्कि उन उच्च लोगों पर है जो कहते हैं कि हरिजन की बात कह कर तुम लोग जातीयता और साम्प्रदायिकता को फैलाना चाहते हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में ईसाई होने का प्रश्न भी आज प्रश्नोत्तर के समय आया। मैं सदन को यह बतला देना आवश्यक समझता हूं कि आज जो लोग ईसाई हो रहे हैं क्या आज से पहले उन लोगों के सामने प्रलोभन नहीं आये। उन्होंने तालाबों का पानी पीया, नीचे पड़े दुनिया भर के अत्याचार बरदाश्त किये लेकिन ईसाई नहीं हुये, वह अंग्रेजों की गोद में नहीं बैठे। आज उनका असंतोष कैसे बढ़ गया। उसका इन्तजाम उच्च जाति के लोगों को करना चाहिये। अगर सरकार से इन्तजाम कराया गया तो किसी के दिल को सरकार काबू में नहीं कर सकती है। भले ही आप बल और जोर से इस समय उनको रोक दें, लेकिन बल से किसी के दिल को नहीं बदल सकते हैं। आप उनके बीच में जाकर तसल्ली दें, ढाढस बंधायें । यह उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने गोबर का नाज खाना नालियों का पानी पीना पसन्द किया लेकिन धर्म से हटना पसन्द नहीं किया और ईसाई नहीं हुये। उस समय ईसाई होने पर नौकरियां मिलती थीं, ऊंचे स्थान मिलते थे । लेकिन फिर भी ईसाई नहीं हुये ।

आज यह प्रश्न मामूली नहीं है। यह केवल हरिजनों के ही विचारने का नहीं है। हम तो इसमें रोगी हैं, हम कैसे इलाज कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि इस तरह के प्रश्न न उठें और हरिजनों के तथा पिछड़ी हुई जातियों के मुंह से इस तरह की बातें न कही जायं तो मैं प्रार्थना करूंगा उन लोगों से कि वह समाज के अंदर जायं और लोगों के विचारों में परिवर्तन करायें तभी वह समाज का हित कर सकेंगे। जैसे कि कई बार माननीय पंत जी ने कहा है कि अगर जंजीर की एक कड़ी भी कमजोर रह जाती है तो पूरी जंजीर कमजोर रहती है। इस तरह के संकल्प आने

[श्री महीलाल]

और आवाजें उठने की जिम्मेदारी मैं उन लोगों पर डालता हूं जो जातीयता, साम्प्रदायिकता का लांछन लगाकर हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का मुंह बंद करना चाहते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय वीरेन्द्रपति यादव साहब ने इस भवन के सामने रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन् मैं इस बात को मानता हूं कि जहां यादव जी साहब यह कहते हैं कि जो पिछड़ी हुई जाति की नौकरियों में या आगे बढ़ने में जो उनकी कमियां हैं, उनको देखते हुए मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि यहां राम राज्य स्थापित करेंगे और राम राज्य का नकशा अगर हम देखें तो श्रीमन्, राम राज्य में हर वर्ग के लोग प्रसन्न थे और यह शिकायत नहीं करते थे कि जो आज हमारे इस प्रान्त में हर प्रकार के चारों वर्गों के लोगों को शिकायतें हैं। उनको सुनकर दुःख होता है कि जो आज राम राज्य अनुयायी, महात्मा गांधी जी के अनुयायी, आज राज्य शासन में है, आज अगर उन्हीं के राज्य के शासन में उन्हीं की बतायी हुई चीजों में कमी पायी जाती है तो यह दुःख की बात जरूर होती है और मुझे यहां यह अवश्य कहना पड़ता है कि जिस तरह से यादव जी ने यह बतलाया है कि जिस तरह से उनके नौकरियों के अनुपात में या जो जीवन को आगे बढ़ाने में कमियां पड़ती हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी कारण हो, लेकिन मैं इसका मुख्य कारण सरकार पर लगाता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार की अगर नीयत साफ है, और वह इस बात को समझती है कि हां, एक वर्ग में इस चीज की भावना पैदा हो रही है तो उस चीज को खत्म करने के लिए जैसा कि बतलाया गया कि फलां बोर्ड में कुछ बड़े वर्ग के लोग थे, मैं समझता हूं कि सरकार अगर यह चाहे तो कोई वजह नहीं है कि उस बोर्ड या वहां के काम करने वाले और चुनने वालों की यह हिम्मत हो सके कि वह किसी वर्ग के योग्य आदमी को न लेकर दूसरे को लें और ऐसी गलतियां हो जायं, जैसा कि बतलाया गया कि कहीं किसी जगह के लिये योग्य आदमी के होते हुये भी और लोगों को ले लिया गया। यह बड़े दुःख की बात है और मैं समझता हूं कि इसका सारा लांछन सरकार के ऊपर है। मैं उन कर्मचारियों को लांछन नहीं दे सकता हूं जिनको सरकार ने मुकर्रर किया। सरकार को देखना चाहिये कि जितने हमारे प्रान्त के वर्गों के लोग यहां रहते हैं उन सबको शान्ति मिले, उनको सान्त्वना हो, सबको राजी करना सरकार का फर्ज है।

मैं यह भी सभी माननीय सदस्यों से अदब से अर्ज करूंगा कि जहां तक उन्होंने समाज के लिए कहा तो यह हमारी वर्ण व्यवस्था आज से नहीं, बहुत दिनों से चली आ रही है। उस वक्त आवश्यकता यह थी कि चारों वर्ग मिल कर आपस में तय करके कर्मानुसार कामों को बांटते थे और जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं आप से बताता हूं कि जिस तरह से जिस वर्ग का आदमी होगा उसको वैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिये। जो वर्ग यह चाहेगा कि हम फौज में जाना चाहते हैं तो हर एक आदमी को अधिकार है कि वह जा सके। बजाय इसके कि, मैं इसके विरुद्ध जरूर हूं कि अगर हम अलहदा अलहदा वर्गों की स्थापना करने लगें तो उससे ऐसी भावना पैदा होती है, मैं यह नहीं कहता कि इस प्रस्ताव से होती है, लेकिन लोगों की भावना यह भी हो सकती है कि आप एक पिछड़ा वर्ग भी बना रहे हैं। एक उच्च वर्ग होगा, एक पिछड़ा वर्ग और एक शिड्यूल कास्ट्स का नीचा वर्ग हो। यह ठीक नहीं है। वर्ग सब एक होने चाहिए। समाज के सभी साथी हैं और सब मिलकर

कार्य करें। लेकिन जहां तक इसमें किसी की कमी है उसको पूरा करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसी लिये सरकार का वहां बैठाला है कि हर एक के साथ न्याय पूर्वक बर्ताव किया जाय। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं कि आप कोई शोषित वर्ग या और कोई वर्ग बना लें। यह जरूर कहूंगा कि जो काबिल हों और ठीक तरह से काम करने के काबिल हों उनको जरूर जगह दें और मैं इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज यह प्रस्ताव जो हमारे सामने है, मैं निहायत सावधानी के साथ सरकार को चेतावनी देते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज प्रेकटिक्ल से देखा जाय तो जितने अफसरान हैं वह फेयर डीलिंगज़ नहीं कर रहे हैं। आज हमारे जितने आदमी जाते हैं कम्पिटीशन में, उनके साथ फेयर डीलिंग नहीं कर रहे हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि वह अनफिट हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि वह उन तमाम अधिकारियों की है जो सारे सूबे में बैठे हुए हैं। उनके भीतर यह भावना भरी हुई है। वह वर्गों में बंटे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वह तानाशाही के जमाने के लोग अब भी हमारे यहां हैं और वह नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। मैं आपसे साफ कहता हूं कि यह जाति-भेद का प्रश्न हमारे देश में है, जब तक कि इस समाज से यह दूर नहीं होता, जब तक वर्गविहीन समाज स्थापित नहीं होगा, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। हम भारत के इतिहास के पन्नों की तरफ इस सरकार का और समाज का ध्यान दिलाना चाहते हैं। हमको राणा सांगा और राणा प्रताप के दिन याद हैं जबकि हल्दी घाटी के मैदान में हमारा एक एक बच्चा जूझा था। औरंगजेब के जमाने में हम लड़े थे और तब से लेकर आज तक हम लायल हैं। इस देश में हरिजन जाति और पिछड़ी जाति के गरीब लोग हैं जोकि कमाते हैं और इस समाज को खिलाते हैं और जिनके ऊपर कि यह समाज बैठा हुआ है। मैं तो आपको सचेत करना चाहता हूं कि यह हरिजन समाज जो आज दबा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया तो आप भी नीचे आ जायेंगे और जिस प्रकार नर्क में हम पड़े हैं उसी में आप भी पड़ेंगे। मैं यह कहता हूं कि इस विष को क्रिएट न किया जाय, इसको एबालिश किया जाय। संविधान में हमारे रखा गया है कि हरिजनों का स्थान रखा जाय, रिजर्वेशन किया जाय। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन को हटा ले। ईमानदारी के साथ जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान हो उसमें न नाम हो, न और कुछ हो, जो लड़का पास हो उसे लें लेकिन हमारे साथ फेयर डीलिंग हो। एक प्रैक्टिकल इम्तहान भी होता है, वह प्रैक्टिकल इम्तहान बाद में होता है, इसके क्या माने है? इसके माने यही हैं कि हमारे साथ फेयर विजिलेंस नहीं होता है। राजा वीरेन्द्र शाह ने ठीक कहा है। यह सब आप हटा लें। आज स्कूलों में चमार भी पढ़ते हैं, हरिजन भी पढ़ते हैं, पिछड़ी जाति के लड़के भी पढ़ते हैं, और ऊंची जाति के भी पढ़ते हैं। जो लड़का फर्स्ट आता है वह ऊपर जाता है, जो पिछड़ता है वह नीचे जाता है। मनु महराज ने यही किया था। मनु के जमाने में डिवीजन आफ वर्क था, जाति भेद नहीं था, एक दूसरे को दबाता नहीं था। यह घृणित भेद भाव की भावना जो समाज में फैली हुई है, अब तक तो हम मुस्लिम लीग वालों के ऊपर इसका दोष मढ़ते थे लेकिन मैं आज देखता हूं कि कहीं पूर्वी लोग हैं, कहीं कोई पश्चिमी कहता है अपने को, कहीं कोई कुछ कहता है। हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग जो फौज में हैं उनको नफरत की निगाह से देखा जाता है। मैं कहता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसमें एक जहर निहित है। यह वह चीज है जो देश को विनाश की तरफ ले जाना चाहती है। मैं चाहता हूं कि संगठित होकर हम एक जगह रहें और आपस में मेल पैदा करें।

कहा है—कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान।

[श्री शिवनारायण]

अरे चाकरी के पीछे क्यों चक्कर में पड़े हो। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं सरकार से कि हमको चाकरी मत दो, हमारा जो पेशा है वही हमको दिया जाय। नौकरी में हमको न रखिये लेकिन जो हमारा काम है खेती करने का या और जो दूसरे हमारे काम हैं वही हमको दीजिये। लेकिन उनको भी आप बड़े-बड़े लोग आज हमसे ले रहे हैं। जूते की बड़ी-बड़ी फैक्टरियां आज उन्हीं बड़े-बड़े लोगों के हाथ में हैं। चमड़ा तो हम निकाल कर लाते हैं और जब उससे बढ़िया माल तैयार होता है तो वह उन लोगों के हाथ में चला जाता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कोई किसान का बेटा या हरिजन का बेटा नहीं जा पाता है। उसमें भी आप लोग घुसे हुए हैं। एग्रीकल्चर में भी किसान का ही बेटा लाभ पहुचा सकता है, राजा साहब नहीं पहुंचा सकते। इसलिए किसान के बेटे को ही ऐग्रीकल्चरिस्ट बनाइये, उसे ही इसकी शिक्षा के लिए अमेरिका भेजिये तब जाकर उनका भला हो सकता है और समाज से यह भेद भाव मिट सकता है।

"पक्षा पक्षी कारण, सब जग राह भुलाना"

बड़ी-बड़ी पोथियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहां छोटी-छोटी बातें ऐसी कहीं गई हैं जिनको अगर काम में लाया जाय बहुत कुछ हमारा भला हो सकता है। कबीर दास जी ने कहा है कि कहने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन गहने वाला, ग्रहण करने वाला कोई नहीं मिलता। तो हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग करें, सरकार भी करे और हमारे जो सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुए हैं यह भी गांवों में चल कर उनको प्रीच करें कि वह भी करें। अभी आज ही मैंने विनोबा जी को स्पीच को पढ़ा। एक गांव में वह जमीन मांगने गये जहां के लोग इसके बिलकुल विरोध में थे कि जमीन दी जाय लेकिन विनोबा जी की बात सुनकर उन्होंने जमीन दान में दी। जब उन्होंने समझाया कि इस गांव में सब लोग रहते हैं, मिल कर रहो, बेचारे यह कमजोर हैं, इनको भी रोजी का मौका दो तो वह मान गये और उन्होंने जमीन दान में दी आज मैं कहना चाहता हूं कि विनोबा जी के उस प्रोपोजल का मैं समर्थन करता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि ये जितने भी समाज वाद के या दूसरे नारे हैं, वह सब इसी में निहित हैं इसी से समाज का कल्याण हो सकता है और अगर इस बात को नहीं किया तो हमारा भविष्य अन्धकार में ही रहेगा। तो यह जो "पक्षा पक्षी" की बात हो रही है कि रिजर्वेशन किया जाय या न किया जाय इससे कुछ नहीं हो सकता है। एक खुला कम्पटीशन रख दें, खुला इम्तहान रख दें, फिक्स्ड प्रोग्राम रख दें। हमारे बहुत से लोगों ने कहा कि योग्यता नहीं होती। मैं पूछता हूं कि योग्यता का कौन सा पैमाना है, नम्बर ! नम्बर तो देने वाला अपने दिमाग से ही देता है उनको खुले मैदान में मौका दिया जाय ताकि वह अपनी तरक्की कर सकें।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी दया से यह बताना चाहता हूं कि हमारे सदन में जब कोई प्रस्ताव आता है तो हरिजनों को घुसेड़ दिया जाता है। हरिजनों को बड़े-बड़े लोगों ने मौका दिया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि १८ के बजाय हम २५ फीसदी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमको मिलने चाहिये, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। इस सरकार के बनाने में वह गरीब शामिल हैं जो गरीबी में बसते हैं। उनका इस सरकार पर उतना ही हक है जितना किसी ब्राह्मण या ठाकुर का है। सब को एक नजर से देखना चाहिये। जैसा कि माननीय वीरेन्द्र पति यादव जी का प्रस्ताव है हम चाहते हैं कि उनकी भी मदद की जाय। मैं सरकार से पुनः कहना चाहता हूं कि खेती करनेवाले आदमी को खेती करने की सुविधा दी जाय, जो चमड़े का काम करने वाले आदमी हैं उनको चमड़े की ट्रेनिंग दी जाय। यह न हो कि बीच में बिचवनिया आ जांय, बड़े बड़े पूंजीपति जुगी लाल कमलापति आ जांय। अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी इजाजत से सदन के सामने यह बताना चाहता हूं कि समाज का कल्याण उसी में है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने सान्त्वना दी है हम लोगों को, जो हमारे पार्टी वाले हैं उनको भी उन आदेशों का पालन करना चाहिये जो हमें यहां से मिलते हैं। सरकार जो आदेश देती है उसे नीचे लोग झपट लेते हैं। सरकार को देखना चाहिये कि जो सुविधाएं वह देती है वह उनको मिलती हैं या नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री वीरेन्द्रपति यादव जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, गत बैठक में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने विचार प्रगट किये थे। उनके कहने के बाद मैं नहीं समझता था कि मैं उत्तर में भी कुछ कहूं। लेकिन उनके विचार प्रगट करने के बाद गत बैठक में और आज भी हमारे कुछ भाइयों के भाषण हुए और उन भाइयों ने मुझे विवश किया कि मैं भी कुछ शब्द उत्तर में कहूं। मैं जो कुछ कहना चाहता था संविधान कानून और नीति के बारे में कहना चाहता था। मैं अपने विचार दोहराना नहीं चाहता जिससे भवन का समय नष्ट न हो। कानून के विषय में कहने के पूर्व मैं यह कह देना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे भाई कभी-कभी इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज कौन हैं। बड़े दुख की बात है कि जिस सरकार ने जिन जातियों को बैकवर्ड क्लासेज में शामिल किया है और केन्द्रीय सरकार ने उन बैकवर्ड क्लासेज में शामिल किया है, आज हमारे भाई यहां खड़े होकर कह सकते हैं कि अमुक जाति बैकवर्ड क्लासेज में नहीं है। सरकार यदि उचित समझे तो उन जातियों को बैकवर्ड क्लासेज से निकाल सकती है और जो सरकार का आदेश होगा उसका पालन करना हमारा कर्त्तव्य होगा। लेकिन जब सरकार ने एक निर्णय कर दिया कि बैकवर्ड क्लासेज जातियां कौन कौन सी हैं तो हम लोगों को शोभा नहीं देता कि किसी जाति की ओर संकेत किया जाय कि अमुक जाति बैकवर्ड क्लासेज नहीं है। मैं तो कांग्रेस के अनुशासन में होने के कारण किसी जाति का नाम भी लेना नहीं चाहता। बैकवर्ड क्लासेज का शब्द प्रयोग करने के लिये जिस जाति और जिले का संकेत किया जाय गया, जिस जिले में सार्वजनिक सभाओं के सम्बन्ध में मैं भी गया हूं, और भी जिलों में गया हूं। मैंने देखा है कि उस जाति की क्या हालत है मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। अगर सरकार अपने वचन को पूरा करना चाहती है तो कम से कम वह देखे कि उस जाति की संख्या सरकारी नौकरियों में क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब, बिहार में और बम्बई में जो जातियां पिछड़ी हुई मानी गई हैं भाग्य से उनकी ही हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी पिछड़ी हुई माना है लेकिन कभी कभी हमारे कुछ नेता कह देते हैं कि अमुक जाति पिछड़ी हुई नहीं है। खेद की बात है कि ऐसा वे क्यों कहते हैं। मैं अपने विचार दोहराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपकी नीति है, आपने ही उन सूचियों को बनाया है, तो उन पर आपको विश्वास करना होगा। हमारे कांग्रेसी भाइयों को ऐसी बात कहना शोभनीय नहीं है। यह भी कहा गया कि पिछड़ी हुई जातियां कौन कौन हैं इस बात के बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो हमारी सरकार का नारा है और जब तक यह उसका नारा है तब तक हम उस पर डटे हुए हैं।

[श्री वीरेंद्रपति यादव]

जहां तक कमीशन का सवाल है, बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठा हुआ है और देश में भ्रमण कर रहा है और यह उसके अधिकार की बात है कि इन जातियों में से किसी को घटा सकता है और किसी को बढ़ा सकता है, या वही लिस्ट रख सकता है लेकिन जब तक जो मौजूदा लिस्ट है उसी से हमको बांधना होगा उसी से हमको गाइड होना होगा।

जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है मैं अपने प्रस्ताव में उस चीज को नहीं लाया हूं। मुझे तो सरकार में विश्वास है। सरकार अवश्य कुछ करेगी। फिर संविधान में भी यही नीति निर्धारित है, लेकिन यह होते हुये भी हमारे कुछ भाइयों ने सन्देह प्रगट किया कि बैकवर्ड क्लासेज क्या हैं, ये बैकवर्ड क्लासेज होना ही नहीं चाहिये। जैसा कि राजा साहब ने कहा, वह मेरे मित्र हैं लेकिन मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि जब तक हमारा मौजूदा संविधान है, जब तक उसमें कोई संशोधन नहीं होता है तबतक उसको हमें मानना ही पड़ेगा। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में जिक्र किया गया है। उसको एक क्लास माना गया है। बैकवर्ड क्लास को भी एक वर्ग माना गया है। इस तरह से जो हमारे संविधान के शब्द हैं, जिस बात में हमारा संविधान विश्वास करता है अगर हम उसमें अविश्वास प्रगट करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बात इस देश के किसी नागरिक के लिए शोभनीय नहीं मालूम होती। मैं तो इतना कह देना चाहता हूं कि समझ में नहीं आता कि जो हमारे संविधान में विश्वास न करे उसके लिये क्या दंड हो सकता है। कम से कम मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अनुमान से कह सकता हूं कि जो हमारे संविधान में अविश्वास प्रगट करता है उसका इंपीचमेंट तक हो सकता है। और प्रदेशों ने बैकवर्ड क्लासेज के लिये क्या किया? मैं बतला देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मध्य भारत कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक सब कमेटी हुई जिसकी अध्यक्षता वहां के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने की थी। उन्होंने उस सब कमेटी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते वक्त कुछ शब्द कहे हैं उनको मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं--

"The Committee under the chairmanship of Mr. Gopikrishna vijayavargiya, a former Chief Minister of Madhya Bharat, was asked to enquire into the socio-econiomic and educational problems of the Backward Classes in the State. Its report, submitted to the Backward Class Commission during the Commissions, recent visit to Madhya Bharat and also to the State Government, said that a large number of these classes mainly depended on agriculture while some were engaged in some kind of home and cottage industries."

"The Committee in its report recommended starting and encouraging of small scale and cottage industries and governmental aid to market the products. Another suggestion made was opening of new community projects in the Backward Class areas.

Dealing with the socio educational problems of these people, the report stated that they were divided among themselves on the basis of caste, creed, touchability and untocuhability. Most of them were uneducated and needed special attention of the Government. The Committee recommended reservation of 20 per cent. of the seats in High Schools and Colleges, particularly in science engineering and medical subjects for backward classes and reservation of certain percentage under services."

यह मैंने आपके सामने संरक्षण के बारे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उसके बारे में कहा। मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं। केवल दो शब्दों को दोहराना चाहता हूं

कि जो हमारे भाइयों ने कहा कि इतने लम्बे-चौड़े संशोधन से क्या हो सकता है और यह कभी भी नहीं हो सकता है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। इसके बाद १३ अप्रैल सन् १९५४ को आल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन दिल्ली में हुआ था जिसका उद्घाटन श्री काटजू साहब ने किया था। मैं उस सब को नहीं पढ़ना चाहता हूं, केवल उसके संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं। वक्ता महोदयों ने कहा था कि रिजर्वेशन की मांग हमारे लिये बहुत जरूरी है।

जहां तक सिद्धांत का सवाल है अभी इसी महीने का, हैदराबाद में जो चीफ मिनिस्टर है, उनका बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि--

"The purpose of deomcracy would be defieted if the development of the society was unequel, one section remaining backward and less advanced than the other," Mr. Rao Said.

जहां तक उनको संरक्षण देने का प्रश्न है मैं तो यह समझता हूं कि वह कानून की चीज है और वह संविधान की चीज है और उसकी पूर्ति करना चाहिये। आज मुझे कुछ भाइयों ने विवश कर दिया कि मैं आपके सामने हाईकोर्ट मद्रास की रूलिंग को उपस्थित करूं। वह रूलिंग क्या है? वह रूलिंग १९५१ के ए० आई० आर० में दी हुयी है। वह श्रीमती चम्पा और सी० आर० श्रीनिवास के दो मामलों के संबंध में है। उन्होंने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि सन् १९४८ का एक कम्युनल आर्डर है और उसके द्वारा कुछ जातियों का संरक्षण होता है, ब्राह्मण या नान ब्राह्मण का। हम लोगों के लिये यह संभव नहीं मालूम पड़ता है कि हम कम्पटीशन में आयें या उनके मुकाबले में इम्तहान देकर मेडिकल या इंजीनियरिंग कालेज में आयें। तो इसी चीज को इस केस में लिया गया है और यह मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच की रूलिंग है। यह सवाल १५ ए. और २९(२) संविधान की धारा के अनुसार किसी कौम के लिये इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिये संरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन यह एक एक्सेप्शन है और वह एक्सेप्शन १६(४) के अनुसार है जिसके अनुसार बैकवर्ड क्लासेज का संरक्षण सेवा को सर्विसेज में हो सकता है। उसके शब्द इस प्रकार हैं जो १२६ पेज पर दिये हुये हैं--

"Granting that one of the objectives of the Constitution is to provide for the uplift of the backward and weaker sections of the people, which interalia is embodied in Art. 46, can we hold that the State is at liberty to do anything to achieve that object ? The obvious answer is "yes", so long as no provision of the constitution is contravened and no fundamental right declared by the constitution is infringed or impaired. It may be conceded that in one sense articles which prohibit discriminatory treatment in any matter relating to the State are inconsistent by themselves with any action the part of the State to make provision specially favourale to the backward and weaker sections of the people. That is why we find exceptions have been made expressly to the principles of non-discrimination in certain specified matters, the most important of which is in respect of appointments and offices under the State. After reiterating the principle of non-discrimination in Art. 16(2), Art. 16(4) makes an exception and provides for discrimination in favour of backward classes of citizens."

आपके सामने मैंने अपने विचार प्रकट किये। एक प्रदेशीय सरकार ऐसी भी है जहां बैकवर्ड क्लासेज के लिये संरक्षण भी है। पंजाब में मैंने एक मित्र को लिखा। उनका उत्तर आया कि उनके यहां बैकवर्ड क्लासेज के लिये संरक्षण है। लेकिन चूंकि संरक्षण की बात मेरे प्रस्ताव में नहीं है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ भाइयों के संतोष के लिये मुझे यह रूलिंग पढ़नी पड़ी।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

साथ ही मुझे खेद है कि हमारे कुछ विद्वान भाइयों ने जो ऐसी जगह से आये हैं जहां कानून का भंडार है, जैसे इलाहाबाद, यह भी कहा कि अगर बैकवर्ड क्लासेज को तरजीह दी जायगी तो सर्विसेज यतीमखाने हो जावेंगे। मैं नहीं समझता कि उन भाइयों को ऐसा कहना चाहिये था। बैकवर्ड क्लासेज की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके लिये सम्मानित नेताओं ने हमेशा कसमें खाई हैं और दुहाई दी है और जिन्होंने संविधान बनाया उनके उद्देश्य की हमें पूर्ति करनी है। जिस दिन हमें मालूम हो जायगा कि सरकार बैकवर्ड क्लासेज में विश्वास नहीं रखती है, हम आपके साथ होते हुये भी ऐसी मांग करना छोड़ देंगे।

†श्री मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पंत)---अध्यक्ष महोदय, इस सुझाव के बारे में मैं पहले ही अपने विचार प्रकट कर चुका हूं और मुझे कोई खास बात ऐसी मालूम नहीं हुई कि जिससे आज और कोई नई बातों को कहने की जरूरत हो। जहां तक बैकवर्ड क्लासेज का संबंध है, हम लोग चाहते हैं कि...

श्री जगन्नाथ मल्ल---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। वह यह है कि क्या कोई माननीय सदस्य किसी प्रस्ताव पर दो दफा बोल सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---आप नियम देखें। मुख्य मंत्री चार्ज में हैं, वह बोल सकते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---प्वाइन्ट आफ आर्डर का फैसला तो चेयर को करना होता है नहीं तो मैं बतला देता कि अगर मैं चार्ज में भी नहीं होता तो किस तरीके पर तब भी बोल सकता था। जो लोग बैकवर्ड हैं, जिनकी हालत ऐसी है कि उनको मदद देने की जरूरत है, यह उसूल हमारे सब के सामने रहना चाहिये कि उनको मदद देने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि हम लोग वैसा यत्न करने की कोशिश करते रहते हैं। जहां तक इन सवालों का कोई जवाब देना है कि बैकवर्ड क्लासेज कौन कौन हैं और कौन नहीं हैं, यह कहना कठिन है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ बैकवर्ड क्लासेज की फेहरिस्त बनी है। उसको हमने बदला था और दूसरी बनायी थी, मगर चूंकि यह कमीशन आने वाला है, कमीशन इसको देखने वाला है कि बैकवर्ड क्लास कौन होनी चाहिये और कौन नहीं होनी चाहिये इसलिये बजाय इसके कि हम इस लिस्ट को बदलते हमने यही ज्यादा उचित समझा कि जो पहली लिस्ट बनी हुई थी उसी को मान लिया। इसका फैसला तो कमीशन करेगा कि बैकवर्ड कौन हैं और कौन नहीं हैं, कौन को मानना चाहिये और किनको नहीं मानना चाहिये। हमें एक बात यह समझ लेनी चाहिये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेज में अन्तर है। जो लोग अछूत समझे जाते थे वे सब के सब शिड्यूल्ड कास्ट के मान लिये गये। मगर बैकवर्ड क्लास मसलन भड़भूजा, कहार और भिश्ती हैं। इन तीनों में कोई भी कामन एलाइनमेंट नहीं है। न कोई एक जाति-बिरादरी है और न इनमें आपस में कोई शादी-व्यवहार का ही सम्बन्ध होता है। अगर आप रेजर्वेशन करें तो किस-किस का करें। यह सच है कि वे पिछड़े हुए हैं, उनको मदद करनी चाहिये, यह एक बात है, इसके अलावा उनमें और कोई कामन फीचर नहीं है। इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक को दूसरे से बांधती हो। इसलिये यह इस प्रकार से भी दिक्कत तलब बात है कि बाज लोगों की संख्या बहुत ही थोड़ी है और बाजों की संख्या अधिक है।

अब उनके लिये किस तरह से करना होगा? यह तो कमीशन देखेगा कि उनको क्या देना चाहिये या रिजर्वेशन दिया जाना अच्छा होगा या नहीं, लेकिन हमें इस बात को अवश्य देखना है कि हमें अभी अपनी नेशन को बनाना है। आज हमारे बीच में डैस्ट्रक्टिव टैंडेंसी काफी है। हर एक

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौका देखने को तैयार रहता है। हमें तो यह सोचना है कि जो बैकवर्ड क्लासेज के नहीं हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे उनकी मदद करें और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को इस नजर से देखना चाहिये कि हमारे देश की भलाई किस में है। हमें तो एक दूसरे की भलाई की दृष्टि से ही दूसरे की कोशिश करनी चाहिये। अगर हम ऐसा करें तो हमारे मामले बहुत आसानी से तय हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके विपरीत करते हैं और खींचातानी ज्यादा होती है तो फिर मामलों के हल करने में दिक्कत होगी और आपस की भलमनसाहत की दृष्टि में कड़ुवाहट आ जायगी। हम सब में भलमनसाहत है और उसको बनाये रखने के लिये जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे की दिक्कतों को समझें और देश के हितों के लिये हमें क्या करना चाहिये उस पर ध्यान दें। हमें केवल इन सब बातों को सामने रख कर काम करना है। हाईकोर्ट का क्या फैसला हुआ उसको मैंने नहीं पढ़ा? लेकिन मेरी राय में विधान के मुताबिक बैकवर्ड क्लासेज के लिये रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मैंने उसके वजूहात बताये थे। शिड्यूल्ड कास्ट के लिये सर्विसेज के लिये विधान में खास प्रावीजन है, वह बैकवर्ड क्लासेज के लिये नहीं है। एक के लिये जब प्रावीजन हो और दूसरे के लिये न हो तब यह कहा जा सकता है कि एक के लिये जो रिजर्वेशन है उसका दूसरे के लिये विधान में जिक्र नहीं है। उनके लिये हो सकता है या नहीं, यह दूसरी बात है, उसकी जरूरत है या नहीं इस पर हमें इस वक्त विचार नहीं करना है क्योंकि जब कमीशन आ रहा है तो कमीशन सभी बातों पर गौर करेगा। अगर सब बातों को देखकर वह यह समझता है कि रिजर्वेशन होना चाहिये तो विधान के ऊपर भी नजर डाली जा सकती है और यह देखा जा सकता है कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन वह बात आज हमारे सामने नहीं है। मैं समझता हूं कि विधान इसकी इजाजत नहीं देता। यह भी गौरतलब बात है कि यह देश के हित में होगा या नहीं और जनरल तरीके से इस चीज को लाना बैकवर्ड क्लासेज के लिये तथा सारी जनता के लिये उचित होगा या नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई खटिक डिप्टी कलेक्टर यदि हो जाय तो एक खटिक के डिप्टी कलेक्टर होने से कहार को कोई नुकसान या फायदा पहुंचता हो यह बात नहीं है। जो शेड्यूल्ड क्लास के लोग हैं उन सबको डिसेबिलिटी की स्प्रीट ने आपस में बांध रखा है। बैकवर्ड क्लास की बात दूसरी है आज कोई बैकवर्ड क्लास है और वह अच्छी तरह खुद कोशिश करे और लोग मदद करें तो मुमकिन है कि वह बाद में बैकवर्ड क्लास में न रहे मगर शेड्यूल्ड क्लास के लिये ऐसी बात नहीं है। उससे उसमें काफी भेद है इसलिये उसके मुताबिक हमें इस कंस्टीट्यूशन को भी देखना चाहिये और पढ़ना चाहिये। हमारा जो आदर्श है वह तो क्लासलेस सोसाइटी को बनाने का है, उस सोसाइटी को बनाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि सभी को यथासंभव स्टेट के अन्दर जो कुछ भी फायदा मिल सके वह इस ढंग से मिले कि किसी के मन में कोई विरोध की भावना या इस किस्म की भावना न रहे कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अगर ऐसी भावना न रहे तभी स्टेट स्ट्रांग हो सकता है और ज्यादा प्रोविजन हो सकता है। इसलिये इस बात को देख कर हमें गौर करना चाहिये। जैसा मैंने पहले दिन कहा था कि कोई भी चाहे वह बैकवर्ड क्लास का हो या फारवर्ड क्लास का हो, यह नहीं चाहता कि सरकारी मुलाजिमत में ऐसे लोग रखे जायं जो काम न कर सकें, क्योंकि जिनका उनसे काम पड़ता है उनको ही नुकसान पहुंचेगा। अगर किसी को जज बना दिया जाय जो मुकदमा न समझ सके, फैसला न दे सके और कानून न समझ सके तो उससे तो बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल्ड क्लास को ब्राह्मण को व हिन्दू मुसलमान सभी को नुकसान पहुंचेगा। इसलिये इसको सभी मानते हैं एक स्टैंडर्ड एफीशिएंसी का सर्विसेज में रहना चाहिये और क्वालिफाइड होना चाहिये। यह हो सकता है कि यह जो आर्डर आफ मेरिट है वह अव्वल दर्जे का न हो मगर काबिलियत तो इतनी होनी चाहिये कि वह उस काम को कर सके इसमें कोई दो रायें मैं समझता हूं कि नहीं हो सकतीं। अगर इसके खिलाफ राय हो कि उससे काम ही नहीं चल सके तो उससे बड़ा भारी नुकसान हो जावेगा।

सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी सोसाइटी इस ढंग से बने कि उसके अन्दर हमारे स्टेट की ताकत बढ़े और जो कुछ भी कहीं कमी हो उसको आगे बढ़ा सकें और ऊंचा उठा सकें।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

जहां तक सर्विसेज का ताल्लुक है इसकी ओर ध्यान रखना अच्छा है, लेकिन अगर शिक्षा अच्छी होगी और एजुकेशन से पूरा लाभ उठा कर क्वालिफाइड हो जायं तो वे बहुत अच्छी तरह और शान के साथ काम कर सकेंगे। फिर दूसरी बात यह भी है कि जो लोग योग्य हों उन्हीं को रखा जाय। अगर पूरी तरह से योग्य लोग न रखे जायं तो बाद में उनको प्रोमोशन वगैरह मिलने में दिक्कत होती है, उनको आगे चढ़ने में परेशानी होती है। तो मैं चाहता हूं कि इसके साथ ही साथ वे ज्यादा एजुकेशन हासिल करके काबलियत पा सकें, इस पर ज्यादा जोर दिया जाय और साथ ही साथ उनमें एक मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिऐ, उनमें एक जील होना चाहिये ताकि वे सारे नेशन को अपना नेशन समझ कर काम करें। अगर बैकवर्ड क्लास फारवर्ड क्लास या किसी शेड्यूल्ड क्लास को सर्विसेज के अन्दर यह भावना रहे कि हम तो फलां क्लास के हैं, या फलां कास्ट के हैं तो वह ठीक बात नहीं है। सब को इस तरीके से होना चाहिये कि वे इम्पारशियल तरीके से काम कर सकें। चाहे कोई किसी क्लास का हो, चाहे कोई किसी कास्ट का हो, सभी इस बात को चाहते हैं कि सब लोग अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह से अदा कर सकें। जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था, जो कुछ भी मैंने कहा उसके आधार पर जो यह प्रस्ताव है उसको मान लिया जाय तो उसमें मुझे कोई उज्र नहीं है। जहां तक संशोधन की बात है उनकी बड़ी भारी लड़ी है। मैं समझता हूं कि उनको छोड़ दिया जाय तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष--मूल प्रस्ताव इस प्रकार है--

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान व सरकार की नीति पिछड़े वर्ग के पक्ष में होते हुये भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अभी तक न होने के तुल्य है। अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित कराई जावे।"

मैं एक-एक संशोधन लिए लेता हूं और उसके बाद इस मूल प्रस्ताव पर राय लूंगा।

प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"समस्त प्रकार की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग का चुनाव-बोर्डों में प्रतिनिधित्व रहे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"प्रदेश में आबाद शरणार्थियों को भी पिछड़े वर्ग के समान ही सुविधायें प्रदान की जावें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सीताराम शुक्ल--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामवचन यादव--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायण दास पासी---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संकल्प के दूसरे वाक्य "अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित कराई जावे" को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय ---

"अतः पिछड़े वर्ग (Backward classes) की जन संख्या के अनुसार उसके समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकार राज्य के समस्त चुनाव अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक आदेश जारी करे"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ३ का वाक्य "अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित कराई जावे" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय :---

"अतः पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों के प्रतिनिधिव कराने के लिये उनकी जनगणनानुसार उनकी सीट सुरक्षित कर दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब श्री वंशीदास धनगर के संशोधन को रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम दास आर्य---मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "न होने के तुल्य" के स्थान पर शब्द "पूर्ण नहीं" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब मैं मूल संकल्प ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि---

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान व सरकार की नीति पिछड़े वर्ग के पक्ष में होते हुये भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अभी तक न होने के तुल्य है। अतः पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुचित प्रतिनिधित्व के हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित कराई जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यक्रम के समस्त संकल्पों को एक साथ प्रस्तुत करने के संबंध में सुझाव

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव पेश करता हूं कि इस समय जितने प्रस्ताव हों और दहेज निवारण विधेयक, उनको पेश करने की इजाजत दे दी जाय और बाद में वह क्रमशः ले लिये जायं।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इसको कहने से मेरा अर्थ यह है कि अभी हमारा एक गैरसरकारी दिन डच है और हम उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करने वाले हैं। अगर वह मिल जायगा तो वह प्रस्ताव उस दिन आ जायेंगे और अगर आज लैप्स नहीं होंगे तो दूसरे गैरसरकारी दिन आ जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होगी कि पहले ये पेश हो जायं, और बाद में ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। नियम ७५ और २० अगर दोनों पढ़े जायं तो मालूम होता है कि इसके लिये पहले ही स्पष्ट कह दिया गया है। इसके अतिरिक्त नियम ८६ के अनुसार--

"If a resolution of which notice has been given by a member and which has been admitted is not discussed during the day, it shall be deemed to have lapsed" लैप्स हो जायेंगे। इन नियमों के बनाने का सिद्धान्त ही यही है कि जो रह जायेंगे वे लैप्स हो जायंगे। अब उस सिद्धान्त को इस होशयारी से नियम का अर्थ बदलकर विचार करने का प्रयत्न किया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि दूसरों के साथ अन्याय होगा। और कोई निर्दोष बात होती तो शायद उसको मैं स्वीकार कर लेता कि सदन में सर्वसम्मति से यह हो रहा है तो मान लिया जाय, लेकिन जो लोग आगे चल कर कोई और इससे भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाना चाहते हैं उनके लिये बैलट का मौका नहीं मिलेगा, जो शायद अगले असरकारी दिन बचे हुए प्रस्तावों के लैप्स होने से मौका उनको मिल जाता। ऐसे पचासों प्रस्ताव थे जो प्रस्तावक महत्वपूर्ण समझते थे और वह बैलट में नहीं आ सके थे तो उनको दूसरी बार मौका मिलेगा। अब इस होशियारी से अगर ये पांचों प्रस्ताव एक के बाद दूसरे पेश हों जायं और दस बीस एकट्ठा इसी प्रकार साल भर तक होते रहें, तो वह तो दोबारा बैलट कराने का मौका ही अन्य सदस्यों को नहीं मिलेगा, सदस्यों के और उन सदस्यों के साथ, मैं समझता हूं, अन्याय होगा जिनके महत्वपूर्ण प्रस्ताव आगे आने वाले हों। इसलिये मैं इजजत नहीं दे सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन सर्वसम्मति से अगर कोई बात सदन में तय हो जाय तो...!

श्री अध्यक्ष--लेकिन वह तो तब हो सकता, जब मैं सदन में तय होने के लिये राय देने की इजाजत दूं। जो नियम हैं वे बहुत विचारपूर्वक बने हैं, उनका क्या हेतु है यह निर्णय करने का अधिकार मुझे है और उस अधिकार के मातहत मैंने यह उचित समझा कि मैं उसके लिये इजजत नहीं दूं।

जमींदारी-उन्मूलन के फलस्वरूप मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की क्षतिपूर्ति के लिए संकल्प

श्री अध्यक्ष--अब श्री लाल बहादुर सिंह अपना संकल्प उपस्थित करेंगे।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री लाल बहादुर सिंह जी हैं नहीं, तो मुझे आज्ञा इसको उपस्थित करने की दे दी जाय। मेरा भी नाम इसमें है।

श्री अध्यक्ष--उसमें श्री लालबहादुर सिंह के बाद श्री उदयभान सिंह, श्री तेज प्रताप सिंह, श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री कमला सिंह के बाद आपका नाम है सिलसिलेवार मैं पूछता हूं। अगर कोई न बोलना चाहे तो आप बोलेंगे।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--श्री रणंजय सिंह जी को बोलने का आदेश दे दिया जाय।

श्री रणंजय सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प इस सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं कि इस विधान सभा का निश्चित मत है कि जमींदारी उन्मूलन के कारण मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति अति शीघ्र करके उनकी पूर्णरूपेण रक्षा की जाय।

श्रीमान् जी, जमींदारी उन्मूलन के कारण जो हानि लाभ हुआ उस पर मैं अधिक विचार करना आवश्यक नहीं समझता। जहां तक शिक्षण संस्थाओं का संबंध है उसी पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जमींदारी जब यहां पर थी तो हमारे बहुत से जमींदार भाई उदारता के साथ शिक्षण संस्थाओं को बहुत बड़ी धनराशि सहायता के रूप में दिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि हमारे यहां के बहुत से उदार ताल्लुकेदार और जमींदार, जैसे कैनिंग कालेज और कालविन कालेज इनको वर्ष में एक बार ही नहीं बल्कि वर्ष में दो बार सहायता देते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे जमींदार और ताल्लुकेदार भी थे जो कि बड़ी प्रसन्नता के साथ अन्य शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता दिया करते थे। इतना ही नहीं बहुत से ऐसे भी जमींदार और ताल्लुकेदार थे जो शिक्षा के सम्बन्ध में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन उनसे भी शिक्षा संस्थाओं के लिये धन प्राप्त करने वाले सज्जन रुपया मांगते थे और किसी न किसी रूप में उनसे सहायता प्राप्त कर लिया करते थे।

जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त इसमें सन्देह नहीं कि अनेक शिक्षा संस्थाओं को उससे क्षति पहुंची है और एक अपार धनराशि की कमी हो गई है। मैं इस समय अपने यहां की बात नहीं करना चाहता हूं, मेरा प्रस्ताव यहां पर जो है वह सारे प्रान्त भर के लिये है। मैं अनुभव करता हूं कि इस प्रकार से हमारे यहां भी एक ट्रस्ट बनाया गया था और उस ट्रस्ट को पर्याप्त आय होती, परन्तु उसमें रेलिजस और चैरिटेबिल नाम होने से उस पर आपत्ति की गई और वह जायज नहीं माना गया। क्योंकि एक तिथि निश्चित कर दी गई थी इसलिये उसके पश्चात् कोई रेलिजस ट्रस्ट नहीं बन सकता था।

अब मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि अन्यत्र भी जो सहायता मिलती रही होगी जिनसे विशेष रूप से देहातों में जो शिक्षण संस्थायें हैं वह चल रहीं होंगी जिनमें लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी। इस सम्बन्ध में मैंने ६ मार्च ५३ को यहां प्रश्न किया था कि जमींदारी उन्मूलन के कारण जो शिक्षण संस्थाओं को क्षति पहुंची है क्या उस पर सरकार विचार कर रही है। उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बतलाया कि हां, इस पर विचार किया जा रहा है और उनकी रक्षा की जायगी। इसके अतिरिक्त जब बजट पर सामान्य विवाद हो रहा था तो मैंने बजट में साढ़े सात लाख रुपया जो कि शिक्षा विभाग की ओर से उनके लिये रक्खा गया था उसे देखा और मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई। मैं यह जानता हूं कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़ी उदारता के साथ शिक्षा संस्थाओं की रक्षा करने पर विचार कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा भी था कि जमींदारी टूट गई है

[श्री रणंजय सिंह]

इसलिये बहुत सी जमींदारों की जो इमारतें हैं उन्हें शिक्षण संस्थाओं को दे दें, उन्होंने यह सुझाव दिया था। मैं समझता हूं कि जमींदार भाइयों ने इस पर विचार किया होगा। मैं जानता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की शिक्षण संस्थाओं की ओर कृपा दृष्टि है, लेकिन साढ़े सात लाख रुपया उन्होंने रक्खा है वह जमींदारी उन्मूलन के कारण हुई क्षति के लिये पर्याप्त हो भी सकेगा, इसमें मुझे सन्देह है। इसीलिये मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार कर लें और शीघ्रातिशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन हुये लगभग दो वर्ष हो गये हैं, उनके लिये प्रबंध किया जाय। क्योंकि मुझे संदेह है कि कहीं विलम्ब होने से शिक्षण संस्थाएं बन्द न हो जायं। इसलिये इन शब्दों के साथ सदन का अधिक समय न लेते हुये श्रीमान् जी के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह जो मेरा संकल्प है इसे कृपया स्वीकार करें।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, यह जो संकल्प इस सदन के सामने माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा संस्थाओं को जमींदारी उन्मूलन से धक्का पहुंचा है यह तो सत्य है, लेकिन जमींदारी उन्मूलन के कानून में भरसक इस बात का प्रयत्न किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को कोई नुकसान न पहुंचने पावे। ऐसी शिक्षा संस्थाएं जिनको जमींदारी उन्मूलन से आर्थिक संकट उठाना पड़ रहा है वह दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं। एक तो ऐसी शिक्षा संस्थाएं हैं जिनके पास ट्रस्ट थे या कोई अर्पित सम्पत्ति थी, तो उन शिक्षा संस्थाओं को तो जमींदारी उन्मूलन से कोई आर्थिक संकट उठाने का भय नहीं है, इस कारण कि उस अर्पित सम्पत्ति से जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जितना भी मुनाफा हो रहा था वह उन संस्थाओं को मिलेगा ही। दूसरी श्रेणी शिक्षा संस्थाओं की ऐसी हो सकती है कि जिनके साथ जमींदारों ने किसी भूमि को या किसी सम्पत्ति को या जमींदारी को लगाया नहीं था बल्कि व्यक्तिगत तरीके से या दान के तरीके से उनको धन देते थे। लेकिन इसके कारण इन्हीं संस्थाओं को नहीं बल्कि यदि और दिशाओं में भी देखा जाय तो वहां भी संभव है कि काफी क्षति पहुंची हो। मेरा अपना ख्याल है कि सिनेमा घरों में इंटरटेनमेंट टैक्स की कमी शायद इसी कारण हो गयी है कि अब बड़े-बड़े जमींदार बड़े-बड़े टिकट लेकर उन सिनेमा घरों में नहीं जाते हैं। इस कारण यह कहना कि जमींदार दान दे दिया करता था, दान तो देता था इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हम उसकी कोई संख्या नहीं बता सकते कि कितना उनको मिलता था, क्योंकि उसके कोई काग़ज़ भी प्राप्त नहीं हैं। इसके कारण यह भी संभव नहीं है कि यह समझा जा सके कि इस समस्या का आकार कितना बड़ा है और शिक्षा संस्थाओं को कितना नुकसान पहुंचा है। यह जो वित्तीय वर्ष ३१ मार्च को अन्त हुआ है उसमें आठ लाख रुपया केवल इसीलिये रखा गया था कि यह स्कूल्स और कालेजेज ऐसी दशा तक न पहुंचें कि यह बन्द हो जायं।

कैनिंग कालेज के सम्बन्ध में जो माननीय रणंजय सिंह जी ने कहा तो उसको तो ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन से जितना रुपया मिलता था, और उसी में यहां का कालविन स्कूल भी है, वह सब गवर्नमेंट देती है, वह उस ८ लाख से परे था। तो ८ लाख रुपया इसलिये रखा था कि इन संस्थाओं को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और उनको वह ८ लाख रुपया दिया गया। और जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि इस बजट में भी साढ़े सात लाख रुपये की ऐसी रकम रखी गई है ताकि ऐसी संस्थाओं की मदद की जाय। तो जैसा मैंने कहा कि जिन संस्थाओं के पास अर्पित संपत्ति है, जमीन लगी हुई है, उनको जितनी साल की आमदनी है वह तो मिलेगी ही। वे तो यह नहीं कह सकतीं कि जमींदारी उन्मूलन से हमारी कोई क्षति हुई है। सिर्फ ऐसी संस्थाएं

हो सकती हैं जिनको जमींदारी से वक्तन फवक्तन कोई दो सौ , कोई चार सौ, कोई एक हजार रुपये दे देता था। मैं समझता हूं कि ऐसी संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काफी प्रबन्ध बजट में किया गया है। हम इस बात की आशा रखते हैं कि कोई ऐसी संस्था नहीं होगी कि जिसको इस कारण कोई क्षति पहुंचेगी कि उनको पर्याप्त सहायता न मिल सके। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा यदि यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाय । इसके लिये जैसा मैंने कहा कि उसके कोई कागज नहीं है कि कितना-कितना रुपया ऐसी संस्थाओं को मिलता था और ऐसी बहुत कम संस्थायें हैं जिनको निश्चित रूप से कोई देता था। इस कारण इसके आंकड़े इकट्ठा करना भी मुश्किल है। तो जहां तक पहली श्रेणी का सम्बन्ध है, उनका स्थान तो सुरक्षित है ही। दूसरी श्रेणी में जो संस्थायें आती हैं यदि उनको कोई क्षति पहुंचेगी तो उसके लिये बजट में काफी प्रबन्ध है और यह जरूर होगा कि कोई हमारी पाठशाला इस कारण बन्द नहीं होने पायेगी, यह आप विश्वास रखें।

श्री अध्यक्ष--- माननीय रणंजय सिंह जी।

श्री रणंजय सिंह---श्रीमन्, इस पर संशोधन आयेंगे या मुझे बोलना होगा?

श्री अध्यक्ष---पहला संशोधन तो आप ही का है।

श्री रणंजय सिंह---मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखता हूं ---

संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "शिक्षण" तथा शब्द "संस्थाओं" के मध्य में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं ---

"एवं अन्य सार्वजनिक"

जब यह संशोधन रख दिया जाता है तो यह संकल्प इस प्रकार हो जाता है :---

"इस विधान सभा का निश्चित मत है कि जमींदारी उन्मूलन के कारण मान्यता प्राप्त शिक्षण एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति अति शीघ्र करके उनकी पूर्णरूपेण रक्षा की जाय।"

पहले जो संकल्प था उसमें केवल शिक्षण संस्थायें रखी गई थीं। उसमें मैंने "अन्य सार्वजनिक" भी बढ़ा दिया है। जैसी शिक्षा संस्थाएं हैं। ऐसे कुछ अस्पताल हैं और-और भी संस्थायें हैं जिनसे सार्वजनिक लाभ पहुंचता था। मुझे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह कहना है कि जिनसे समाज को लाभ पहुंचता था वे संस्थायें जमींदारी उन्मूलन के कारण न मरने पायें। दो तरह की संस्थायें आती हैं, एक तो वे हैं जिनके लिये जमींदारों ने दस्तावेजें लिख दी थीं, ट्रस्ट कर दिया था । जो ट्रस्ट कर दिये गये थे कानूनन उनको उतना रुपया मिलेगा ही। यह अवश्य है कि उनको उस रुपये के मिलने में देर हो रही है जिसके कारण उन संस्थाओं को आर्थिक आपत्ति में फंसना पड़ रहा है। इसके लिये हम जल्दी करें तभी हो सकता है।

इसके अलावा बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जिनके लिये जमींदारों ने ट्रस्ट नहीं किया था मगर वह स्थायी रूप से सहायता देते थे। अब सरकार का यह काम है कि जब जमींदार नहीं रहे और उनको वह सहायता मिलनी बन्द हो गई है तो यह संस्थायें जिनसे जनता को बड़ा लाभ हो रहा था यह मरने नहीं पायें। सरकार

[श्री रतन लाल जैन]

उनकी खोज कर सकती है, मालूमात कर सकती है कि उनको पहले कितना रुपया मिल रहा था उनको इस रूप से नहीं बल्कि अन्य रूप से सरकार ग्रांट दे सकती है। मंत्री जी ने कहा कि हमने शिक्षा संस्थाओं के लिये ८ लाख रुपया रख दिया है। मैं अर्ज करूंगा कि जितने रुपये की आवश्यकता हो उतना रुपया मिलना चाहिये। यह संस्थायें सरकार का ही काम कर रही हैं। सरकार भी तो आज वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। उसका कर्तव्य है कि वह उन तमाम कामों को करे जिनसे जनता का लाभ हो। ऐसी संस्थाएं जिनसे जनता लाभ होता है, चाहे वह शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे व्यायामशालायें हों, चाहे और कोई संस्थायें हों जो जनता को लाभ पहुंचा रही हैं, सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उनको आर्थिक आपत्ति के कारण मरने न दिया जाय।

इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह आसानी से हो सकता है कि जो सहायता करने वाले थे वह आपको प्रार्थना-पत्र दें या उस संस्था का संचालक, सेक्रेटरी या मैनेजर दरख्वास्त दे तो आप जांच करा लें और इसके बाद सरकार का कर्तव्य होना चाहिये कि उनको सहायता दे दे जिनसे वह संस्थायें मरने न पायें। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं समझता हूं कि इस संशोधन को प्रस्तावक महोदय भी पसन्द करेंगे।

श्री रणंजय सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन पर मैं उसको वापस लेने पर विचार कर रहा हूं। ऐसी दशा में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--पहले आप विचार कर लें। फिर खड़े हों तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री रणंजय सिंह---मैं वापस लेने को तैयार हूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

भूमि के उचित बटवारे के सम्बन्ध में संकल्प

†**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं--

"उत्तर प्रदेश की विधान सभा केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करती है कि वह भूमि के बंटवारे को उचित रूप से करने के लिये भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिये संसद में नियमानुसार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करें कि किसी परिवार के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि न रह सके और इससे अधिक भूमि रखने वाले परिवारों से अतिरिक्त भूमि बिना प्रतिकर अर्जित करके ऐसे व्यक्तियों को दी जा सके जिनके पास जीविका के अन्य साधन नहीं हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं कि...

श्री शिवनारयण (जिला बस्ती)--प्वाइंट आफ आर्डर सर, क्या मैं जान सकता हूं कि सदन में कोरम मौजूद है।

(कोरम नहीं थी इस लिये घंटी बजाई गई, कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जमीन क बटवारे की उपयोगिता , मैं समझता हूं कि माननीय सदन के सभी सदस्य हमारी ही तरह से जरूरी समझते हैं और हमारा प्रदेश जो है वह सारे भारतवर्ष में अधिक आबादी रखने वाला है। अधिक आबादी रखते हुए भूमि पर जो बोझा है वह कुछ मेरी समझ में नहीं, बल्कि बहुत से कृषि विशेषज्ञ लोगों की राय में इतना बड़ा बोझ है कि जिस बोझ को चलाना मुश्किल हो रहा है और उसमें भी जो इस प्रकार का बटवारा है कि जिसमें थोड़े से लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन और एक बहुत बड़े तबके के पास जो बहुत मेहनत से, परिश्रम से खेती करता है, उपज भी वह दूसरों से अधिक करता है, उसके पास थोड़ी जमीन। और एक तबका वह सब से अधिक मेहनत करने वाला है और अगर उसके पास जमीन हो तो वह शायद सब से अधिक उपज भी कर सकता है। उसके पास कुछ भी जमीन नहीं है। तो यह विषम बटवारा जो है उस बटवारे से एक बड़ी विषम परिस्थिति हमारे प्रदेश में उत्पन्न हो गयी है। बेकारी का सवाल हमारे मुल्क के सामने है और इस सवाल से मुंह किसी तरह नहीं मोड़ा जा सकता। जब हमारे प्रदेश में साढ़े सतासी फीसदी आदमी गांव में बसते हैं, साढ़े सतासी फीसदी लोगों की माली हालत अगर खराब होती है, परचेजिंग कैपैसिटी खराब है तो साढ़े बारह फीसदी जो शहर में लोग बसते हैं उनकी भी हालत अच्छी नहीं रह सकती और फिर सारे संसार में जहां कहीं भी आर्थिक संकट आते हैं वह हमेशा गांव वालों को अधिक सताते हैं। पहले उन्हीं को ज्यादा तंग करते हैं वह आर्थिक संकट, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिम्ब शहरों पर भी पड़ता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो दूकानदारी करने वाले लोग होते हैं, जो शिक्षा देने वाले लोग होते हैं, जो डाक्टरी का पेशा करते हैं या कोई और पेशा करने वाले होते हैं वह सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं।

मैं समझता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में भूमि का बटवारा हम न करें तो वैसी हालत में जो अवस्था आज है, जितनी बेकारी आज बढ़ती चली जा रही है, वह बेकारी और बढ़ती चली जायगी। हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है। यह भूमि का बटवारा जो है वह मालूम नहीं सैकड़ों वर्ष पहले का चला आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने से, जब से जमींदारी आई, उस वक्त से जमीन के मालिक कुछ लोग बने और उसके बाद यह भी कहा जा सकता है कि जो जमीन जोतने वाले लोग थे उनको उन्होंने निकाला और जिन लोगों ने बहुत परिश्रम से जंगल साफ करके या किसी तरह से जमीन को जोतने के लायक बनाया था, उन लोगों को निकाल कर कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा किया, जिनके पास यदि जमीन न भी रहे तब भी वह मजे में अपनी गुजर कर सकते हैं। जमींदारी उन्मूलन किया गया, सही है, लेकिन हम समझते थे कि उसके बाद ऐसी व्यवस्था हो सकेगी जिसमें अनाज की उपज बढ़ सके और लोगों की माली हालत सुधर सके। लेकिन जहां तक इस जमींदारी उन्मूलन से सम्बन्ध है, एक बात अवश्य है कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गयी। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं कि जमींदारी प्रथा खत्म हो जाने के बाद सरकार जो उसके स्थान पर आयी है उसका सम्बन्ध क्या है। मैं केवल इस बात पर आना चाहता हूं कि जमींदारी खत्म हो जाने के बाद जमींदार की मिल्कियत के सम्बन्ध में बहुत थोड़ी जमीन के लिये एक फैसला हो सका। यह कहा जायगा कि करीब ९३ लाख या ९४ लाख एकड़ जमीन जो गावों में ऐसी थी जो सार्वजनिक कही जा सकती थी, उस जमीन को गांव समाज के सिपुर्द कर दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में भी यह कहना चाहता हूं कि ९३ लाख या ९४ लाख एकड़ जमीन जो सार्वजनिक समझ करके गांव समाज को सुपुर्द की गई, उस जमीन में भी आज यह हालत है कि बहुत सी जमीन उसकी पहले से लोगों ने

[श्री गेन्दा सिंह]

अपनी मिल्कियत बना रही है, वह भी सार्वजनिक तौर पर गांव समाज के पास नहीं है। अगर गांव समाज आज यह चाहे कि वह भूमिहीनों को जमीन दे सके तो उसके पास आज ऐसी जमीन नहीं रह गई है कि वह भूमिहीनों को जो कि आज मोहताज हैं खाने के लिए, उनको जमीन दे सके। फिर यह लाजिमी हो जाता है कि हम उन लोगों की रोजी का बन्दोवस्त करें। हम अगर रोजी का बन्दोवस्त नहीं कर सकते तो इस जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकते। सरकार का यह फर्ज है कि कम से कम अपनी प्रजा के लिये वह रोटी देने का तो बन्दोवस्त करे। मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं कि वह अमेरिका से कर्ज लेकर के या और कहीं से कर्ज लेकर के मुफ्त में बांटे। लेकिन सरकार का यह फर्ज होता है कि जो आदमी काम करने के लायक है उस आदमी की रोजी का बन्दोवस्त करे। मेहनत करने के लिये साधन वह उसे दे, जिससे वह मेनहत करके अपने लिए इज्जत के साथ रोटी कमा सके। तो फिर हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि क्या करें? क्या किसी दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करके उससे जमीन छीनें या फिर इन्डस्ट्री को इस पैमाने पर बढ़ावे कि जिसमें यह साढ़े ८७ फीसदी जनता लग सके और कुछ थोड़े से आदमी खेती पर आ सकें, लेकिन फिर यह भी हमारे लिए लाजिमी होगा कि उसमें भी हम को कुछ लोगों को जमीन पर से हटाना पड़ेगा, तभी जाकर इस मुल्क में एक योजना पूर्ण तरीके पर लोगों को रोजी दे सकते हैं।

फिर जमीन के बटवारे का सवाल आता है और उसके साथ-साथ यह भी सवाल आता है कि जमीन का अगर बटवारा हो लोगों को रोजी देने के ख्याल से तो फिर उस जमीन का मूल्य कहां से लिया जाय। यह बड़ा कठिन प्रश्न है। तो हमारे सामने कठिनाई हमेशा जो आती है वह संविधानिक कठिनाई है अध्यक्ष महोदय कि भारतीय संविधान जो है उसमें वगैर मुआविजे के किसी को सम्पत्ति को लेने का अधिकार नहीं है। अब यह प्रश्न जो खड़ा होता है कि उनकी सम्पत्ति है, बड़ा पवित्र अधिकार है, तो इस अधिकार को जब हम हथियाने जा रहे हैं तो उनको कुछ भी न दें, यह अनुचित मालूम होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जमीन का मालिक कोई कभी नहीं रहा। न हिन्दू-काल में कोई जमीन का मालिक रहा और न मुसलिम काल में कोई जमीन का मालिक रहा और आज भी सरकार मालिक नहीं है। जब सरकार किसी से जमीन लेना चाहती है तो लैंड ऐक्वीजीशन के मातहत जमीन जोतने वाले को कीमत देती है। सरकार मालिक नहीं है और इसीलिये मैं सोचता हूं कि आज कोई भी जमीन का मालिक बनना चाहे तो वह जमीन का मालिक कहना गलत होगा। अगर जमीन का मालिक हम कहें भी तो उसको कहें जो जमीन का जोतने वाला है। जमीन जोतने वालों के हाथ में आज नहीं है। आज जमीन उन लोगों के पास भी है, मैं यह नहीं कहता कि उनके पास समूचे सूबे में सब से अधिक जमीन है, लेकिन अगर व्यक्तिगत हिसाब लगाएं तो थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के पास मालूम होगा और मैं पेश करूंगा कि लाखों एकड़ उनके पास है और उस जमीन को अगर समान रूप से बटवारा करने का प्रश्न उठाया जाय तो लाखों परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनको हम इस हालत में जरूर ला सकते हैं कि वह अपने परिवार को दो टुकड़े खाने को जरूर दे सकें। इसलिये फिर आवश्यक होगा कि हम उस विधान में भी परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह करें। जब तक केन्द्रीय सरकार उस विधान में परिवर्तन नहीं करती तब तक इस सूबे की सरकार को यह अधिकार नहीं है कि बिना मुआविजा के कोई जमीन हस्तगत करें। राजस्व मंत्री जो भी यहां मौजूद हैं, उनकी दलील है कि जब तक हम कुछ पैसा न दें तब तक हम उस जमीन को वापस नहीं लेना चाहते।

मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। जिस प्रकार जमींदारी उन्मूल उन्होंने किया है इससे आगे बढ़ कर यूरोप में कुछ मुल्कों ने १९१९, १९२० और १९२४ में ही कर दिया था।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण अगले असरकारी दिन पर जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२३ अप्रैल, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

परिस्थिति का विवरण जिसमें एस० डी० एम० घोसी, श्री बनवारी लाल की मोटर से मधुवन थाने के पास श्री टीमल नामक हरिजन की मृत्यु हुई।

दिनांक १३ नवम्बर, १९५२ को दोपहर के समय श्री टीमल कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मधुबन जा रहे थे। जिस समय ये लोग थाने से लगभग १०० गज थे, पीछे से एस० डी० एम० घोसी, श्री बनवारी लाल की कार आई। कार में श्री बनवारी लाल के अलावा और भी व्यक्ति थे। वे कार स्वयं चला रहे थे। टीमल आदि व्यक्तियों को देखकर कार ने हार्न दिया। ये व्यक्ति सड़क की दाहिनी पटरी से जा रहे थे। हार्न की आवाज सुनकर टीमल ने पीछे देखा और जब कार लगभग १५–२० कदम दूरी थी उस समय दाहिनी पटरी से बायीं पटरी पर जाने की कोशिश की। इस कोशिश में उसे कार के बायें मडगार्ड से धक्का लग गया और वह कुछ दूरी पर जा गिरा। एस० डी० एम० श्री बनवारी लाल ने दुर्घटना रोकने के लिये मोटर को जहां तक सम्भव था दाहिनी ओर मोड़ा और ब्रेक भी लगाये परन्तु दुर्भाग्य से असफल हुए। श्री टीमल के गिरते ही एस० डी० एम० महोदय उसे लेकर मधुबन थाने गये और वहां पर दुर्घटना की रिपोर्ट लिखाई। वहीं पर श्री टीमल की मृत्यु हो गई।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०४ पर)

असरकारी सहायता प्राप्त अन्ध विद्यालयों के संबंध में वर्ष १९५३–५४ का अनुदान

	रु०
१—ग्रंधों का विद्यालय तथा छात्रावास, नैनी इलाहाबाद	२,८८७
२—ग्रंधों का विद्यालय संबंधित ग्रांख का ग्रस्पताल, सीतापुर	२,०६४
३—राष्ट्रीय ग्रन्ध विद्यालय, कानपुर	१,५००
४—ग्रन्ध विद्यालय, मदैनी, बनारस	१,०००
५—काशी सेवा समिति ग्रनाथालय तथा ग्रन्धविद्यालय काशी	२,०००
६—शार्प मेमोरियल ब्लाइण्ड स्कूल, देहरादून	४,०४४

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०४ पर)

जनवरी सन् १९५२ से अगस्त सन् १९५३ तथा थाना कलियानपुर जिला कानपुर के अन्तर्गत मसवानपुर, रावतपुर, विनायकपुर में जुर्मों की रिपोर्टों का नकशा—

गांव का नाम	जुर्म	रिपोर्टें	मुकदमे चले	अदालत के विचाराधीन	सफल हुये
रावतपुर	१—चोरी	८	३	—	३
	२—डकैती	—	—	—	—
	३—अपहरण	—	—	—	—
	४—कतल	१	१	१	—
	५—मारपीट	१४	१	१	—
विनायकपुर	१—चोरी	७	१	—	१
	२—डकैती	—	—	—	—
	३—अपहरण	२	२	२	—
	४—कतल	२	२	१	१
	५—मारपीट	११	—	—	—
मसवानपुर	१—चोरी	७	—	—	—
	२—डकैती	—	—	—	—
	३—अपहरण	—	—	—	—
	४—कतल	—	—	—	—
	५—मारपीट	१६	१	१	—

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

१९५३ (नान गजटेड)

जिला यूनिट	भ्रष्टाचार		अकार्य कुशलता	
	बरखास्त किये गये	पृथक अथवा डिस्चार्ज किये गये	बरखास्त किये गये	पृथक अथवा डिस्चार्ज किये गये
देहरादून	..	४	—	७	—
सहारनपुर	..	३	—	—	—
मुजफ्फरनगर	..	—	—	—	—
मेरठ	..	४	—	—	—
बुलन्दशहर	..	—	—	—	१
अलीगढ़	..	२	—	४	—
मथुरा	..	२	—	—	—
आगरा	.	१८	—	९	—
मैनपुरी	..	१	—	१	—
ऐटा	..	३	—	—	२
बरेली	..	७	१	—	—
बिजनौर	..	५	३	—	—
बदायूं	..	२	—	—	—
मुरादाबाद	..	८	—	२०	७
शाहजहांपुर	..	—	—	३	३
पीलीभीत	..	—	—	३	२
रामपुर	.	—	—	—	—
फर्रुखाबाद	..	२	१	—	—
इटावा	..	—	—	—	—
कानपुर	..	१	—	—	—
फतेहपुर	..	३	—	—	१
इलाहाबाद	..	२	—	—	—
बांदा	..	१२	८	८	९
हमीरपुर	..	४	१	—	—
झांसी	..	१	—	—	—
जालौन	..	—	—	—	—
बनारस	..	२	१	—	—
मिर्जापुर	..	—	—	—	४
जौनपुर	..	—	—	—	—
गाजीपुर	..	—	—	—	—
बलिया	.	—	—	१	—
गोरखपुर	..	५	—	६	—
बस्ती	..	६	—	—	—
आजमगढ़	..	—	—	—	—
देवरिया	..	—	—	—	—

जिला यूनिट	भ्रष्टाचार		अकार्य कुशलता	
	बरखास्त किये गये	पृथक अथवा डिस्चार्ज किये गये	बरखास्त किये गये	पृथक अथवा डिस्चार्ज गये
नैनीताल ..	—	—	२	१
लखनऊ ..	३	—	३४	१६
उन्नाव ..	५	—	१	२
रायबरेली ..	—	—	७	—
सीतापुर ..	७	—	—	३
हरदोई ..	—	—	१	—
खीरी ..	९	—	—	—
फैजाबाद ..	१	—	—	—
गोंडा ..	—	—	४	१
बहराइच ..	२	—	—	—
सुलतानपुर ..	—	—	२	—
प्रतापगढ़ ..	१	—	—	—
बाराबंकी ..	१	—	२	१
गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ..	१४	—	२	—
रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस ..	४	—	३	—
प्रांविशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी	—	—	—	६
स्टेट रेडियो सेक्शन ..	—	—	—	—
पी० टी० सी०,मुरादाबाद ..	—	—	—	—
क्यू० एम० सी० एस०,कानपुर	—	—	—	—
पी० एम० वी० ओ, सीतापुर	—	—	—	—
सी० आई० डी० यू० पी०, लखनऊ	—	—	—	—
जोड़ ..	१४४	१५	११८	५९

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

H D/4082 Dt. 22. 4. 54

शिक्षित हरिजन नवयुवकों को औद्योगिक कारबार आरम्भ करने में सहायता देने तथा संगठित हरिजन संस्थाओं के लिये मशीन तथा उन्नत उपकरणों की व्यवस्था के लिये सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों के विनियमन की नियमावली ।

निम्नांकित व्यक्तियों और संस्थाओं को अनुदान दिये जायेंगे :—

१—(१) ऐसे शिक्षित हरिजन नवयुवकों को, जो १८ वर्ष से कम वयस के न हों और साथ ही किसी उद्योग विशेष में प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) प्राप्त कर चुके हों, उस उद्योग या व्यवसाय में या उस से सम्बद्ध व्यापार के काम में लगने के लिये ,

(२) उन व्यक्तियों को जो पहले से व्यवसाय या व्यापार में लगे हों, अपने कारबार का विकास या विस्तार करने में सहायता देने के लिये, और

(३) व्यावसायिक विद्यालयों और सहकारी समितियां (सोसाइटीज) जैसी संगठित संस्थाओं को ऐसे विभिन्न उद्योग स्थापित करने तथा चलाने के लिये जिनके विकास की संभावना हो।

२—निम्नांकित प्रयोजनों के लिये अनुदान दिये जा सकते हैं —

(१) उपकरण, औजार और प्रसाधन (appliances) या मशीनें खरीदने के लिये, जिसके अन्तर्गत इन्हें लगाने का खर्च भी सम्मिलित है।

(२) अनुदान ग्रहीता को इस योग्य बनाने के लिये वह व्यापार के लिये बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्थाओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके ।

(३) ग्रहीता की इस उद्देश्य से सहायता करने के लिये कि वह आरम्भ में उत्पादन कम होने के कारण होने वाले घाटे को पूरा कर सके।

(४) विशेष स्थितियों में कार्य संचालन पूंजी के लिये ।

(५) इसी प्रकार दूसरे प्रयोजनों के लिये, प्रत्येक मामले की आवश्यकता को देखते हुये।

३—किसी भी दशा में किसी एक मामले में अनुदान की धनराशि सामान्यतः १,००० रु० से अधिक न होगी इससे अधिक धनराशियों के अनुदान के मामले स्वीकृति के लिये सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

४—कोई भी आवर्तक अनुदान नहीं दिया जायगा, किन्तु सरकार विशेष मामलों में एक ही व्यक्ति, संस्था या सहकारी समिति को लगातार दो या दो से अधिक वर्षों के लिये भी अनुदान दे सकती है। किन्तु किसी भी दशा में एक ही व्यक्ति या संस्था को एक ही प्रयोजन के लिये सरकार को दो या दो से अधिक विभागों से अनुदान न दिया जायगा।

५—अनुदान के लिये आवेदन पत्र जिनमें नियत शीर्षकों (देखिये परिशिष्ट 'क' भाग १ और भाग २) के अधीन उल्लिखित सूचना दी जायगी, राज्य हरिजन सहायक आफिसर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास भेजे जायेंगे जो ऐसे आवेदन-पत्रों की जांच करेंगे और ऐसी अन्य सूचना, जिसे वह उचित समझें, प्राप्त करेंगे और तदनन्तर आवेदन पत्रों को चुनाव समिति के पास भेजेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार के गृह उद्योगों के संचालक (डायरेक्टर) पुनर्वास तथा नियोजन संचालक (डायरेक्टर) और राज्य हरिजन सहायक अफसर इस समिति के सदस्य होंगे और इस विषय में उसका (समिति का) निर्णय अंतिम होगा। हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश ऐसे आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर सकते हैं, जो उनकी राय में ऐसा अनुदान पाने के लिये प्रत्यक्षतः अनुपयुक्त हों। ऐसे आवेदन पत्रों को अधिमान दिया जायगा जो दस्तकारी और गृह उद्योगों के संबंध में होंगे या जो संयुक्त कारबार के लिये एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिये जायेंगे।

६—आवेदक द्वारा, नियत पत्र (परिशिष्ट 'ख') में एक ऐसा अनुबन्ध निस्पन्न किये जाने पर जिसके द्वारा वह स्वयं अपने को तथा अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों (executors) और अभ्यर्पितियों (assigns) को इन नियमों द्वारा लगायी गयी सामान्य शर्तों तथा किन्हीं विशेष शर्तों के जो उक्त समिति अनुदान विशेष पर स्वीकृत देते समय विहित करे, पालन के लिये वाध्य करेगा, उसे समिति द्वारा स्वीकृत अनुदान दिया जायगा। अनुदान का वह भाग जो उपकरण और मशीनों आदि के लिये मांगा गया होगा सीधे न दिया जायगा बल्कि वह राज्य हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश, या उसके द्वारा प्रनियोजित (deputed) किसी अन्य अधिकारी के द्वारा दिया जायगा। किन्तु उपकरणों और मशीनों की खरीदारी गृह उद्योग संचालक (डाइरेक्टर) उत्तर प्रदेश के द्वारा की जानी चाहिये। राज्य हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति की सूचना लेखा परीक्षा विभाग (आडिट) को भी देंगे।

७—अनुदान ग्रहीता ऐसी सब मशीनों, उपकरणों या सज्जा को सरकार के नाम बंधक रख देगा जो उसमें विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये दिये गये अनुदान से खरीदा हो।

८—अनुदान ग्रहीता कुल व्यय का वह भाग स्वयं वहन करेगा जो सरकार द्वारा नियत किया जाय।

९—अनुदान ग्रहीता निर्धारित प्रपत्र (देखिये परिशिष्ट 'ग') में प्राप्त अनुदान का, और कुल व्यय में अपने अंश का एक रजिस्टर रक्खेगा जिसमें मूल योजना में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिये नियत धनराशि उस पर खर्च की गयी धनराशि और भुगतान न की हुई धनराशि यदि कोई हो, दिखायी जायगी।

१०—हरिजन सहायक विभाग के अधिकारी तथा एक्जामिनर, लोकल फंड एकाउन्ट्स उत्तर प्रदेश को किसी भी उचित समय पर उस कार्य का जिसके लिये अनुदान दिया गया हो, और उन रजिस्टरों का, जिनमें यह दिखाया गया हो कि सरकार द्वारा दिया गया अनुदान किस प्रकार खर्च किया गया है, निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

११—ग्रहीता राज्य हरिजन सहायक अफसर उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास निम्नांकित सूचनायें भेजेगा :—

(१) ऐसे समय पर, जिसके लिये राज्य हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश ने सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा उसे निर्देश किया हो, उस कार्य का प्रगति प्रतिवेदन (रिपोर्ट) जिसके लिये अनुदान दिया गया हो और साथ में एक विवरण पत्र जिसमें मद के अनुसार यह दिखाया गया हो कि वह सरकार द्वारा दिये गये अनुदान तथा कुल व्यय में अपने अंश का किस प्रकार व्यय कर रहा है;

(२) ऐसी अतिरिक्त सूचना जिसे राज्य हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश मांगें,

(३) अंतिम प्रतिवेदन (रिपोर्ट) जब कि कार्य समाप्त हो चुका हो और अनुदान की धनराशि खर्च हो चुकी हो।

१२—यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाय कि अनुदान की शर्तों का पालन नहीं किया गया है तो अनुदान ग्रहीता, सम्पूर्ण अनुदान या उसका ऐसा कोई अंश, जिसे सरकार उचित समझे, ऐसे ढंग से, जो कि निर्धारित किया जाय वापस लौटाने के लिये बाध्य होगा।

१३—राज्य हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश हर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के ६ महीने के भीतर सरकार के पास उन अनुदानों के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जो संबंधित वर्ष में दिये गये हों। उक्त प्रतिवेदन में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नांकित बातें रहेंगी:—

(क) विभिन्न अनुदानों का एक वर्गीकृत विवरण पत्र जिसमें यह दिखाया गया हो कि प्रत्येक अनुदान की राशि किस प्रकार खर्च की गयी।

(ख) उस मामले का एक विवरण पत्र जिसमें अनुदान की शर्तों का पालन न किये जाने के कारण या किसी अन्य कारण से ग्रहीताओं को अनुदान की राशि वापस लौटाने का आदेश दिया गया हो और साथ ही इस विवरण पत्र में यह भी बताया जाय कि सचमुच कितनी धनराशि लौटायी गयी और साथ ही इस बात की टिप्पणी भी दी जायगी कि जो धनराशि बाकी रह गयी उसके वसूल न होने के क्या कारण हैं।

(ग) एक टिप्पणी जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो जिस काम के लिये अनुदान दिये गये थे, उसे आगे बढ़ाने में वे किस हद तक सफल हुये और उन अनुदानों की स्थिति में, जो अपने उद्देश्य में असफल रहे, ऐसी असफलता के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण पत्र भी देना होगा।

इस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की एक प्रति एकाउण्टेंट जनरल उत्तर प्रदेश और एवजामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स उत्तर प्रदेश, के पास भेजी जायगी।

अनुबन्ध—पत्र

एक अनुबन्ध जो———————————१९५ ई० को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (गवर्नर) महोदय (जो इस अनुबन्ध में आगे "दाता" कहे जायेंगे और जिनके पद के उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती प्रसंगानुसार शब्द दाता में सम्मिलित होंगे) प्रथम पक्ष तथा———————————आत्मज———————————निवासी ———————————(जो अनुबन्ध इसमें आगे "ग्रहीता" कहे जायेंगे और जिनके/जिसके दायाधिकारी, कार्य-निष्पादक प्रबन्धक प्रतिनिधि और अनुमति प्राप्त अभ्यर्पिती उत्तराधिकारी प्रसंगानुसार शब्द "ग्रहीता" में सम्मिलित होंगे) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पन्न हुआ।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रहीता को———————————रु० का अनुदान के प्रयोजन के लिये उन अनुदनों को विनियमित करने के नियमों में निर्धारित शर्तों पर देना मंजूर किया है जो शिक्षित हरिजन नवयुवकों को औद्योगिक कारबार आरम्भ करने में सहायता देने और व्यावसायिक स्कूलों तथा सहकारी समितियों जैसी संगठित संस्थाओं को

विभिन्न उद्योग स्थापित करने और संगठित करने के लिये साज-सामान की व्यवस्था करने के निमित्त दिये जाते हैं।

और चूंकि उपर्युक्त नियमों के अधीन ग्रहीता के लिये यह आवश्यक है कि वह इसमें आगे दिये हुये प्रपत्र के अनुसार एक अनुबन्ध लिखें।

इसलिये अब यह अनुबन्ध साक्षी है और उपर्युक्त अनुदान के प्रतिफल स्वरूप ग्रहीता एतद्द्वारा दाता से निम्नलिखित प्रतिज्ञा करता है :—

(१) ग्रहीता उन अनुदानों को विनियमित करने के समस्त नियमों का पालन करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा, जो शिक्षित हरिजन नवयुवकों को औद्योगिक कारबार आरम्भ करने में सहायता देने और व्यावसायिक स्कूलों तथा सहकारी समितियों जैसी संगठित करने के लिये साज-सामान को व्यवस्था करने के निमित्त दिये जाते हैं, और बाद के ऐसे सब संशोधनों का पालन करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा जो अनुदान को मंजूरी देने वाले आदेश द्वारा लागू किये जायं।

(२) ग्रहीता अनुदान प्राप्त करने के दिनांक से——————————को अवधि के भीतर उक्त अनुदान को उस प्रयोजन के लिये व्यय करेगा और उपयोग में लायेगा जिसके लिये अनुदान दिया गया हो।

(३) ग्रहीता उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये करेगा, जिसके लिये अनुदान दिया गया हो और किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा सिवाय उस दशा के जब नियमों के अधीन बनाई गयी चुनाव समिति (सेलेक्शन कमेटी) की पूर्व स्वीकृति लिखित रूप में ले ली गयी हो।

(४) ग्रहीता को जब कभी ऐसा आदेश दिया जायेगा, वह हरिजन सहायक विभाग, नियोजन (प्लानिंग) विभाग और उद्योग विभाग के पदाधिकारियों (अफसरों) तथा लोकल फंड एकाउन्ट्स के इक्जामिनर को उसका कार्य, जिसके लिये अनुदान दिया गया हो, और उस स्थिर यंत्र, मशीनों उपकरण भंडार (स्टोर) स्टाक और सामन आदि का निरीक्षण करने देगा जो उक्त अनुदान से खरीदे गये हों या बनाये गये हों।

(५) ग्रहीता अनुदान प्राप्त करने के दिनांक से——————————महीने के भीतर अपनी निजी निधि से कम से कम——————————रु० उस कार्य पर व्यय करेगा जिसके लिये अनुदान दिया गया हो।

(६) ग्रहीता ऐसे समय के भीतर, जिसे हरिजन सहायक अफसर नियत करे, नियमों के नियम ११ में निर्दिष्ट विवरण पत्र और रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा और साथ ही उक्त अनुदान के या उस कार्य के संबंध में जिसके लिये अनुदान दिया गया हो या उस तरीके के संबंध में, जिसके अनुसार अनुदान व्यय किया गया हो या करने का विचार हो, और अनुदान से संबंधित किसी भी दूसरे मामले के संबंध में ऐसी सूचना देगा जिसे हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश समय समय पर मांगे।

(७) (क) ग्रहीता नियमों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुदान लेखे की पंजी (रजिस्टर) रक्खेगा और जब कभी लेखा परीक्षा (आडिट) के लिये हरिजन सहायक विभाग नियोजन (प्लानिंग) विभाग और उद्योग विभाग के पदाधिकारियों तथा लोकल फंड एकाउन्ट्स के इक्जामिनर में से कोई भी उसे उक्त पंजी पेश करने के लिये कहेगा तो वह उसे संबंधित वाउचरों सहित पेश करेगा।

(ख) ग्रहीता हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश के पास संविधान और उसकी प्रबन्धक समिति (गवर्निंग बाडी) में होने वाले सब परिवर्तनों की रिपोर्ट भेजेगा।

यह व्यावसायिक स्कूल या सहकारी समितियों को दशा से लागू होगा।

(८) ग्रहीता अनुदान की धनराशि से समस्त या निर्दिष्ट सामान, हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित रूप में निर्देश दिये जाने पर, उत्तर प्रदेश सरकार के कुटीर उद्योगों के संचालक (डाइरेक्टर) या स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट (भन्डार क्रय विभाग) के जरिये खरीदेगा। अनुदान की सहायता से इस प्रकार खरीदी गयी सब मशीनों उपकरण और सज्जा उस समय तक दाता के नाम रेहन रहेगी जब तक कि इस अनुबन्ध के प्रतिबन्ध और शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।

(९) (क) ग्रहीता, हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश की लिखित रूप में पूर्व-स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपकरण और मशीनरी को न तो बेचेगा, न रेहन करेगा न किसी अन्य प्रकार से मुन्तकिल करेगा, न उसे प्रभारित करेगा और न उसे किसी दूसरे के सिपुर्द करेगा।

(ख) ग्रहीता, हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश की लिखित रूप में पूर्व-स्वीकृति प्राप्त किये बिना कारबार के स्थान को न तो बदलेगा और न किसी को अपने कारबार में हिस्सेदार बनायेगा।

यह नवयुवकों को अनुदान देने की दशा में लागू होगा

(१०)(१) परन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध है और एतद्द्वारा इकरार किया जाता है कि निम्नलिखित किसी भी दशा में, अर्थात:—

जब ग्रहीता इस अनुबन्ध में की गयी प्रतिज्ञाओं में से किसी को भंग करे या किसी ऐसी दूसरी शर्त को पूरा न करे जो दाता द्वारा निर्धारित की गयी हो, या जब ग्रहीता स्थिरयंत्र मशीनों आदि को अग्नि, दुर्घटना आदि के कारण नुकसान पहुंचने से बचाने के लिये पर्याप्त उपायों की व्यवस्था न करे या उनको सक्षम दशा में न रक्खे।

तो हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह इसके बाद उसे अनुदान देना बन्द कर दे तथा ग्रहीता से कहे कि वह सम्पूर्ण अनुदान या अनुदान का वह भाग, जो उसे दिया जा चुका है, लौटा दे या अनुदान से खरीदा हुआ काम का सब सामान जिसमें उपकरण या सज्जा भी शामिल है, वापस कर दे और यदि ग्रहीता से ऐसा कहा जाय तो वह उक्त अनुदान या अनुदान का भाग जैसी भी दशा में हो, लौटा देगा और या ऐसा सामान वापस कर देगा, और उसके न ऐसा करने पर हरिजन सहायक अफसर उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण स्थिर यंत्र मशीने इत्यादि तथा ऐसी अन्य सम्पत्ति को भी जो सरकार के नाम रेहन की गयी हो या किसी अन्य प्रकार से उसके नाम बन्धक हो जब्त करके नीलाम द्वारा या किसी अन्य प्रकार से बेच सकता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाली विक्रय आय का उपयोग किसी दूसरे काम में कर सकता है।

(२) और एतद्द्वारा उभय पक्ष यह भी इकरार करते हैं कि इस अनुबन्ध के संबंध में कानून (विधि) के अधीन देय मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) ग्रहीता द्वारा दिया जायगा।

(११) इस अनुबन्ध को लेकर या उसके संबंध में या इसमें दिये हुये किसी खंड की व्याख्या के संबंध में दोनों पक्षों के बीच जो भी झगड़े उत्पन्न होंगे वे सब उत्तर प्रदेश सरकार के

हरिजन सहायक विभाग के सचिव (सेक्रेटरी) के पास लिखित रूप में भेजे जायेंगे और ऐसे झगड़ों के संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा और उभय पक्ष के लिये मान्य होगा।

जिसके साक्ष्य में——————————————————ने और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (गवर्नर) महोदय की ओर से और उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारी के अधीन काम करते हुए हरिजन सहायक अफसर, उत्तर प्रदेश ने नीचे अपने-अपने हस्ताक्षर के सामने क्रमशः दिये हुये दिनांकों को हस्ताक्षर किये :—

दिनांक——————————————१९५

धनराशि——————————रु०।

हस्ताक्षर (पूरा नाम)——————————

ग्रहीता (हस्ताक्षर)——————————

और——————————के सम्मुख।

हस्ताक्षर (ग्रहीता के हस्ताक्षर)——————————

हरिजन सहायक अफसर,
उत्तर प्रदेश,

——————————के

और——————————के सम्मुख।

हरिजन सहायक विभाग, उत्तर प्रदेश

औद्योगिक कारबार आरम्भ करने में हरिजन नवयुवकों की सहायता के लिए अनुदानों के लिए आवेदन-पत्र

भाग १

१—उद्योग जिसके लिए अनुदान की प्रार्थना की गयी है——————————

२—आवेदक का नाम तथा आयु ——————————

३—यदि आवेदक के कोई सहयोगी (साझीदार) हों तो उनके नाम और आयु। यदि उद्योग साझे में हो तो प्रत्येक के हिस्सों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये और यह भी लिखना चाहिये कि साझे का कारबार इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है अथवा नहीं——————————

४—पिता का नाम तथा पता——————————

५—पिता का पेशा, आर्थिक दशा तथा हैसियत——————————

६—आवेदक की शैक्षिक योग्यता——————————

७—कारबार करने का स्थान ——————————

८—आवेदक और उसके सहयोगियों तथा भागियों को यदि कोई शिल्पी (टेक्निकल) अथवा कारबार सम्बन्धी योग्यता तथा अनुभव प्राप्त हो, उसका विवरण (यदि आवेदक ने किसी शिल्पी अथवा औद्योगिक कार्यालय अथवा संस्था में काम किया हो तो उसका पूरा ब्योरा दिया जाना चाहिये।) ——————————

९—उद्योग का ब्योरा अवधि सहित जिससे आवेदक तथा उसके सहयोगी (यदि कोई हों) संबंधित रहे हों ——————————

१०—निर्माण पद्धति जिसका आवेदक अनुसरण करता हो या अनुसरण करने का विचार करता हो ——————————

११—(क) उन औजारों, अथवा यंत्रों, मशीनों के नाम, विशेष विवरण तथा उनकी लागत जो आवेदक द्वारा प्रयोग किये जा रहे हैं ——————————

(ख)उन औजारों तथा यंत्रों के नाम जिनकी अब आवश्यकता है। उनके ब्योरे और मूल्य भी दिये जाने चाहिये। यह भी लिखिये कि किस प्रयोजन के लिए उनकी आवश्यकता है। (यदि स्थान कम हो तो अलग कागज पर लिख कर नत्थी कर दीजिये)

१२—कच्चे माल मिलने के साधन——————————

१३—पूंजी जो लगायी गयी हो अथवा लगायी जायगी——————————

१४—उत्पादन की अनुमानित लागत और अनुमानित लाभ——————————

१५—तैयार किये जाने वाले माल की खपत के बाजार——————————

१६—किस प्रकार की और कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और उसे किस प्रकार प्रयोग किया जायगा ——————————

१७—आवेदक स्वयं अपने पास से कितना धन लगाने के लिये तैयार है और उसे किस प्रकार प्रयोग करने का विचार रखता है ——————————

१८—क्या आवेदक को हरिजन सहायक विभाग से पहिले भी कोई अनुदान मिला है? यदि मिला है तो अनुदान की धनराशि तथा उसके मिलने की तारीख——————————

१९—क्या आवेदक को कुटीर उद्योग विभाग से पहिले भी कोई अनुदान मिला है? यदि मिला है, तो अनुदान की धनराशि तथा उसके मिलने की तारीख——————————

२०—आवेदक का वर्तमान पता ——————————

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग २

हरिजनों द्वारा संचालित व्यावसायिक विद्यालयों, स्कूलों तथा सहकारी समितियों को विभिन्न उद्योगों को स्थापित तथा संगठित करने के लिए यंत्र, मशीनें तथा अच्छे औजारों की व्यवस्था के निमित्त आर्थिक सहायता का आवेदन-पत्र।

१—विद्यालय, स्कूल अथवा सोसाइटी का नाम——————————

२—स्थान——————————

जिला——————————

३—व्यवस्थापित होने की तारीख ———————————————

४—प्रबन्धक का नाम ———————————————

५—विषय जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता हो अथवा जिसे स्थापित अथवा संगठित करने का विचार ———————————————

६—संस्था के विशेष उद्देश्य ———————————————

७—संस्था में छात्रों की संख्या अथवा सोसाइटी के सदस्यों की संख्या ———————————————

८—शिक्षक वर्ग और उनकी योग्यतायें और वेतन क्रम अथवा नियुक्त किये प्रशिक्षित कार्यकरों (वर्कर्स) की संख्या तथा प्रत्येक की नियुक्ति का प्रयोजन ———————————————

९—भवन के सम्बन्ध में पूरे ब्योरे ———————————————

१०—यदि कोई शुल्क लिया जाता है तो उसकी दर ———————————————

११—संस्था के आय के साधन तथा व्यय की मदें ———————————————

१२—संस्था की सम्पत्तियां और दायित्वों का ब्योरेवार लेखा (Assets and liabilities) ———————————————

१३—किस प्रकार की और कितनी सहायता की आवश्यकता है और उसे किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा ———————————————

१४—उन औजारों अथवा यंत्रों के नाम, विशेष विवरण और लागत जो प्रयोग किये जा रहे हों तथा जिनकी आवश्यकता हो ———————————————

१५—कोई अन्य आवश्यक सूचना ———————————————

———————————————

आवेदक के हस्ताक्षर

APPENDIX C

REGISTER OF ACCOUNT OF GOVERNMENT GRANTS

PURPOSE for which the grant is given _____

Number and date of the order sanctioning the grant _____

Full amount of the grant with particulars shown below.:—

Rs. _____

Investment						*Expenditure*					
Amount of the grant received	Date of receipt	Grantees, own capital	Total	Initials	Number of voucher and date	Particulars of expenditure	Amount of expenditure	Initials	Balance at the close of each month	Quarterly profit	Loss in quarter ending 19
Rs.		Rs.	Rs.			Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

FORM OF SURETY BOND

Know all men by these presents that I/We———————————
S/o ——————————— Resident of ———————————
Dated ——————————— are held and firmly bound to
the Governor of the Uttar Pradesh same Rs. ———————————
to be paid to the said Governor, his successors or assigns for which payments well and truly to be made. I/We bind myself/ourselves and my/our heirs, excutors, administrators and representatives jointly and severally in case M/S ——————————— S/O ———————————
R/O ——————————— does not/do not fulfil the terms and conditions of the grant paid to them.

In witness to the above written bond and to all the terms and condition herein-before contained I/We have hereinto set my/our hands this ———

Day of———————————1953.

Witness— 1. ———————————

2. ———————————

अत्र प्रदेश प्रति

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४०९ पर)

पीलीभीत जिलें में जनवरी सन् १९५४ के दूसरे सप्ताह में दिये गये आर्म लाइसेंसों की तारीखवार संख्या तथा विवरण—

तारीख	दुनाली कारतूसी बन्दूक	इकनाली कारतूसी बन्दूक	राइफल	दुनाली टोपीदार बन्दूक	रिवाल्वर पिस्टल
१	२	३	४	५	६
८-१-५४ ..	५	२	—	१	३
९-१-५४	१	१	१	—	७
१०-१-५४ ..	१	—	—	—	२
११-१-५४ ..	५	२	—	—	१३
१२-१-५४ ..	१४	४	१	१	१३
१३-१-५४ ..	—	—	—	—	—
१४-१-५४ ..	—	—	—	—	—
जोड़ ..	२६	९	२	२	३५

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१४ पर)

१—सामान्य व्यवस्था:—सामान्य व्यवस्था के लिये १० गजेटेड तथा १८२ नान गजेटेड अफसर तथा अधिकारी नियुक्त किये गये। आफिसर इंचार्ज कुम्भ मेला श्री ए० एस० बघेल, आई० ए० एस० इनके अध्यक्ष थे। कुल मेला क्षेत्र ४ भागों में बांट दिया गया और हर एक भाग एक एरिया मैजिस्ट्रेट (डिप्टी कलेक्टर) के मातहत किया गया। उनमें सम्पर्क रखने के लिये एक केन्द्रीय कार्यालय, एक ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। कुल मेला क्षेत्र में १०० लाउड स्पीकर लगाये गये। ११ मील लम्बी पक्की तथा ३६ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गयीं। यात्रियों की सुविधा के लिये करीब ४२६ दूकानें भी बनवाई गयीं। संगम तक आसानी से पहुंचने के लिये एक ४०० फीट चौड़ा लकड़ी का तख्त भी बनवाया गया।

२—पुलिस-व्यवस्था—पुलिस व्यवस्था के लिये जिसमें अग्नि बुझाने का प्रबन्ध भी शामिल है, १२ गजेटेड अफसर तथा ३,०८८ नान गजेटेट अफसर व अधिकारी तैनात किये गये। यह फोर्स एक एस० एस० पी० श्री जमुना प्रसाद त्रिपाटी आई० पी० एस० के अधीन था: इसके अतिरिक्त पी० ए० सी० की ६ कम्पनियां तथा ७ सेक्शन भी एक असिस्टेंट कमाण्डेंट की अध्यक्षता में मेला ड्यूटी में थे। पुलिस ने शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने, ट्रैफिक कण्ट्रोल, भूले-भटके व्यक्तियों को उनके सम्बन्धियों को वापिस करने, अग्नि रोकने और बुझाने, डूबते लोगों को बचाने, अखाड़े के जुलूसों का नियंत्रण आदि का कार्य किया। पुलिस के विभिन्न अफसरों में ताल मेल रखने के लिये समुचित टेलीफोन तथा वायरलेस का प्रबन्ध किया गया।

३—स्वास्थ्य तथा सफाई व्यवस्था—इस सम्बन्ध में ३० सैनीटरी इन्स्पेक्टर, १०६ जमादार, ४७३ मेट तथा ६७२७ मेहतर नियुक्त किये गये। रोगियों की चिकित्सा के लिये ५ अस्पताल खोले गये जिनमें २७८ भर्ती किये गये रोगियों के लिये पलंग का प्रबन्ध था। इन के अतिरिक्त नगर के दूसरे अस्पतालों में भी रोगियों की चिकित्सा की सुविधा बढ़ा दी गई थीं। यह सब व्यवस्था श्री वी० पी० गुप्ता, उप संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में थी।

४—पानी तथा बिजली व्यवस्था—पानी के लिये दो ट्यूबवेल पहले से थे, एक और बनवाया गया। पड़ोस की नगरपालिकाओं से ४ पानी छिड़कने वाली गाड़ियां मंगाई गई। पानी पम्प करने के ४ सेट भी लगाये गये।

रोशनी का उचित प्रबन्ध करने के लिये ४६७६ बिजली की बत्तियां तथा ७५ फ्लड लाइट लगाई गई।

५—नदी के बहार पर नियंत्रण मार्ग तथा पुल निर्माण—यात्रियों की सुविधा के लिये ५ पीपे के तथा ६ दूसरे पुल बनाये गये। इन पुलों पर पहुंचने के लिये तथा सैंड टूंक और त्रिवेणी रोड को मिलाने के लिये सड़कें बनाई गई। यात्रियों के नदी पार करने के लिये बड़ी-बड़ी नावों का प्रबन्ध भी था।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५ पर)

तालिका

जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या १ के उत्तर में किया गया है।

संस्थाओं का नाम	अनुपाल अनुदान रु०	पूरक अनुदान रु०
१—क्रिश्चियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	७,५००	..
२—गांधी विद्यालय, मऊरानीपुर .. .	६,७८०	..
३—पी० एन० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ललितपुर	५,६७६	..
४—विपिन बिहारी हायर सेकेंडरी स्कूल	१४,५०८	२,०००
५—सरस्वती पाठशाला इन्डस्ट्रियल. .	८,३०४	..
६—लक्ष्मणदास डमेला ए० एच०, मऊरानीपुर	७,६९२	..
७—सरस्वती हिन्दू पाठशाला, सिप्री बाजार	६,६८४	..
८—सेंट जूइस , गड़हियां फाटक ..	४,५६०	..
९—हाफिज सिद्दीक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	४,७६४	..
१०—श्री मर्दन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तालबेहट	४,५७२	१,३००
११—त्यागमूर्ति ए० जी० खेर, गुरूसहाय	२,७००	१,५००
१२—डी० ए० वी० जूनियर स्कूल	२,३४०	..
१३—ए० वी० एम० मराठी	३,४०८	..
१४—आर्य कन्या पाठशाला, सिप्रीबजार	५,८३२	३००
१५—लक्ष्मीबाई वर्नाक्युलर ..	५,८२०	१,८५०